हिमाचल प्रदेश विधान सभा

.....

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 29 अगस्त, 2018 को अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश विधान सभा कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

29.08.2018/1100/बी.एस/ए.जी./-1

प्रश्न संख्या 511

श्री रमेश चंद ध्वाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना यहां पर रखी गई है उसमें कुछ भिन्नता है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय में भी 27%, एन.आई.टी. में 27% और भी अन्य संस्थाओं में 27 % का जो आरक्षण दिया जा रहा है, मैं उसके लिए केन्द्र सरकार का धन्यवाद करता हूं। परंतु कई संस्थानों में यह भिन्नता छात्रों की एडमिशन में दिखाई दे रही है। कुछ जगह तो 12 % दी जा रही है और कुछ जगह 18 % दी जा रही है। कुछ जगह तो दी ही नहीं जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वास्तव में हिमाचल प्रदेश में ओ.बी.सी. की आबादी कितनी प्रतिशत है? दूसरा, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यहां पर कृषि, बागवानी, वन, पशुपालन, चिकित्सा से सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों में ओ.बी.सी. से सम्बन्ध रखने वाले अभियार्थी को एडमिशन में आरक्षण नहीं है। इन स्थानों पर रोस्टर नहीं लगाया जाता है। क्या सरकार सभी संस्थानों में ओ.बी.सी. की संख्या के आधार पर शिक्षा संस्थानों में और नौकरियों में आरक्षण देने का विचार रखती है?

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को जाना चाहिए था। सरकार के जो निर्देश लागू हैं उनके अनुसार शिक्षा विभाग में अलग-अलग विश्वविद्यालयों में, अलग-अलग संस्थानों में अलग-अलग आरक्षण दिया जा रहा है। जैसे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्वयं वित्त पोषित जितने भी कार्यक्रम हैं उन में कोई आरक्षण नहीं हैं। परंतु बी.एड. में 100 प्रतिशत रोस्टर है और 15 % ओ.बी.सी. के लिए आरक्षित है। इसी प्रकार से तकनीकी विश्वविद्यालय में 18 % आरक्षण है। हमारे अन्य जो विश्वविद्यालय हैं जैसे चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, डा0 यशवंत सिंह परमार औद्योनिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी

श्री डी.टी. द्वारा जारी.....

29.08.2018.1105/DT/AG-1

प्रश्न संख्या 511....क्रमागत

शिक्षा मंत्री... जारी

और हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग, शिमला इनमें अंडर ग्रेजुएट कोर्सिज में एक-एक सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरिक्षत है। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय सरकार के विश्वविद्यालय या अन्य संस्थान है जैसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय में 27%है, राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में 27% है और भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान मण्डी में 27% है। राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान ऊना में भी 27 % है और आई.आई. एम 27% लागू है। पॉलिटैक्निक संस्थान में सभी जगह 18 प्रतिशत है। आयुर्वेद विभाग में 12 % है। यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेज दिया गया है। इस पर एक पॉलिसी बनाकर वे हमें वापिस भेजेंगे और उसके तहत हम आरक्षण लागू कर देंगे। क्योंकि यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने करना है, यहां पर कितनी जनसंख्या ओ.बी.सी. की है उसके अनुसार क्राइटेरिया तय होता है जिसके अनुसार यह सभी विभागों में लागू होगा।

श्री रमेश चंद ध्वालाः अध्यक्ष जी, यह ठीक है कि जो समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग परसेंटेज देगा उसी के हिसाब से रिजर्वेशन दी जाएगी। लेकिन ओ.बी.सी. कैटेगिरी बड़ी गरीब कैटेगिरी है। इस श्रेणी से नर्से लग रही है, B.Ed. टीचर लग रही है। परंतु मैं माननीय मंत्री जी से यह सिफारिश करता हूं कि डाक्टर कब बनेंगे? इसमें जो अनियमित्तताएं हैं, उसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कब रिपोर्टिंग करेगा ताकि उसके अनुसार शिक्षा संस्थानों में भी ओ.बी.सी. के लोगों को जगह मिले। दूसरा, बोर्डों, निगमों में ओ.बी.सी. वर्ग खत्म हो रहा है। जबकि सैंटर गवर्नमैंट के आदेश हैं कि 10 से ऊपर इंटरव्यू देने वाले हों तो वहां पर ओ.बी.सी. का कोई ऑफिसर होना चाहिए। क्या

माननीय मंत्री आश्वासन देंगे कि बोर्डो, निगमों, अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर और पब्लिक सर्विस कमीशन में ओ.बी.सी. का कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाए?

29.08.2018.1105/DT/AG-2

अध्यक्षः माननीय सदस्य, यह इनके विभाग का प्रश्न ही नहीं है। फिर भी माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, यह वर्ग खत्म नहीं होगा क्योंकि यह बहुत मेहनती वर्ग है। पहले खेतों में यही लोग काम करते थे और आज बहुत ऊंचे-ऊंचे पदों पर बैठे हैं। जैसे माननीय रमेश चंद ध्वाला जी पूर्व में मंत्री रहे हैं। लेकिन इन्होंने शिक्षण संस्थानों के बारे में पूछा है। मैडिकल कॉलेज में भी आरक्षण दिया हुआ है लेकिन एक जैसा नहीं है। इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला में 4 सीटें रिजर्व हैं। ऐसे ही जितने भी नए कॉलेज खुले हैं उन सब में स्टेट कोटे में सीटें रिजर्व हैं। यह सीटें रोस्टर के अनुसार रिजर्व होती हैं। प्राइवेट कॉलेजों में स्टेट और मैनेजमेंट कोटे दोनों में ओ.बी.सी. श्रेणी की सीटें रिजर्व हैं। डैंटल कॉलेज में भी सीटें रिजर्व हैं। मुख्य रूप से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस पर निर्णय करेगा। हिमाचल प्रदेश में कितने परसैंट ओ.बी.सी. की जनसंख्या है उसके हिसाब से रिजर्वेशन दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में बैकवर्ड क्लासीज कमीशन भी बना है। अतः उससे जो रिपोर्ट आएगी और सरकार निर्णय लेगी उस निर्णय के अनुसार शिक्षा विभागी भी उसका पालन करेगा।

श्री एन जी द्वारा जारी

29/8/2018/1110/डी0सी0/एन0जी0-1

प्रश्न संख्या 511....जारी...

अध्यक्षः श्री पवन काजल जी

श्री पवन कुमार **काजलः** अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहुंगा और इन्होंने जो जानकारी यहां पर दी मैं उसका धन्यवाद भी करना चाहुंगा । मैं कहना चाहता हूं कि 2006 का ऐक्ट, जिसमें पूरे देश में ओबीसी को आरक्षण दिया गया था और हिमाचल प्रदेश में भी यह आरक्षण दिया गया । जैसा की आपने जानकारी दी की बी.एस.सी. नर्सिंग में आरक्षण दिया गया, तकनिकी शिक्षा में आरक्षण दिया गया, बी.एड में 18 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, आयूर्वेद में 12 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। मेरा मूल प्रश्न यह है कि जब पूरे देश में 2006 में ऐक्ट लागू हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी को आरक्षण दिया जाए तो देश के अन्य सभी प्रदेशों में ओबीसी को आरक्षण दिया गया, then why not in Himachal Pradesh? मेरा दूसरा सवाल यह है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए ओबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण दे रहे हैं? बाकी जानकारी तो आपने दे दी है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे बी.एस.सी. नर्सिंग में, बी.एड. में और आयूर्वेद में आप आरक्षण दे रहे हैं वैसे ही आप उच्च संस्थानों में जैसे एम.बी.बी.एस., एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी पालमपुर में भी आप 18 या 12 प्रतिशत आरक्षण देंगे? 2006 का ऐक्ट अन्य सभी प्रदेशों में भी लागु हुआ, केवल हिमाचल प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल रहा है ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपका प्रश्न आ गया है ।

श्री पवन काजलः अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहुंगा कि जैसे नौकरियों के लिए ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा है । कई बार ऐसा हो रहा है कि जैसे अभी पिछले दिनों वेटनरी में 21 पोस्टें थी और वह ओबीसी के लिए रखी गई थी । ओबीसी के लिए किसी ने भी क्वालिफाई नहीं किया और इसलिए क्वालिफाई नहीं किया क्योंकि आपने 21 पोस्टों के लिए आरक्षण लिखा हुआ ही नहीं था ।

29/8/2018/1110/डी0सी0/एन0जी0-2

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप सीधा-सीधा सवाल पूछिये ।

श्री पवन कुमार **काजलः** अध्यक्ष महोदय, मैं यह पुछना चाहता हूं कि आप उच्च शिक्षा संस्थान जैसे एम.बी.बी.एस. में मैडिकल कॉलेजों और एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी पालमपुर में भी ओबीसी को आरक्षण देंगे?

शिक्षा मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न शिक्षण संस्थानों ने सम्बन्धित है । मैंने पहले भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थानों में एक जैसा आरक्षण लागू नहीं है । शायद यह executive instructions हिमाचल प्रदेश में हुई होंगी उसके कारण अलग-अलग शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों में आरक्षण का अलग-अलग क्राईटेरिया है । मैंने पूर्व में कहा है और माननीय सदस्य ने भी कहा है कि कुछ संस्थानों में 18 प्रतिशत आरक्षण है और कुछ संस्थानों में 12 प्रतिशत आरक्षण हैं । इसके इलावा जितने मैडिकल संस्थान है उनमें ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित हैं और वह रोस्टर के अनुसार हैं । यदि 100 प्रतिशत रोस्टर लागू होता है तो 15 प्रतिशत आरक्षण ओबीसी के लिए होता है और उसके अनुसार जितनी सीटें बनती हैं उतनी सीटें प्रत्येक मैडिकल संस्थान में, प्रत्येक पोलिटैक्निक संस्थान में, प्रत्येक ईंजीनियरिंग संस्थान में ओबीसी के लिए आरक्षित की जाती है । इसके इलावा जो सैल्फ फाईनैंसिंग कोर्सिस हैं, अलग-अलग विश्वविद्यालयों के, उसमें रोस्टर व आरक्षण लागू नहीं होता है । माननीय सदस्य ने कहा है कि बी.एस.सी. नर्सिंग में तो आरक्षण है और वह आरक्षण 18 प्रतिशत है । लेकिन पी.जी. कोर्सिस में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नहीं है, जोकि अभी तक की नीति है । माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न आया है और हमने यह सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग को भेज दिया है । सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग इस मैटर पर अपना व्यू देकर और सरकार से आदेश लेकर, शिक्षा विभाग को भेजेंगे और हम उस आदेश को प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में लागू करवाऐंगे ।

29/8/2018/1110/डी0सी0/एन0जी0-3

सरकार जो भी निर्णय लेगी उसके अनुसार हम सभी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को लागू करवाने वाले हैं । अभी तक सरकार का जो निर्णय है उसे लागू कर रहे हैं और भविष्य में जो सरकार निर्णय लेगी उसे भी लागू करेंगे ।

श्री आर0जी0 द्वारा जारी.....

29/08/2018/1115/RG/DC/1

प्रश्न सं. 511---क्रमागत

शिक्षा मंत्री के पश्चात

अध्यक्ष : वैसे तो विस्तृत उत्तर आ गया है, परन्तु फिर भी दो माननीय सदस्यों को केवल एक-एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी एवं श्री सुख राम जी प्रश्न पूछने वाले हैं। पहले श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी पूछेंगे।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी, यह जो प्रजाति विलुप्त हो रही है, इसके लिए बहुत चिन्तित हैं और पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। मैं सिर्फ यह जानना चाह रहा हूं कि ये जो शिक्षा संस्थान हैं, प्रदेश में सात मैडिकल कॉलेज खुले, केन्द्रीय विश्वविद्यालय और एन.आई.टी. में तो ओ.बी.सी. के लिए 27% आरक्षण है। इन सात मैडिकल कॉलेज में आरक्षण के लिए, जैसे आई.जी.एम.सी. में सिर्फ चार सीटें रोस्टर के अनुसार रखी गई हैं, किसके तहत ये चार सीटें आरक्षित की गई हैं? दूसरा, इन मैडिकल कॉलेज में आरक्षण कितने प्रतिशत है? अगर आरक्षण का कोई प्रतिशत इसमें नहीं है, तो क्या सरकार ये जो सात मैडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, ओ.बी.सी. की जनसंख्या के आधार पर यह आरक्षण इन मैडिकल कॉलेज में उपलब्ध करवाएगी या नहीं?

शिक्षा मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये मैडिकल कॉलेज, मैडिकल ऐजुकेशन डिपार्टमेंट के अन्तर्गत आते हैं और वही इसके बारे में तय करते हैं। लेकिन यह प्रश्न शिक्षा विभाग को दिया गया है इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि आई.जी.एम.सी. में 85% राज्य कोटा है और उसमें से चार सीटें आरक्षित हैं। अब प्रतिशत आप निकाल लें।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : आरक्षण किस आधार पर दिया गया है?

अध्यक्ष : सुक्खु जी, आप माननीय मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए, बैठे-बैठे न बोलें।

शिक्षा मंत्री : मैंने पहले कहा कि कोई मापदण्ड नहीं हैं। मैंने पहले ही बताया कि कहीं 18% है, कुछ स्थानों पर 12% है, कुछ स्थानों पर 100% रोस्टर में से 15% है और मैडिकल ऐजुकेशन में जो ये कॉलेज हैं, उनमें यह 85% में से है। अगर सीटें 30 होंगी तो उसमें से उतना होगा, अगर 60 सीटें होगी, तो उसके अनुसार कोटा होगा। बेसिकली यह प्रश्न मैडिकल ऐजुकेशन और टैक्नीकल ऐजुकेशन की तरफ डायरैक्ट होना चाहिए था लेकिन

यह शिक्षा विभाग के पास आ गया है, तो जो हमने रिपोर्ट उनसे मांगी और जो हमें रिपोर्ट दी गई है, उसके अनुसार ये सीटें दे रखी हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूरी Comprehensive Policy बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसके लिए अधिकृत है। उनको **हमने यह मैटर रेफर कर दिया है। इस पर वही नीति बनाएंगे और सरकार के द्वारा जो भी निर्देश होंगे, उनके मुताबिक हम अपने शिक्षण संस्थानों में, जितना भी जनसंख्या के आधार जो क्राइटेरिया बनता होगा, हम वह लागू करेंगे।**

श्री सुख राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हिमाचल प्रदेश में आरक्षण दिया जा रहा है, उसमें ओ.बी.सी. समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए विशेष रूप से जो मैडिकल में आरक्षण दिया जाता है वह शून्य के बराबर है। जब मैरिट लिस्ट बनती है, तो ओ.बी.सी. के लड़कों की मैरिट ज्यादा होती है और जनरल की मैरिट कम जाती है और बाद में हमको उसमें ट्रीट नहीं किया जाता। हमारे बहुत से लड़के एम.बी.बी.एस. करने से रह जाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या हिमाचल प्रदेश में भी, जिस तरह से केन्द्र में आरक्षण दिया गया है, जितनी हिमाचल प्रदेश में ओ.बी.सी. की जनसंख्या है, उतना आरक्षण दिया जाएगा या नहीं? मेरा यह बहुत स्पष्ट प्रश्न है।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और मैडिकल कॉलेजों में ओ.बी.सी. को जो आरक्षण आज तक दिया जा रहा है, उसके बारे में मैंने सारे

तथ्य यहां बता दिए हैं और मैंने साथ ही यह भी कहा है कि इस विषय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को मैटर रैफर कर दिया है

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

29/08/2018/1120/MS/HK/1

प्रश्न संख्याः 511 क्रमागत----
शिक्षा मंत्री जारी---------

तथा वे इस पर अपना पूरा व्यु बना करके कि प्रदेश में कितना परसेंट आरक्षण मेडिकल एजुकेशन, टैक्निकल एजुकेशन और अन्य तरह की एजुकेशन में, सब संस्थानों में होना चाहिए, देखेंगे। 18 परसेंट आरक्षण शायद पॉपुलेशन के आधार पर है लेकिन कुछ जगह 12 परसेंट और कुछ जगह 15 परसेंट है और कुछ जगह सीट ही रिज़र्व है। तो वे एक बार सारे-का-सारा व्यु ले लेंगे फिर उस मैटर को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। सरकार जो भी फाइनल निर्णय लेगी, वह सारे शिक्षण संस्थानों में लागू हो जाएगा, यह मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं।

29/08/2018/1120/MS/HK/2

प्रश्न संख्याः 702

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री, प्राधिकृत सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री।

श्री इन्द्र सिंह (सरकाघाट)**:** अध्यक्ष महोदय, वास्तव में मैंने जो सूचना मांगी थी वह तो मुझे मिली ही नहीं। हो सकता है कि किसी लैवल पर ओवरसाइट हो गई हो। वैसे उस लोकैल्टी से माननीय मंत्री जी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। वहां पर ये दो पुल बनने हैं जोकि एक सीर खड्ड पर बनना है और दूसरा जबोठी खड्ड पर बनना है तथा ये पुल दोनों खड्डों के संगम के स्थान पर बनने हैं। सीर खड्ड का जो पुल बन रहा है वह बड़सर डिवीजन बना रहा है लेकिन जो जबोठी खड्ड पर पुल बनना है जिसकी मैंने सूचना मांगी थी, उसको सरकाघाट लोक निर्माण विभाग डिवीजन बनाएगा। मैं यह सूचना माननीय मंत्री जी से जानना चाहता

हूं कि यह पुल कब तक तैयार हो जाएगा? मैंने इस पुल को विधायक प्राथमिकता में भी डाला हुआ है। अगर इस पुल में बड़ी देरी हो जाए, जैसा मुझे लगता है, क्योंकि जब तक ये दोनों पुल इकट्ठे नहीं बनेंगे तब तक इन पुलों का उस एरिया को कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर यह पुल कंकरीट का नहीं बन सकता है, अधिक समय लगेगा तो वहां वैली ब्रिज बना दीजिए ताकि 4000-5000 की पॉपुलेशन जो बुरी तरह से प्रभावित है, उनको इसका पूरा फायदा मिल सके।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इन्द्र सिंह जी ने ठीक कहा कि यहां जो पुल बन रहा है, उसका इस प्रश्न के उत्तर में भी जिक्र किया गया है। ये दो खड्डे हैं जिनमें एक सीर खड्ड है और दूसरी जबोठी खड्ड है और एक प्वाइंट पर दोनों खड्डे इकट्ठी हो जाती हैं। जो वर्तमान का पुल बन रहा है वह सीर खड्ड के ऊपर बन रहा है और वह दोनों खड्डों के मुहाने पर बन रहा है। माननीय सदस्य जी का कहना है कि विभाग ने यह समझा है कि जबोठी खड्ड और सीर खड्ड दोनों इकट्ठा होने के बाद वह पुल बन रहा है लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि एक पुल का निर्माण कार्य हो रहा है लेकिन जब जबोठी खड्ड का पुल तैयार हो जाएगा तो उस पुल से जो जबोठी खड्ड है उसको भी क्रॉस करना पड़ता है। जब उसको क्रॉस करना पड़ता है तो वहां पर एक पुल और बनाने की आवश्यकता है और इस पुल को बनाने के लिए माननीय सदस्य जी ने अपनी विधायक प्राथमिकता में भी इस पुल को डाला है। विभाग इसके

29/08/2018/1120/MS/HK/3

हाइड्रोलिक डाटा को कलैक्ट कर रहा है लेकिन वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हाइड्रोलिक डाटा इकट्ठा करने के उपरान्त फिर इसकी डी0पी0आर0 का काम चलेगा लेकिन वहां जो फिजिकल मुश्किल आ रही है वह यह है कि जमीन किसी प्राइवेट लैण्ड ऑनर की है। मेरा तो कर्नल साहब से विनम्र आग्रह रहेगा कि जो जमीन है अगर उसकी सैटलमैंट में आप थोड़ा सा प्रयास करें तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर वहां पर जल्दी इस पुल का काम शुरू कर सकते हैं क्योंकि माननीय सदस्य जी ने इस जबोठी खड्ड के पुल को अपनी विधायक प्राथमिकता में भी डाला है और उसके साथ-साथ विभाग ने इस पुल के

लिए इस वर्ष 18 लाख 25 हजार रुपये का बजट रखा है। यह 40 मीटर स्पैन का पुल बनना है। इसमें दो पहलु आते हैं जिसमें पहला यह है कि जो प्राइवेट लैण्ड है अगर उसका वैसे सैटलमैंट हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा और काम जल्दी हो जाएगा।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

29.08.2018/1125/जेके/एचके/1

प्रश्न संख्याः 702:-------**जारी**----------

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः---**जारी**---

अगर उस जमीन का वर्गीकरण करना पड़ेगा फिर उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जमीन का सैटलमैंट यदि अपने तौर पर हो जाए तो हमारा हाइड्रोलिक डाटा लगभग कलैक्ट है। हम डी0पी0आर0 बनाएंगे और डी0पी0आर0 बना करके एम0एल0ए0 प्रायोरिटी में इसको नाबार्ड को भेजेंगे, जैसे ही नाबार्ड से फंडिंग आएगी हम उसका काम शुरू कर सकते हैं।

29.08.2018/1125/जेके/एचके/2

प्रश्न संख्याः 703

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि उनके विधान सभा क्षेत्र पच्छाद में ऐसे कितने औषधालय हैं? मैं माननीय सदस्य को पूरी जानकारी देना चाहता हूं कि उप-मण्डलीय पशु चिकित्सालय एक है। पशु चिकित्सालय सात हैं। केन्द्रीय पशु औषधालय एक है। पशु औषधालय 29 हैं और मुख्य मंत्री आरोग्य पशुधन अरोग्य योजना के अन्तर्गत 23 औषधालय खोले गए हैं। इसकी टोटल संख्या 62 हैं। इसमें 26 पशु चिकित्सालय, चिकित्सा संस्थान की अपनी बिल्डिंग में हैं और 12 निजी भवनों में चल रहे हैं। जहां तक मुख्य मंत्री आरोग्य पशुधन योजना का प्रश्न है, इसमें पंचायतों ने लिख कर दिया है कि उनको फ्री में अकमोडेशन उपलब्ध करवाएंगे

इसलिए वे उनमें चल रही हैं लेकिन इसमें 2 बिल्डिंग्ज़ अण्डर कन्स्ट्रक्शन चल रही हैं जिनमें एक दीदग पशु औषधालय जिसमें 11 लाख रूपया एक्सिअन लोक निर्माण विभाग को जमा करवा दिया है और कहा गया है कि उसके ऊपर जल्दी से काम शुरू करें। दूसरा, पशु औषधालय बन्टीघाट है इसमें 6 लाख रूपया दिया गया है। माननीय सदस्य, इसके लिए आप वहां पर एप्रोच करके टेंडर लगवाएं और जो बाकी पैसा है वह हम उपलब्ध करवा देंगे।

श्री सुरेश कुमार कश्यपः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो 10 पशु औषधालय अभी भी निजी भवनों में चल रहे हैं, उनके लिए कब तक बजट का प्रावधान कर दिया जाएगा?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि आप वहां पर जमीन की उपलब्धता करवाएं और जैसे ही बजट का प्रावधान होगा, जो भी आपकी प्राथमिकता होगी, हम उसके अनुसार करेंगे। लेकिन एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि अगर आप विधायक निधि से कुछ पैसा दें तो हम मनरेगा के साथ कन्वरजैन्स में उन बिल्डिंगों को बनाने का काम कर सकते हैं।

29.08.2018/1125/जेके/एचके/3

प्रश्न संख्याः 704

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा और इनके ध्यान में भी लाना चाहूंगा कि यह जो 22 के0वी0ए0 कन्ट्रोल रूम कांसाकोटी का टेंडर होना था जो कि लगभग चार साल से रुका हुआ है। मैं हर सैशन में इसके बारे में प्रश्न लगाता हूं और हर बार ज़वाब मिलता है कि इसका टेंडर हो रहा है। अब मैं, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा और इन्होंने कहा भी है कि इसका टेंडर हो चुका है। यह टेंडर किस तारीख को हुआ है? What is the date of completion?

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----

29.08.2018/1130/SS-YK/1

प्रश्न संख्याः 704 क्रमागत

श्री मोहन लाल ब्राक्टा क्रमागतः

दूसरा, रोहड़ू में हमारा बिजली विभाग का डिवीजन ऑफिस भी है, सर्कल ऑफिस भी है। क्या होता है कि जब हमारे यहां ट्रांसफार्मर जल जाते हैं उसको रोहड़ू बिजली वाले या तो सुन्दरनगर से लाते हैं या सोलन से मंगवाते हैं। इस प्रोसैस में कम-से-कम 15-20 दिन लग जाते हैं। 15-20 दिन तक जहां ट्रांसफार्मर जल जायेगा तो वहां लाइट नहीं होगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है और भविष्य में ऐसा न हो, उसके लिए कोई आदेश किये जाएं। यह मसला मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य जी ने टैंडर के बारे में जानना चाहा है, हमने कहा है कि इसका अवार्ड 30 सितम्बर, 2018 से पहले कर दिया जायेगा। इसको हम 30.06.2019 तक कम्प्लीट करेंगे।

दूसरा, आपने रोहड़ू में ट्रांसफार्मर्ज़ की बात की है। हमने कहा कि 9 ट्रांसफार्मर्ज़ हमारे पास वहां पर रिप्लेसमैंट के लिए उपलब्ध हैं। जब भी कोई ट्रांसफार्मर जलता है उसके लिए हमने वहां पर 9 ट्रांसफार्मर्ज़ रखे हैं। जैसे ही कोई रिप्लेसमैंट की डिमांड आती है, उन्हें बदला जाता है।

29.08.2018/1130/SS-YK/2

प्रश्न संख्याः 705

श्री नरेन्द्र बरागटाः अध्यक्ष महोदय, जैसे आपके ध्यान में ही है यह ठियोग-हाटकोटी रोड चार विधान सभाओं को जोड़ता है।

अध्यक्षः इसमें तो नियम-62 के अन्तर्गत डिस्कशन हो चुकी है।

श्री नरेन्द्र बरागटाः सर, यह बिल्कुल अलग है। It is not concerned with them. वह तो लोकलाइज्ड था। ठियोग-हाटकोटी रोड अपर बैल्ट की लाइफ-लाइन मानी जाती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत धन्यवादी हूं कि इसको पूरा करने के लिए उन्होंने हाल ही में 60 करोड़ रुपये भी दिए हैं। मैं सरकार और मंत्री जी के ध्यान में दो-तीन बातें लाना चाहता हूं।

नम्बर-1, भारी संख्या में पिछले सालों में ब्रैस्ट वॉल और रिटेनिंग वॉल गिरी हैं और वे सूखे के दिनों में भी गिरी हैं। इसमें छोल, डुमैहर, चलनायर, निहारी, खड़ा-पत्थर से आगे हाटकोटी के बीच में गिरी कैंची, कोहलाडा इत्यादि बड़ी-बड़ी रिटेनिंग वॉल गिरी हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा चार्ज है, I would like to charge, there is a nexus between the contractors, some officials and political bosses. क्योंकि क्वालिटी पर इसमें कम्प्रोमाइज हुआ है। मैं अपने साथ एक फोटोग्राफ लाया हूं। It is astonishing और मैं पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग को बधाई भी देना चाहता हूं कि यह एक ऐसी फोटो है, इसके आगे से दीवार खिसक गई है और पीछे जो पी0डब्ल्यू0डी0 की दीवार है वह ड्राई है। बीस साल पुरानी लगी है और वह नहीं टूटी है। क्लीयरकट है कि इसमें पूरे क्षेत्र के अंदर क्वालिटी के साथ कम्प्रोमाइज हुआ है।

दूसरा, इसमें जहां बड़े पैमाने पर हेरा-फेरी हुई है वहीं पर मैं दूसरा चार्ज लगाना चाहता हूं कि लगातार अखबार में कुछ कांग्रेस के नेता इस पर स्पष्टीकरण देते रहते हैं। लेकिन मैं आज एक सीधा-सीधा सवाल करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, मुझे आपके माध्यम से इसका जवाब मिले। एक पोरशन निहारी से खड़ापत्थर है। इस पोरशन में काम ही नहीं

किया गया। मेरा फिर चार्ज है कि ऐसा कंट्रेक्टर को फायदा देने के लिए किया गया है। क्योंकि सबसे मुश्किल काम इस 80 किलोमीटर की सड़क में यही एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र के

29.08.2018/1130/SS-YK/3

कारण से आज बहुत बड़ी असुविधा भी हो रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो जवाब आया है यह 31 जुलाई तक का है और उसके बाद तो कम-से-कम 20 दीवारें इस महीने में गिर गई हैं। यह नुकसान जो 3 करोड़ का दिखा रहे हैं मुझे लगता है कि यह 30 करोड़ से कम का नुकसान नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें हाई स्तर की जांच करवाई जाए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को फिर धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने कार्यालय में क्वालिटी को मैंटेन करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो एक बहुत बड़ा इनीशियेटिव लिया है, उस इनीशियेटिव को आप इम्प्लीमैंट कीजिए।

जारी श्रीमती के0एस0

29.08.2018/1135/केएस/युके/1

प्रश्न संख्या 705 जारी----

श्री नरेन्द्र बरागटा जारी---

उन्होंने तो यह भी कहा कि अगर कोई ऐसी सूचना देता है तो उसको इनाम दिया जाएगा और उसको हम सीक्रेट रखेंगें लेकिन मैं तो सदन में बोल रहा हूं, प्रदेश के लोग इस तरफ ध्यान देंगे और हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। माननीय सदस्य श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी कल कह रहे थे, इन्होंने इस माननीय सदन में कल मेरा नाम लिया था इसलिए मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या

इन सारी चीजों का क्या ये भी क्रेडिट लेना चाहते हैं? इन्होंने कहा था कि इन्होंने वह सड़क बनाई तो इसका मतलब है कि जो डंगे गिर रहे हैं, जिनकी क्वालिटी में कम्प्रोमाइज़ हुआ है, क्या ये उसका भी क्रेडिट लेना चाहेंगें?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री (प्राधिकृत)**:** आदरणीय अध्यक्ष जी, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। यह सड़क उस क्षेत्र को जोड़ती है जहां से इस प्रदेश का सेब पूरे देश और दूसरे देशों को जाता है। इस सड़क की बड़ी लम्बी कहानी है और मैं उसमें नहीं जाना चाहता। वर्ष 2012 से पहले चाइनीज़ कम्पनी थी लेकिन उसका काम 2012 में रद्द कर दिया गया फिर उसके बाद 2013 में सी.एन.सी. कम्पनी को यह काम दो टुकड़ों में बांटा गया। --(व्यवधान)-- 2013 में जब दूसरी कम्पनी के साथ टैंडर हुए,

अध्यक्षः माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कृपया बैठे-बैठे मत बोलिए, माननीय मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री (प्राधिकृत)ः अध्यक्ष जी, टैंडर हुए और 2013 के लास्ट में एग्रिमैंट हुआ तो उसके बाद इन्होंने इस काम को शुरू किया। लगभग 91.72 परसेंट काम कर दिया गया है। इस काम में लगभग 155 करोड़ 57 लाख रु0 खर्च किए गए हैं। माननीय

29.08.2018/1135/केएस/युके/2

सदस्य श्री बरागटा जी ने ठीक कहा, इनका विधान सभा चुनाव क्षेत्र है, इस सड़क के बीच में वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में 2,77,92,211/- करोड़ की सुरक्षा व रिटेनिंग वॉल वर्षा के कारण टूट गई। विभाग ने ठेकेदार को कहा क्योंकि यह पूर्ण रूप से ठेकेदार की जिम्मेवारी है, विभाग की जिम्मेवारी नहीं है । ठेकेदार ने आगे विभाग को बताया कि मैंने यह जितना भी काम है, इसकी इंश्योरैंस करवाई है। विभाग का ठेकेदार और इस इंश्योरैंस कम्पनी के बीच में कोई लेना-देना नहीं है। जो सूचना दी गई उसमें कहा गया कि लगभग 65-66 लाख रु0 की रिटेनिंग वॉल दोबारा से ठेकेदार ने लगा दी है

लेकिन माननीय सदस्य का प्रश्न है कि 2 करोड़ 77 लाख रु0 से 65-66 लाख रु0 निकाल दिया जाए, बाकी जो रिटेनिंग वॉल्ज़ हैं, वे लगनी चाहिए विशेषकर आजकल क्योंकि सेब का सीज़न है और आज मैं कहूं कि वह within 50 days लग जाएगी तो it is not possible लेकिन विभाग इस पर पूर्ण कार्रवाई कर रहा है क्योंकि अभी तक उसका 91.72 परसेंट काम हुआ है और 8.28 परसेंट काम करने को है। अभी तक यह वर्क कम्पलीट नहीं हुआ है। वैसे भी जब काम पूरा हो जाएगा, काम पूरा होने के उपरान्त एक साल के पीरियड में इस सड़क में अगर किसी प्रकार का कोई डंगा गिर जाता है या अन्य बाधा आती है तो ठेकेदार उस कार्य को दोबारा से पूरा करेगा। मैं माननीय सदस्य जी को बधाई देना चाहता हूं, इस सड़क को ले कर और इसमें माननीय उच्च न्यायालय का भी धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर हस्तक्षेप किया और इसी सड़क को लेकर आज माननीय उच्च न्यायालय में पेशी भी है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

29.8.2018/1140/av/ag/1

प्रश्न संख्या : 705---------- क्रमागत

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री (प्राधिकृत)-------- जारी

इसके लिए हमारे माननीय सदस्य ने लम्बा संघर्ष किया है। इस सड़क का काम जब बंद हो गया था तो एक लम्बे संघर्ष और न्यायालय के दख़ल के उपरांत ही यह काम आगे बढ़ा है। इस सरकार का साफ कहना है कि अगर कोई गलत करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जायेगा और ठीक को प्रताड़ित नहीं किया जायेगा। आपने ठीक कहा कि एक रिटेनिंग वाल, पी0सी0सी0 वाल जो ठेकेदार ने लगाई वह गिर गई और जो पिछली रेंडम रब्बल मेसनरी वाल थी, वह रह गई। लेकिन यह जिम्मेवारी ठेकेदार की है, उसी ने लगानी है। बाकी जो

रिटेनिंग और ब्रैस्ट वाल गिरी है वह सारी-की-सारी सी0 एण्ड सी0 फर्म ही लगायेगी। आपने एक स्पेसिफिक प्रश्न किया कि एक पोर्शन का काम उस कम्पनी ने शुरू ही नहीं किया और यह बात मेरे ध्यान में नहीं है। लेकिन हो सकता है कि वह उस 8 प्रतिशत में हो, लेकिन पूरा कॉंट्रैक्ट तो ठियोग-हाटकोटी से लेकर रोहडू तक का है, वह उनको पूरा करना है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री नरेन्द्र बरागटा जी कृपया संक्षेप में प्रश्न करें।

श्री नरेन्द्र बरागटा : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से स्पेसिफिकली एक प्रश्न किया था कि क्वालिटी पर जो कोम्प्रोमाइज हुआ है क्या आप उसकी जांच करेंगे?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी कहा है कि वर्तमान सरकार का यह साफ कहना है कि काम की क्वालिटी में जहां पर किसी भी प्रकार की कोताही बरती जायेगी; कोई अधिकारी या कर्मचारी बरतेगा उसमें किसी प्रकार का कोम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर इस सड़क की क्वालिटी में कहीं भी कोई दिक्कत होगी; उसके लिए मैं तो आपको भी सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि आपके ध्यान में यदि कोई ऐसी बात आए तो उसको निश्चित तौर पर माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाएं, उस पर तुरंत कार्रवाई की जायेगी।

29.8.2018/1140/av/ag/2

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि चाइनीज कम्पनी को पहला टैंडर कब हुआ था तथा उस कम्पनी ने कब तक काम किया? उस कम्पनी का काम जब खत्म हुआ तो वह रीटैंडरिंग तक यानि कितने समय के लिए बंद रहा? रीटैंडरिंग किस वर्ष में की गई और उस समय यहां किस पार्टी की सरकार थी तथा उसके पश्चात उस सड़क का आगे कितना काम हुआ? साथ-ही-साथ, मैं मान्य सदन को

यह भी बताना चाहता हूं कि मैं तो राजा वीरभद्र सिंह जी का बहुत आभारी हूं और मेरे हिसाब से रीटैंडरिंग का प्रोसैस राजा वीरभद्र सिंह जी के समय में ही शुरू हुआ था।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष जी, ठीक है। मैं एक बात से तो सहमत हूं कि दोनों पक्ष अपने-अपने लीडर के प्रति आस्थावान है और होने भी चाहिए, इसमें हम कोई इनकार नहीं कर रहे हैं। आपकी पार्टी की सरकार के समय बहुत से काम हुए हैं और अब तो थोड़ा सा काम बचा हुआ है लेकिन हमारे समय में भी काफी काम हुआ है। चाइनीज कम्पनी लोंगज्यान रोड एण्ड ब्रिज लिमिटिड को 228.25 करोड़ रुपये का काम आबंटित हुआ था फिर इस काम को दिनांक 26.7.2012 को रद्द किया गया। उसके पश्चात नई कम्पनी सी0 एण्ड सी0 को काम दिया गया, जैसे मैंने कहा है वह वर्ष 2013 के अंतिम महीनों में दिया गया है। (---व्यवधान---) हम एक बात मान रहे हैं जैसे बरागटा जी ने क्वालिटी के बारे में प्रश्न किया कि वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में जो दीवारें गिरी हैं उसमें दो-तीन बातें हो सकती हैं। उसमें या तो गुणवत्ता में कमी हो सकती है,

श्री टी सी द्वारा जारी

29.08.2018/1145/TCV/AG-1

प्रश्न संख्याः 705 .. क्रमागत्
माननीय सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य मंत्री.... जारी

दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़े लैंड स्लाइड्स आये हों, यह भी एक कारण हो सकता है। लेकिन यदि लैंड स्लाइड्स आते, फिर तो यह सड़क ही टूट जानी थी। इसलिए यदि इसमें ऐसी कोई बात पाई जाएगी तो उसकी निश्चित तौर पर जांच की जाएगी।

29.08.2018/1145/TCV/AG-2

<u>प्रश्न संख्याः 706</u>

श्री विनोद कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के 'ख' भाग में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस योजना में कुल 973.91 लाख रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि वर्ष 2018-19 के लिए इसमें बजट का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वर्ष 2017-18 में इस योजना में कितने बजट का प्रावधान किया गया था?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की जो चिन्ता है, इसमें एन0आर0डी0डब्ल्यू0पी0, भारत सरकार से हमें 90:10 के अनुपात में फण्डिंग मिलती है। उसके अंतर्गत सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीने के पानी की स्कीमें बनाई जाती है। वर्तमान में एन0आर0डी0डब्ल्यू0पी0, भारत सरकार के अन्तर्गत 712 स्कीमें हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ऐसी स्कीमें जिनका काम 75% हो चुका है, उन स्कीमों को प्राथमिकता दी जाये। जिन स्कीमों का काम 50% हो चुका है, उनको द्वितीय चरण पर प्राथमिकता दी जाये और तृतीय चरण में जिन स्कीमों का काम 25% हुआ है, उन स्कीमों को प्राथमिकता दी जाये। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए है, इस स्कीम का फाउंडेशन स्टोन 18 जुलाई, 2017 को रखा गया। जब यह फाउंडेशन स्टोन रखा गया, यह ठीक है कि एन0आर0डी0डब्ल्यू0पी0 में यह स्कीम थी, लेकिन उस व़क्त इसमें बजट का कोई भी प्रावधान नहीं था। मैंने कहा है कि कुल 712 स्कीमें हैं, वह भी 75%,50% व 25% करके कैटेगराइज़ की हुई है और इनका कार्य भी धन की उपलब्धता के ऊपर निर्भर करता है।

29.08.2018/1145/TCV/AG-3

श्री विनोद कुमारः अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने यहां पर कहा है कि वर्ष 2017-18 में इस स्कीम के लिए बज़ट का कोई भी प्रोविज़न नहीं था। जब इसमें बजट का कोई भी प्रोविज़न नहीं किया गया था तो इसका शिलान्यास कैसे किया गया? दूसरा, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि जिन अधिकारी/कर्मचारियों ने इस स्कीम का शिलान्यास बिना बजट प्रोविज़न के करवा है, क्या आप उन अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे? तीसरा, जिस स्कीम की यहां पर बात की गई है, क्या आने वाले समय में इस स्कीम में बजट का प्रोविज़न किया जाएगा ताकि वहां की जनता को इस योजना का लाभ मिल सकें?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, विधायक जी की चिन्ता निश्चित तौर पर ठीक है। लेकिन कोई भी सरकार हो, जब सरकार के आदेश हों कि फलां स्कीम का फाउंडेशन स्टोन रखना है तो उस पर अधिकारियों/कर्मचारियों का क्या कसूर है, वह कैसे इन्कार कर सकते हैं?

श्रीमती एन0एस... द्वारा जारी ।

29-08-2018/1150/NS/DC/1

प्रश्न संख्याः 706 ----क्रमागत

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री -----जारी।

इसलिए इसमें अधिकारियों/कर्मचारियों का कसूर नहीं है। इसमें नेताओं का कसूर हो सकता है, जो फाउंडेशन स्टोन रखने चले जाते हैं। ऐसे अनेकों फाउंडेशन स्टोन रखे गये हैं। अगर मैं इसके लिए ज्यादा कहूंगा तो उस तरफ से माननीय अग्निहोत्री जी खड़े हो जायेंगे।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, आप बतायें कि धनराशि कब देंगे?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः जो इनकी मंशा है और जैसा मैंने कहा है कि यह भारत सरकार का पैसा है, हमारा नहीं है। जब 25 % वाली स्कीमें पूरी होंगी, फिर इनका नम्बर आएगा। जैसे ही इनका नम्बर आएगा तो निश्चित तौर पर इस स्कीम को पूरा किया जाएगा।

29-08-2018/1150/NS/DC/2

प्रश्न संख्याः 707

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आज की तारीख में टांडा मेडिकल कॉलेज में 39% पद खाली हैं। मंत्री महोदय उसी ज़िले से संबंध रखते हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा कि वहां पर आज के दिन में एक बिस्तरे पर दो मरीज़ होते हैं। यह टांडा मेडिकल कॉलेज की कॉमन साईट है। मैंने आपसे ओपन हार्ट सर्ज़री के बारे में निवेदन किया था और आपने जबाव दिया कि posting of two more Cardiac Thoracic Vascular Surgeons is required. Secondly doctors and Anesthetists need to be trained for Open Heart Surgery. When they will be trained? 20 साल पुराना मेडिकल कॉलेज है और आज भी वहां पर केवल एंजियोग्राफी करके स्टंट डालने के लिए जहां भेजा जाता है, वह आपको भी पता है। वहां पर पूरे का पूरा नैक्सस है और वहां पर it is just a source of patients. जालंधर, चण्डीगढ़ और कांगड़ा के अस्पतालों के साथ पूरा सिस्टम सैट है। वहां पर मरीज़ आएगा और किस अस्पताल में कितनी कमीशन के साथ जाएगा, यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि प्लीज़ बीच में न बोलें। आपके ही प्रश्न हैं, अगला प्रश्न छूट जाएगा।

श्री राकेश पठानियाः आपने डॉ0 पठानिया को शिमला से मेडिकल कॉलेज, मंडी में प्रिंसीपल लगाया और इसका परिणाम यह हुआ कि शिमला में हार्ट सर्ज़री बंद हो गई। मेरा सुझाव है कि अगर यही डाक्टर टांडा में आएगा और टांडा मेडिकल कॉलेज में पिछले तीन

महीनों से कोई रेग्युलर प्रिंसीपल भी नहीं है। अगर ऐसा डॉक्टर वहां चला जाएगा तो वहां पर ओपन हार्ट सज़री हो जाएगी। टांडा मेडिकल कॉलेज में कार्डिएक के सारे उपकरण पड़े हुए हैं। आपने वहां पर बहुत बड़ा सैंटर खोल रखा है। मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी आए और इन्होंने घोषण की। तब जा करके ये वेंटिलेटर्ज़ वहां पर लगे और बहुत जल्दी कार्रवाई हुई। पहले टांडा में वेंटिलेटर्ज़ का बहुत बुरा हाल था। लेकिन घोषणा के बाद वेंटिलेटर आ गये और इंस्टॉल होना शुरू हो गये हैं। मेरा आपसे यह निवेदन रहेगा कि आपने कार्डिएक के लिए जितना बढ़िया सैंटर बनाया है और कार्डिएक टेबल्ज़ आपके पास पड़े हुए हैं। इतने महंगे टेबल हैं कि शिमला में टेबल खराब हुए तो

29-08-2018/1150/NS/DC/3

टांडा मेडिकल कॉलेज से यहां ले आए। Why could it not be used in TANDA ? वहां पर सेम हाल लीनीयर एक्सलरेटर का है। टांडा मेडिकल कॉलेज में आज तक लीनीयर एक्सलरेटर इन्स्टॉल नहीं हुआ क्योंकि आपके पास करोड़ों रुपये की मशीनें हैं लेकिन आपके पास तकनीशियन नहीं हैं। तकनीशियन को लाने में कितनी देर लगती है? आप इसका ऑल इंडिया लेबल पर विज्ञापन दें और अच्छी सैलरी दें तो मेरे हिसाब से तकनीशियन क्यों नहीं आएगा। आज एक आदमी को अपना एक्स-रे लेने के लिए चार-चार महीने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

अध्यक्षः आप प्रश्न कीजिए। यहां पर कोई चर्चा नहीं लगी है। आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री राकेश पठानियाः मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो ये वेकैंसी पोजिशन है, इसको कब तक भर दिया जाएगा? दूसरा, लीनीयर एक्सलरेटर कब तक चालू कर दिया जाएगा ताकि कैंसर के मरीज़ों को शिमला न आना पड़े? तीसरा, आप ओपन हार्ट सर्ज़री टांडा मेडिकल कॉलेज में कब तक शुरू कर देंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री -----श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

29.08.2018/1155/RKS/DC-1

प्रश्न संख्याः 707... जारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न उठाया है उसके लिए इनकी चिंता वाजिब है। इन्होंने आई.जी.एम.सी. और टांडा मैडिकल कॉलेजों की फैकल्टीज/ डिपार्टमैंट्स की वेकैंसी पोजिशन के बारे में चिंता प्रकट की है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आई.जी.एम.सी., शिमला में इस समय 76 % फैकल्टीज हैं। डॉक्टर्ज की 60%, पैरा-मैडिकल स्टाफ 68% और नर्सिंग स्टाफ की 65% फैकल्टीज हैं। आपने इसी तरह टांडा मैडिकल कॉलेज के बारे में भी चिंता प्रकट की है। वहां पर 75 % फैकल्टीज हैं। जिसमें डॉक्टर की 57%, पैरा-मैडिकल में 52% और फिल्ड-अप नर्सिंग स्टाफ की 71 % फैकल्टीज हैं।

अध्यक्ष महोदय, वेकैंसी पोजिशन को भरने के लिए और विशेषकर डॉक्टरों व पैरा-मैडिकल स्टाफ के पदों को भरने के लिए हम भी चिंतित हैं। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि इसके लिए हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम लगभग 173 फार्मासिस्ट के पद स्टाफ सलैक्शन कमीशन, हमीरपुर से भरने जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में रेडियोग्राफर-135, ओ.टी.ए.-120, लैब असिस्टैंट-129, Ophthalmic Officer-111 और फार्मासिस्ट-218 बैचवाइज भरे जाएंगे। दूसरा, आपने Cardiothoracic& Vascular Surgery (CTVS) के बारे में कहा। जिसे हम आम भाषा में ओपन हार्ट सर्जरी भी कहते हैं। पिछले दो सालों से कार्डियोलॉजी में बहुत अच्छा काम हुआ है। वहां पर Angiography भी हो रही है जिसके लिए पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था। स्टैंटिंग टांडा में हो रही है। पेसमेकर टांडा में डाले जा रहे हैं। intracardiac defibrillator टांडा में हो रहा है। 'एलोफिक पोलिक्लिनिक स्टडीज' जब धड़कन इत्यादि बढ़ जाती है या कम हो जाती है, उसके निवारण की प्रक्रिया भी वहां शुरू हो गई है। 'CAP Studies' बच्चों के दिल में कोई छेद हो तो उसकी जांच भी वहां पर होती है। Peripheral procedure, पांव की नसें, किडनी की नसें, इसका उपचार भी वहां पर हो रहा है। आपने CTVS के बारे में चिंता प्रकट की है। आपकी

29.08.2018/1155/RKS/DC-2

चिंता वाजिब है और इसे स्ट्रैंथनिंग करने की आवश्यकता है। टांडा मैडिकल कॉलेज में सुपर स्पैशियलिटी के 6 डिपार्टमैंट्स चल रहे हैं। वे किस हालात में चल रहे थे लेनिक अब उनको स्ट्रैंथनिंग करने की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कहता कि निर्वतमान सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने भी इसके लिए प्रयास किए परंतु हमने उन प्रयासों को और आगे बढ़ाया है। वहां पर CTVS कैसे शुरू होगा इसके लिए प्रोफैसर्ज इत्यादि की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और इस दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं। वहां पर 5 सीनियर रैजिडैंट हो ऐसा प्रारूप भी तैयार किया गया है। ओपन हार्ट सर्जरी के लिए 8 ट्रेंड नर्सिज की प्रपोजल तैयार की गई है। बाईपास मैकेनिक टैस्ट करने वाले 4 लोगों की प्रस्तावना तैयार की गई है। ओपन हार्ट सर्जरी हेतु जो ऑप्रेशन थियेटर है उसको भी अपग्रेड करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी पिछले दिनों वहां पर गए थे और इन्होंने वहां पर वैंटिलेटर इत्यादि की सुविधा के बारे में कहा था जोकि वहां पर पहुंच गए हैं। जहां ओपन हार्ट सर्जरी होगी वहां 4 वैंटिलेटर्ज की आवश्यकता है। जिसके लिए विभाग ने प्रस्तावना तैयार कर दी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि ओपन हार्ट सर्जरी (CTVS) टांडा मैडिकल कॉलेज में शुरू हो। माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग को आश्वस्त किया है कि विभाग इस बारे प्रस्तावना बनाकर भेजें। इस मैडिकल कॉलेज को आने वाले दिनों में क्रियाशील बनाना है जिसके लिए मैं आपको इस सदन और माननीय मुख्य मंत्री जी के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं। धन्यवाद।

अरुण कुमार जी श्री बी0एस0... द्वारा जारी

29.08.2018/1200/बी.एस/एच.के./-1

प्रश्न संख्या 707 क्रमागत ..

श्री अरूण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने हाल ही में जो डांडा मैडिकल कॉलेज के लिए कार्य किया है उसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूं। डांडा मैडिकल कालेज मेरे विधान सभा चुनावक्षेत्र के अंदर ही पड़ता है। पिछले 7 महीनों के अंतराल में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जितना भी कार्य किया है वह सराहनीय है । माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी पिछली बार जब डांडा मैडिकल कॉलेज गए थे तो हमने उन समस्याओं के बारे में इन्हें अवगत करवाया था । वहां पर हमारी एम.आर.आई. और सीटी स्केन की मशीनें थी वह खराब पड़ी रहती थी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया जल्दी अपना प्रश्न पूछें प्रश्न काल समाप्त हो रहा है।

श्री अरूण कुमार : माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक सिटी की मशीन और एक एम.आर.आई. की मशीन और 10 वेंटिलेटर्स का प्रावधान किया है। मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हमारे डांडा मैडिकल कालेज में 9 ऐसे बच्चे हैं जोकि गुंगे और बहरे हैं । ऐसे बच्चें के गले में एक यंत्र लगाया जाता है जिससे वे सुन और बोल सकते हैं। उस यंत्र की कीमत लगभग 5.25 लाख रुपये है । पहले यह केन्द्र का प्रोजैक्ट था उसके तहत ऐसे बच्चों को वह यंत्र डाला जाता था उसके बाद वे बच्चे बोलने और सुनने शुरू हो जाते थे। मेरे पास ऐसे से 9 बच्चों के नाम हैं, क्या माननीय मुख्य मंत्री इन बच्चों को यह यंत्र उपलब्ध करवाने में सहायता करेंगे?

प्रश्न काल समाप्त

29.08.2018/1200/बी.एस/एच.के./-2

Point of Order

Sh. Rakesh Singha: Hon'ble Speaker, Sir, I would like to raise this 'Point of Order'. Yesterday, the Himachal Pradesh Government, without the approval of the Cabinet, has taxed the school children very heavily. I request the

Government, through you, to please remove that tax which has come in the form of bus fare and that is only limited to the children of Shimla.

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया आप इस बारे में नोटिस दे दीजिए, बिना नोटिस के यह स्वीकार्य नहीं होगा।

29.08.2018/1200/बी.एस/एच.के./-3

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मन्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं-

i. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 98(8) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पांचवे राज्य वित्तायोग का प्रतिवेदन, वर्ष 2018; और

ii. हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के नियम 16 के उप-नियम 12 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 ।

29.08.2018/1200/बी.एस/एच.के./-4

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब श्री हर्षवर्धन चौहान, सदस्य, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक- एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे:-

Sh. Harshwardhan Chauhan: Mr. Speaker, Sir, with your permission, I present and lay on the Table of the House a copy each of the Reports of the Committee on Public Accounts:

i समिति का 17वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 282वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सिंचाई एवं जन- स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है;

ii समिति का 18वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 214वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सिंचाई एवं जन- स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है; और

iii. समिति का 19वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 171वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा पशुपालन विभाग से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष : अब श्री रमेश चंद ध्वाला, सभापति, प्राक्कलन समिति , प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री रमेश चंद ध्वाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति के वर्ष 2018-19 समिति का तृतीय कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 24वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर

29.08.2018/1200/बी.एस/एच.के./-5

आधारित तथा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब श्री, नरेन्द्र बरागटा, सभापति, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति, के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री नरेन्द्र बरागटाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति, वर्ष 2018-19 समिति का नवम् मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13(आर्थिक क्षेत्र) के ऑडिट पैरा 2.1.1 से 2.1.12 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब श्री सुख राम, सभापति, कल्याण समिति, कल्याण समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री सुख रामः अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति (वर्ष 2018-19), समिति का 26वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 34वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि जनजातीय विकास विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब श्री राकेश पठानिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति, जन-प्रशासन समिति के प्रतिवेदनों की एक- एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

29.08.2018/1200/बी.एस/एच.के./-6

Sh. Rakesh Pathania: Mr. Speaker, Sir, with your permission, I present and lay on the Table of the House a copy each of the Reports of the Committee on Public Administration:

i. समिति का पंचम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 37वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का 23वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 29वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि सहकारिता विभाग से सम्बन्धित है ।

श्री डी.टी. द्वारा जारी..

29-08-2018/1205/DT/YK/1

नियम-130 के अन्तर्गत दिनांक 27 अगस्त, 2018 को पर्यटन नीति पर हुई चर्चा का उत्तर

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, नियम-130 के अन्तर्गत दिनांक 27 अगस्त, 2018 को पर्यटन नीति पर हुई चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्य मन्त्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री होशयार सिंह, श्री राकेश पठानिया, श्री नरेन्द्र ब्राक्टा, श्री सुरेश कश्यप व श्री बलबीर वर्मा द्वारा नियम-130 के अन्तर्गत सरकार की 'पर्यटन नीति पर यह सदन विचार करे" चर्चा

इस माननीय सदन में लाई थी। बहुत ही महत्पूर्ण चर्चा इस माननीय सदन में लाई गई मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इस सदन के 18 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और अच्छे सुझाव भी दिये गये हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से जो कमियां उन्होंने अनुभव की है उस पर भी उन्होनें अपने विचार रखे। हिमाचच प्रदेश निश्चित रूप से प्राकृतिक सम्पदाओं से परिपूर्ण है। प्राकृतिक सम्पदा के साथ-साथ प्राकृतिक सौन्दर्य भी हमारे प्रदेश में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा कम नहीं है। लेकिन यह भी सत्य है कि पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सारी सम्भावनायें जो हमारे पास उपलब्ध थी उन सम्भावनाओं पर हम उतना केन्द्रित होकर कार्य नहीं कर पाये, इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। मात्र कुछ स्थान चिन्हित करने के बाद वहां पर हमें बड़े-बड़े होटल खड़े करे दे और यह मान लें की पर्यटन के क्षेत्र में जो हमारा काम करने का मकसद था वह पूरा हो गया है, तो मेरा मानना है कि यह बात उचित नहीं है। पिछले लम्बे अर्से से कश्मीर में स्थिति सामान्य नहीं चल रही है। इसकी वजह से नार्थ का जो पर्यटक है वह स्वाभिक रूप से हिमाचल की ओर अपना रूख कर रहा है। उसे लगता है कि कश्मीर के बाद अगर कोई और स्थान है जहां शान्ति है, प्राकृतिक सौन्दर्य है, जहां कानून व्यवस्था भी बाकी प्रदेशों की तुलना में बेहतर है इसलिए नार्थ का पर्यटक हिमाचल प्रदेश की ओर रूख कर रहा हैं। प्रश्न यह उठता है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को हमनें अपनी ओर से क्या दिया है? सरकार की ओर से भी इस दिशा में करने के लिए बहुत सारी बातें है। हम हर सत्र में किसी न किसी रूप में पर्यटन के बारे में चर्चा करते हैं लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि चर्चा के दौरान हम कोई नीति बनाकर आगे

29-08-2018/1205/DT/YK/2

बढ़ें। ऐसी परिस्थिति आज तक निर्मित नहीं हो पाई । मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ी कमी है। देश भर में बहुत सारे ऐसे प्रदेश है जहां पर पर्यटन की द्रष्टि से पर्यटक को

आकर्षित करने की उतनी सम्भावनायें नहीं है जितनी हमारे प्रदेश में उपलब्ध हैं। आज की तारीख़ में छोटे-छोटे प्रदेश भी पर्यटन की दृष्टि से हमसे आगे निकल जाऐं यह सचमुच हमारे लिए आंख खोलने की बात है। हमने कुछ नए इनीसिएटिव लेने की कोशिश की है

एन0जी0द्वारा जारी

29/8/2018/1210/वाई0के0/एन0जी0-1

मुख्यमन्त्री जारी.....

और नए इनिशीएटिव के लिए हमने खुलापन रखा है । हम तो सब लोगों से सुझाव लेने के लिए आग्रह कर रहे हैं । किसी को कुछ कहना है और बेहतर सुझाव किसी के पास उपलब्ध है तो वह अपना सुझाव दे और उसमें हम क्या कर सकते हैं उसे करने की कोशिश करेंगे । जब हम इस वर्ष का बजट बना रहे थे और मुख्य मन्त्री होने के नाते पहली बार बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला। हमने देखा की टूरिज्म विभाग में बजट प्रावधान कितना होता है और मालूम पड़ा के टूरिज्म के लिए हम सब भाषण तो बहुत देते हैं और बातें भी बहुत करते हैं लेकिन टूरिज्म को बढ़ावा देने की दृष्टि से हमारे पास बजट का प्रावधान आज से पहले न के बराबर था । केवल सैलरी और लाईबिलिटीज को पूरा करने के लिए बजट का प्रावधान किया जाता था । इसलिए हमने सोचा के कुछ हट कर करना चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ कि टूरिज्म के लिए बजट में प्रावधान किया गया। हमारी परिस्थिती ऐसी नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा बजट प्रावधान कर सकें लेकिन फिर भी हमने अलग से 50 करोड़ रूपये हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म के विकास के लिए प्रस्तावित किए हैं और ऐसा हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय, सिक्किम एक छोटा सा प्रदेश है लेकिन छोटा प्रदेश होने के बावजूद उसने पिछले कुछ समय में पर्यटन के क्षेत्र में ऐसे इनिशीएटिव लिए हैं जिसके कारण उसने पूरे देश के नक्शे में पर्यटन के क्षेत्र में अपना एक अलग स्थान हासिल कर

लिया है । मैं पिछले दिनों दिल्ली गया था जहां माननीय प्रधानमन्त्री जी मिलना हुआ । उन्होनें मुझे विशेष तौर से कहा कि हिमाचल प्रदेश में बाकी सब तो ठीक है लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सम्भावनाऐं हैं परन्तु सरकार की ओर से पर्यटन के विकास के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है । वहां पर जो व्यवस्था है वो कुछ एक स्थानों पर ही चिन्हित है और उस व्यवस्था के कारण ही आपका टूरिज्म चल रहा है ।

29/8/2018/1210/वाई0के0/एन0जी0-2

उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया कि अगर हो सके तो आप अपने नौजवान विधायक जो इनिशीअटिव लेने वाले विधायक हैं, जो सिक्किम जा कर के कुछ देख सकते हैं और पर्यटन के विकास के लिए बेहतर सोच सकते हैं तो उन्हें सिक्किम भेजिए । सिक्किम राज्य ने पर्यटन के विकास के लिए कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किया लेकिन स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया और देश का पहला ओ.डी.एफ. राज्य घोषित हुआ । इसके साथ उन्होंने ओर्गेनिक खेती के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किया और उससे भी पूरे देश को सीखने की आवश्यकता है । उन्होंने ने पर्यटन के लिए सिक्किम से सीखने की बात कही। सिक्किम राज्य में कई धर्मों के लोग रहते हैं, वहां विभिन्न धर्मों के मठ भी हैं। सिक्किम में यह जो सारी चीज़ें हैं जो पर्यटन के लिए आकर्षण का केन्द्र है। इसलिए माननीय प्रधानमन्त्री महोदय जी कहा कि हमें अपने विधायकों को वहां भेजना चाहिए। मैने अपने विधायक साथियों से चर्चा की ओर कहा कि इस विषय में कुछ करना चाहिए। हमें खुशी है कि हिमाचल प्रदेश से कुछ विधायक वहां पर भेजे और वह वहां देखकर आए। उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही भेजे गये उसमें हमने सभी दलों के विधायक भेजे, क्योंकि सभी चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं और सभी को जाना चाहिए। उन्होनें वहां जाकर देखा और उन्होनें अपनी रिप्रेजन्टेशन भी दी है। उन्होनें हमें कुछ सुझाव दिये हैं और जिन सुझावों में काम करने की आवश्यकता होगी, हम करेंगे। इस दृष्टि से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि नए इनिशीएटिव लेने की अगर बात है तो वो हमने लिए हैं । हमारे साथियों ने कहा कि हमारे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के नाम पर केवल शिमला, मनाली, कुल्लु और डलहौजी आदि कुछ स्थान है जिन्हें जाना जाता है और इस बात से मैं

भी सहमत हूं । इन सभी स्थानों में पर्यटन की दृष्टि से जो कुछ किया जा सकता था वो किया जा चुका है और अधिक कुछ करने की अब गुंजाईश नहीं है । अब हमें हट कर काम करना होगा । बाहर से टूरिस्ट शिमला आए और उसे शिमला से निकल के ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पर उसे कुछ नया देखने को मिले ।

श्री आर0जी0 द्वारा जारी.....

29/08/2018/1215/RG/YK/1

मुख्य मंत्री-----जारी

और उस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में एक नई योजना की शुरूआत की, 'नई राहें, नई मंज़िलें।' यानि उसका अभिप्राय यह है कि नए वर्जिन डेस्टीनेशन हमको आईडैन्टीफाई करने चाहिए, जहां हम धीरे-धीरे अपने सीमित साधनों में वहां जो इन्फ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, वे दें और पर्यटक वहां पहुंचे। वहां उसको देखे और देखने के बाद, पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में उसका एक ऐक्सपोज़र हो। उस तरह से भी हमने काम करने की कोशिश की। लेकिन हमें यह भी मानकर चलना चाहिए कि ये काम इतने सरल नहीं हैं, कठिन हैं। फिर भी हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हिम्मत रख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को भी मानता हूं कि पर्यटन हमारे नौजवानों की आय जनरेट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। हम हमेशा से इस बात को कहते आए हैं और आज भी इस बात को कह रहे हैं क्योंकि कुछ लोग सरकार में रहकर ऐसा कहते हैं कि हम सबको रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन मैं इस बात को कभी नहीं कहता हूं। न मैं आज इस बात को कहता हूं और न ही आगे भी इस बात को कहने की स्थिति होऊंगा। यह संभव ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार नौजवानों का आंकड़ा लगभग 10,00,000 है, जिसका जिक्र प्रायः होता है। क्या उन सबको हम सरकारी नौकरी दे पाएंगे? न तो इस पक्ष के लिए और न ही सामने बैठे हमारे मित्रों के लिए यह संभव है। इसलिए मुझे लगता है कि जिसके माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश में रोज़गार के संसाधन जुटा सकें, मुझे लगता है कि वह पर्यटन ही एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें बेराजगारों को रोजगार के साधन जुटाने और उनको स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए

बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस प्रकार मुझे लगता है कि इस पर और भी ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, नए इनिशियेटिव की बात आती है। हम बहुत सुनते थे। एक दिन किसी कार्यक्रम में हम उत्तराखण्ड के मुख्य मंत्री के साथ बैठकर बात कर रहे थे। वहां ऐसे ही बात चली। मैंने उनसे पूछा कि आपके प्रदेश में कितने हैली टैक्सी चलती हैं? उन्होंने कहा कि हमारे यहां देहरादून से कम-से-कम 15-20 चौपर हमेशा इस काम पर लगे रहते हैं। हम संकोच से कुछ कह नहीं पाए। मुझे लगा कि कहीं ये हमसे न पूछ लें कि आपके यहां कितने चौपर चलते हैं? फिर आखिरकार उन्होंने पूछ ही लिया। उनके प्रदेश में विशेषकर बद्रीनाथ और केदारनाथ दो ऐसे टूरिस्ट्स डेस्टीनेशन हैं जहां बहुत बड़ी तादाद में हैली टैक्सी का उपयोग हो रहा है और वहां

29/08/2018/1215/RG/YK/2

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन दोनों स्थान के लिए 15-20 हैलीकॉप्टर मेन सीजन में लगे रहते हैं। दो-चार महीने का वहां मेन सीजन होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हैली टैक्सी का उपयोग वहां बड़े पैमाने पर होता है। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपके यहां भी हैली टैक्सी सेवा है, तो मैंने कहा कि हां, हम कोशिश कर रहे हैं। सिवाय यह कहने के हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैंने आकर अपने अधिकारियों से बातचीत की। मैंने कहा कि हैली टैक्सी सेवा बाकी सब प्रदेशों में हो गई, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सब जगह हैली टैक्सी सेवा चल रही है, पर्यटकों को बाई एयर कनैक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है और पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लेकिन हम इस पर काम क्यों नहीं कर पा रहे? अधिकारियों ने कहा कि ऐसा किया जा सकता है लेकिन इसमें समय लगेगा। हमने पूछा कि कितना समय लगेगा, तो उन्होंने कहा कि इसमें 8-9 महीने तो लगते हैं क्योंकि इसमें इन्टरनेशनल बिडिंग होगी, टैण्डर होता है और इसकी एक प्रक्रिया होती है। इस प्रकार से इसमें समय लगेगा। मुझे लगा कि 8-9 महीने का मतलब है कि इसमें साल निकल जाएगा। हमने कहा कि जल्दी कैसे कर सकते हैं? इस पर विचार-विमर्श हुआ, मैंने कहा कि हमारे पास यह जो बड़ा हैलीकॉप्टर है जो सरकार का है जिसका मुख्य मंत्री के प्रवास के लिए उपयोग होता है और कभी यह जनजातीय क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने पूछा कि क्या इसका उपयोग नहीं किया जा सकता? हम तो कभी-कभी इसका

इस्तेमाल करते हैं, बाकी दिनों में तो यह धूप सेक रहा होता है। तब अधिकारियों ने कहा कि ऐसा किया जा सकता है। फिर हमने कहा कि यदि इसका उपयोग किया जा सकता है, तो करो। कम-से-कम शुरूआत तो करो। इस प्रकार से हमने इसकी शुरूआत की

एम.एस. द्वारा जारी

29/08/2018/1220/MS/AG/1

मुख्य मंत्री जारी---------

और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने पहले दो दिन के लिए एक हफ्ते में शिमला से चण्डीगढ़ और चण्डीगढ़ से शिमला किया। उसके बाद बीच में उसको हमने हफ्ते में तीन दिन कर दिया क्योंकि सब लोगों ने सुझाव दिए कि यदि इसको अल्टरनेटिव-डे पर करें तो उसका ज्यादा लाभ रहेगा। इसलिए इसे हमने अल्टरनेटिव-डे पर किया। सिर्फ अभी बरसात के मौसम में हमने एक महीने के लिए कहा है कि अभी तो हफ्ते में दो दिन का ही करेंगे क्योंकि अभी बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं बल्कि शिमला के लिए महीने में टोटल फ्लाइट्स तीन या चार ही आ रही हैं। आज की तारीख में यह स्थिति है। आज की फ्लाइट भी कैंसिल हुई है और पिछले कल की भी कैंसिल हुई थी। इसलिए ऐसी परिस्थिति में बरसात के मौसम में एक-दो महीने हमें दिक्कत है। अध्यक्ष जी, जब हमने इसकी शुरुआत की तो उस समय परिस्थिति यह थी कि सीट मांगने के लिए लोगों की लाइनें लगी थी क्योंकि 20 मिनट में शिमला से चण्डीगढ़ पहुंच जाते हैं और शिमला से चण्डीगढ़ और चण्डीगढ़ से शिमला सीटें फुल रहती थीं। इस नई चीज की शुरुआत करने से हमें एक चीज का लाभ हुआ कि जहां पहले हिमाचल में हैलीटैक्सी के बारे में कोई भी बात नहीं करता था अब जितनी भी कम्पनीज के पास हैलीकॉप्टर्ज हैं उनका हिमाचल के प्रति आकर्षण बढ़ा है कि हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करना है। अभी हमने इसके लिए टैण्डर किया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही हम हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे स्थानों पर हैलीटैक्सी के माध्यम से देश और दुनिया के बहुत से पर्यटकों को लाने की स्थिति में हो

जाएंगे। तो प्रश्न था कि ये सारी चीजें पहले क्यों नहीं सोची? मैंने कहा कि अगर ये चीजें पहले नहीं सोची तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, जिनका है उनको पूछा जाना चाहिए। अध्यक्ष जी, इसके अलावा बहुत सारी चीजों को लेकर हम पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब हमने देखा कि अपने संसाधनों से यह संभव नहीं है कि हम हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने जैसा कोई बहुत बड़ा काम कर सकते हैं तो हमने कहा कि कुछेक क्षेत्रों को विकसित करने के लिए हमें प्रोजैक्ट बनाकर दिल्ली भेजना चाहिए। हमने 1892

29/08/2018/1220/MS/AG/2

करोड़ रुपये का एक प्रोजैक्ट बनाकर केन्द्र में ए0डी0बी0 की स्वीकृति के लिए भेजा। हमारा इस सरकार के आने के बाद यह पहला इनीशिएटिव था कि हिमाचल प्रदेश की 'पर्यटन राज्य' के रूप में एक अलग से पहचान बननी चाहिए। 'सेब राज्य' के रूप में हिमाचल को पहले ही जाना जाता है और थोड़े वक्त के लिए हिमाचल को 'ऊर्जा राज्य' के रूप में भी जाना जाता रहा लेकिन अब वह हमारी पहचान धूमिल हो गई है, यह बात मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। हमारी वह पहचान खो गई है। उसके बाद फिर हमने कहा कि पर्यटन राज्य के नाते हिमाचल प्रदेश का एक अलग स्थान प्रदेश और दुनिया के मानचित्र पर होना चाहिए। इसलिए उसके लिए एक प्रोजैक्ट बनाकर जैसा मैंने कहा, केन्द्र को भेजा और मुझे इस बात को लेकर प्रसन्नता है कि 1892 करोड़ रुपये का यह प्रोजैक्ट हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के लिए अनछूए क्षेत्रों को विकसित करने हेतु स्वीकृत हुआ है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज तक के इतिहास में पर्यटन विभाग में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह सबसे बड़ा प्रोजैक्ट केन्द्र से हमें मिला है। -(व्यवधान)-मैं टूरिज्म में कह रहा हूं। आप लोग इतनी डिटेल में मत जाइए। उसके साथ-साथ एक बात यह भी आई कि पहले भी हमारे जो ए0डी0बी0 के प्रोजैक्ट्स हैं उनकी स्वीकृति आई थी लेकिन उस पैसे का उपयोग जहां पर, जिस जगह पर होना चाहिए था, वहां नहीं हुआ। सचमुच में कुछ बातें ऐसी हुई हैं कि जिस तरह से चीजें होनी चाहिए थी उस तरह से कई जगह वैसी चीजें नहीं हुई हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की जो फण्डिंग हमें बाहर से आती है और उसमें हम हर

बात को लेकर यदि प्रश्नचिह्न पैदा करें तो वह उचित नहीं है क्योंकि आने वाले समय में हमें और भी प्रोजैक्ट्स केन्द्र से लेने हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

29.08.2018/1225/जेके/एजी/1

मुख्य मंत्रीः----जारी----------

और इसमें और आगे बढ़ते हुए काम करना है।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में धार्मिक पर्यटन का भी बहुत बड़ा स्थान है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले, यह बहुत जरूरी है और इसको हमेशा पर्यटन के साथ जोड़ कर रखना चाहिए। बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो श्रद्धा भाव से बहुत सारे धार्मिक स्थानों में दर्शन के लिए जाते हैं। वहां पर पर्यटन को प्रमोट करने की हमारी जिम्मेदारी है, उस पर हम काम करें। ऊना में चिन्तपूरनी माता का जो मंदिर है, वहां पर 50 करोड़ रूपए की लागत से हमने भारत सरकार की ओर से "प्रसाद योजना" के तहत मंजूरी ली है। इसके लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं। मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं वह है "नई राहें, नई मंजिलें।" उस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में कुछेक स्थान चयनित किए। इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको भी जोड़ दो, उसको भी जोड़ दो लेकिन यह सम्भव नहीं है। हम भी चाहते हैं कि बहुत सारे स्थानों को इसमें जोड़ा जाए और इसमें हम कोशिश भी करेंगे । हमने 50 करोड़ रूपए की लागत से एक गुंजाइश रखी है, एक प्रावधान रखा है उसके तहत हमने शिमला जिला का चांशल, कांगड़ा जिला का बीड़ बिलिंग, मण्डी जिला का जंजैहली और इसके साथ-साथ हमने और भी स्थान चिन्हित किए हैं जहां पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। इस दृष्टि से आने वाले समय में नई डैस्टिनेशन, वर्जिन डैस्टिनेशन, जहां पर पर्यटकों को पहुंचाने की दृष्टि से काम करने की आवश्यकता है, उसमें हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा चिन्ता का विषय है कि जो पर्यटक यहां पर आता है, जब वह हिमाचल में पहुंचता है तो

खुश होता है। यहां की हवा अच्छी है, यहां के लोग अच्छे हैं और यहां पर सारी चीजें अच्छी हैं लेकिन यहां के रास्तों से चलते-चलते उसको बहुत सी कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ता है। यहां से वापिस जाते-जाते भी उसे कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ता है। मेरा अभिप्राय हिमाचल प्रदेश में कनैक्टिविटी से है। कनैक्टिविटी बहुत ही आवश्यक है। लोग पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल में घूमनें के लिए आना चाहते हैं, पैसा खर्च करना चाहते हैं लेकिन इसके लिए साधन और सुविधाएं चाहिए । आज बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास ऐसा टूरिस्ट आना चाहता है जो पैसा खर्च करने के लिए तैयार है लेकिन हमारे

29.08.2018/1225/जेके/एजी/2

पास सबसे बड़ी कठिनाई है कि जब हम उसको निमंत्रण देते हैं कि आप हिमाचल आइए, हिमाचल को देखिये और हिमाचल में आ कर घूमिए तो आते-जाते वह आदमी सफर से टूट जाता है क्योंकि हमारी कनैक्टिविटी की स्थिति जिस दृष्टि से होनी चाहिए थी वह अभी तक नहीं हो पाई है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश को केन्द्र सरकार ने 69 नेशनल हाई-वेज़ दिए हैं। कुछ यहां पर फोर लेन के भी काम चले हुए हैं। उससे भी हमें बहुत बड़ी उम्मीद है क्योंकि जब ये फोर लेन बन जाएंगे, नेशनल हाई-वेज़ बन जाएंगे तो मुझे लगता है कि कनैक्टिविटी की बहुत बड़ी गुंजाइश हो जाएगी यदि पर्यटक सड़क मार्ग से भी आना चाहेगा तो उसे अच्छी कंडिशन में सड़क मिल जाएगी। उसको अच्छी कंडिशन में आने-जाने की सुविधा मिल जाएगी। मुझे लगता है कि इससे उस पर्यटक को बहुत बड़ी राहत होगी जो यहां हिमाचल में आना चाहता है। इस दिशा में जितना काम होना चाहिए था उसमें हम उतनी प्रगति नहीं कर पाए। फोर लेन का काम चल रहा है। शिमला के लिए चल रहा है, मनाली के लिए चल रहा है और आने वाले समय में हमारा मण्डी-पठानकोट भी फोर लेन के अन्तर्गत आएगा कांगड़ा का काफी इलाका भी उसमें जुड़ेगा। हमारा कालका- शिमला फोर लेन का काम भी चल रहा है लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि दो या तीन साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में खासतौर से जो हमारी मेजर टूरिस्ट डैस्टिनेशन्ज़ हैं, वहां तक कनैक्टिविटी बाई रोड़ की काफी सुधर जाएगी। मैं, प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि

उन्होंने हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियों को समझा। आदरणीय नीतिन गडकरी जी के समक्ष जब हमने कहा कि हमारे हिमाचल प्रदेश में सड़कें गांव तक तो पहुंची लेकिन अब लोग चाहते हैं कि उनको अच्छी सड़कें उपलब्ध हों। अच्छी सड़कें तभी सम्भव हो पाएगी जब हमें केन्द्र सरकार से नेशनल हाई-वेज़ और फोर लेन के प्रोजैक्ट्स स्वीकृत होंगे । हम प्रयत्न तो कर रहे हैं और हमने कोशिशें भी की है ।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----

29.08.2018/1230/SS-DC/1

मुख्य मंत्री क्रमागतः

सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहले 100 करोड़ रुपया सड़कों की मैंटीनेंस के लिए दिया। वह इसलिए दिया क्योंकि सड़कों की हालत बहुत खराब थी। किसी का उस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा था। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जब हमारा नया बजट हुआ तो हमने 100 करोड़ रुपया और हिमाचल प्रदेश में सड़कों की मैंटीनेंस के लिए दिया। मुझे लगता है कि 100 करोड़ रुपया पिछला और 100 करोड़ रुपया अब का मिला करके जब बरसात के सीजन के बाद सड़कों की मैंटीनेंस का काम शुरू होगा तो हम काफी हद तक सड़कों में सुधार कर पाने की स्थिति में होंगे। उसके बावजूद भी जो हमको केन्द्र सरकार से नेशनल हाईवेज़ के बड़े प्रोजैक्टस मिले हैं उन पर जब काम होगा तो हिमाचल प्रदेश में बाई रोड कनैक्टिविटी में बहुत सुधार होगा। पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए वह बहुत कारगर साबित होगा।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद मैं आगे बढ़कर बाई एयर कनैक्टिविटी की बात कहूंगा। बाई एयर कनैक्टिविटी में हमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हमारे सिर्फ तीन जगह एयरपोर्ट हैं। एक एयरपोर्ट हमारा शिमला में है, एक कुल्लू में है और उसके बाद कागड़ा में है। हमारी एयर स्ट्रिप 1100-1200 मीटर की हैं। इसलिए जितने भी हमारे पास एयरपोर्टस हैं वे सारे लोड पैनल्टी के साथ हैं। यहां से विदेश जाना सस्ता पड़ रहा है लेकिन उसके बावजूद यहां शिमला, कुल्लू-मनाली आना और शिमला से चंडीगढ़ या दिल्ली जाना बहुत

महंगा पड़ता है। उसका कारण यह है कि हमारे पास एयर स्ट्रिप छोटी हैं। उसकी एक्सपेंशन की गुंजाइश निकल नहीं पा रही है। एक्सपेंशन की गुंजाइश नहीं निकल पा रही तो लोड पैनल्टी के कारण बहुत ज्यादा किराया लग रहा है। 15000, 17000, 18000 का टिकट लग रहा है। वह परिस्थिति विद्यमान है। इस परिस्थिति को हम स्वीकार करते हैं। इसलिए हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए हमने इससे हट करके मामला टेक अप किया। कांगड़ा के एयरपोर्ट की हमने बात की। हमने उसमें केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा कि कांगड़ा के एयरपोर्ट को और बड़ा करने की गुंजाइश है और आसानी से किया जा सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हमने केन्द्र सरकार के समक्ष इस प्रस्ताव को रखा तो डिफैंस मिनिस्ट्री ने पहले ही स्वतः अपनी ओर से एक प्रस्ताव हमारे समक्ष रखा। पठानकोट में पिछले

29.08.2018/1230/SS-DC/2

अरसे एक घटना हुई, आतंकवादी हमला एयरपोर्ट पर हुआ। उसके कारण हमारे फौजियों की जानें चली गईं। आतंकवादी बाद में मारे गए और ऐसा महसूस किया कि वह एयरपोर्ट उतना सुरक्षित नहीं है जितना सुरक्षित आर्मी के लिए होना चाहिए। अगर उन्होंने उसका कोई ऑल्टरनेटिव प्रॅपोज किया तो हमारा कांगड़ा का एयरपोर्ट प्रॅपोज किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने कुछ प्रस्ताव हमारे समक्ष रखे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि थोड़ी-सी जमीन आप दें। थोड़ी-सी जमीन के साथ-साथ हम उसमें थोड़ा-सा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी जब कांगड़ा के एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप बड़ी होगी और बड़ी होने के साथ-साथ जब वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्वीकृति के बाद उपलब्ध हो पायेगा तो हमारे पास छोटा एरोप्लेन नहीं बल्कि मीडियम साइज का एरोप्लेन वहां उतरने की स्थिति में हो पायेगा। उससे मुझे लगता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए एक कनैक्टिविटी का बहुत बड़ा रास्ता खुलेगा। शिमला का एयरपोर्ट हमने एग्जामिन किया। अध्यक्ष महोदय, शिमला में आप कल्पना कर सकते हैं कि पिछले छः वर्षों में वह एयरपोर्ट बंद रहा। पूरी तरह से बंद रहा। उसमें जो भी परिस्थिति रही लेकिन वह बंद तो रहा। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन मैं आदरणीय

प्रधान मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने खुद दिल्ली से आ करके शिमला एयरपोर्ट पर हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश भर में उड़ान की जो सुविधा का उद्घाटन करना था, उसकी शुरूआत हिमाचल प्रदेश के शिमला एयरपोर्ट से हुई। परिस्थिति आपके सामने है और शुरूआत हुई। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। -- (व्यवधान)-- अध्यक्ष महोदय, कम-से-कम हमारे मित्रों को एक बात तो समझनी चाहिए कि उसके पश्चात् एयरपोर्ट वर्किंग कंडीशन में आया। वह एयरपोर्ट चलने की स्थिति में तो आया। आज वहां पर चाहे छोटी फ्लाइट आती है लेकिन वह आ तो रही है। इसलिए मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक इनीशियेटिव लिया। हमने कुल्लू एयरपोर्ट एग्जामिन किया। उसके एक्सपेंशन की गुंजाइश नहीं निकल पा रही है। इसके लिए हमने केन्द्र में प्रस्ताव दिया हुआ है। हमने कहा कि अगर ब्यास नदी के ऊपर इसको आगे बढ़ाया जाए, अगर इसकी एक्सपेंशन की गुंजाइश निकलती है तो उस पर आगे काम किया जाए। नितिन गडकरी जी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे काम को केन्द्र में देखते हैं,

जारी श्रीमती के0एस0

29.08.2018/1235/केएस/डीसी/1

मुख्य मंत्री जारी----

उन्होंने कहा कि मैं एक एक्सपर्ट टैक्निकल टीम भेजूंगा अगर सम्भव हो पाया तो उसमें नीचे से रीवर और ऊपर से जैसे फ्लाई ओवर बनता है, उस तरह से एअरपोर्ट की एक्सपेंशन की गुंजाइश निकलेगी तो उसको भी एग्ज़ामिन करेंगें। हमने एक बात और कही कि इस झमेले में कि शिमला का एअरपोर्ट नहीं बढ़ सकता, कुल्लू का एअरपोर्ट बड़ा नहीं हो सकता, हमने कहा कि हमको अलग से और एअरपोर्ट दीजिए। हमने प्रस्ताव केन्द्र के समक्ष रखा। केन्द्र से टीम आ कर तीन-चार स्थानों का विज़िट करके गई है और उन्होंने उसकी औपचारिकताओं को आगे बढ़ाया है। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, पर्यटन की दृष्टि से भी आवश्यकता है, हिमाचल के

लिए कनैक्टिविटी के हिसाब से आने-जाने की सुविधा अच्छी हो, उस दृष्टि से हम कोशिश करेंगें कि यहां पर एक बड़ा जहाज उतरे और विपक्ष के साथियों को भी उसमें जाने का मौका मिले। उतरने और चढ़ने का मौका मिले।--- (व्यवधान)---

अध्यक्षः कृपया बैठे-बैठे मत बोलिए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यही तो है। पर्यटन को बढ़ावा इसीलिए नहीं मिल पाया। ये इसी तरह से बोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह होम स्टे एक बहुत बेहतरीन शुरूआत है। इससे भी पर्यटन को बढ़ावा मिला है। हिमाचल प्रदेश में इसको और बढ़ावा देने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमने एक और सुझाव रखा है। मैं स्वयं एक बार पोर्टब्लेयर गया था । हम कमेटी के टूअर पर गए थे। वहां घूमने के बाद शाम को हमें बताया गया कि यहां पर लाइट एण्ड साउन्ड प्रोग्राम होता है जिसको देखने के लिए सभी लोग आते हैं। हम वहां पर गए। वहां पर हजार-डेढ़ हज़ार लोग उस जगह पर बैठ सकते हैं। वहां पर सैल्यूलर जेल का लाइट एण्ड साउंड के माध्यम से इतना मार्मिक प्रस्तुतिकरण होता है । लगभग 40-50 मिनट का वह कार्यक्रम होता है। जब कार्यक्रम

समाप्त हुआ तो एक भी आदमी वहां पर ऐसा नहीं था जिसके हाथ में रुमाल नहीं था। किस प्रकार से स्वतंत्रता के लिए हमारे लोग लड़ते रहे, किस प्रकार उनको अंग्रेजों ने यातनाएं दी, उनको कहां पर फांसी दी जाती थी, कहां उनकी लाश फेंकी जाती थी, किस प्रकार उनको बैल की जगह कोल्हू में जोड़ा जाता था, किस प्रकार पीटा जाता था, कहां वीर सावरकर जी रहते थे, इन सारी चीजों का एक पेड़ सूत्रधार बन कर उसका ज़िक्र करता है कि मैं चश्मदीद गवाह हूं कि अंग्रेजों ने क्या-क्या किया? हम देख रहे हैं कि इस तरह की

हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी सम्भावनाएं हैं। हमारा शिमला अंग्रेजों के जमाने में उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है। उस दृष्टि से हमने टूरिज्म के अधिकारियों के सामने एक प्रस्ताव रखा। हमने कहा कि शिमला का रिज मैदान और माल रोड़ तो पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है ही परन्तु शिमला से जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं जो हमारे इतिहास को भी दोहराती हैं। लोग यहां आए, सिर्फ शिमला का मालरोड़ और रिज देख कर घूम कर चले जाए, पर्यटन की दृष्टि से वह भी आवश्यक है लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शिमला का क्या ऐतिहासिक महत्व है, उसके बारे में भी जानकारी दी जाए। हमने कहा कि हम चाहते हैं कि शिमला में भी आने वाले समय में एक लाइट एण्ड साउन्ड जैसा कार्यक्रम निर्धारित करें और उस पर हम कार्य शुरू कर चुके हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं ।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

29.8.2018/1240/av/hk/1

मुख्य मंत्री-------- जारी

उसमें शिमला का टाउनहाल, गेयटी थियेटर, चर्च, बेन्टिन कैसल, ऐडवांस्ड स्टडीज इत्यादि ऐसे ऐतिहासिक स्थान हैं जहां पर महात्मा गांधी जी आकर रुके। इसके अतिरिक्त वहां पर अंग्रेजों के अधिकारी रहे हैं। ये बातें हमारे शिमला के इतिहास के बारे में इस प्रकार से जानकारी देती है जिसकी हमारे हिमाचल वासियों और शिमलावासियों को भी नहीं है, बाकी की तो बात छोड़िए। हमने कहा कि वहां पर इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। वहां पर देश-दुनिया से जितने भी पर्यटक आते हैं वे शाम को सैलुलर जेल में उस कार्यक्रम में बैठते हैं। इसलिए शिमला में भी आने वाले समय में हम इस प्रकार का कार्यक्रम शुरू करेंगे। उसके लिए रानी झांसी पार्क या बेन्टिन कैसिल में से किसी एक स्थान पर यह कार्यक्रम किया जा सकता है। पर्यटक शिमला घूमने के साथ-साथ यहां का इतिहास भी

जानें; हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की पहल शुरू करने के लिए हमें लम्बे समय तक याद किया जायेगा। हम तो आप को भी बोल रहे हैं कि आप भी इस तरह के नये सुझाव दो, हम आपको भी उसमें जोड़ेंगे और बोलेंगे कि यह सुझाव हमारे उन-उन मित्र के माध्यम से आए हैं। यहां पर जिस तरह से इनफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है तो मैं आपसे सहमत हूं कि इनफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत आवश्यक है। इस सदन में सभी माननीय सदस्यों ने बात कही है कि यहां पर टूरिस्ट आना चाहता है, रहना चाहता है लेकिन उनको बेसिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि जहां पर भी हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन्ज हैं वहां पर आने-जाने की सुविधा हो। उसके साथ-साथ वे-साइट एमेनिटीज को भी डैवल्प करेंगे। पर्यटकों के ठहरने-खाने की अच्छी व साफ-सुथरी व्यवस्था हो, हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त यहां पर 18 माननीय सदस्यों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बंधित सुझाव दिए हैं। माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी ने जो स्नो प्वाईंट डैवल्प करने की बात की है और

29.8.2018/1240/av/hk/2

मुझे लगता है कि यह हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक स्नो प्वाईंट; जहां पर भले ही बर्फ हो मगर फिर भी वहां तक पहुंचने के लिए वह सड़क चले और पर्यटक उस स्थान तक पहुंचे। हमारे यहां अभी तक केवल एक अट्रैक्शन रोहतांग का है। रोहतांग के अलावा हम कोई और स्नो प्वाईंट डैवल्प नहीं कर पाये हैं और वह भी कोई डैवल्प्ड नहीं है। वह केवल एक जगह है जिसको देखने के बाद टूरिस्ट वापिस आ जाता है लेकिन उसके बावजूद भी वहां के लिए टूरिस्ट की अट्रेक्शन रही है। हालांकि सरकार की तरफ से वहां कोई खास इनफ्रास्ट्रक्चर या सुविधा नहीं दी गई है। यह एक अच्छा सुझाव है और मुझे लगता है कि स्नो प्वाईंट्स डैवल्प करने चाहिए। पर्यटक यहां प्रकृति का आन्नद लेने आता है, सर्दी के मौसम में भी वह बर्फ में जाने के लिए कितना उत्साहित होता है इसलिए उसके लिए सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार का काम है और हम इसके लिए प्रयास करेंगे। आदरणीय ब्राक्टा जी ने यहां पर गिरि गंगा का जिक्र किया, मैं इस बात से सहमत हूं कि

यह एक बहुत ही सुंदर स्थान है। हालांकि मैं वहां पर अभी तक गया नहीं हूं और मैंने केवल वहां के फोटोग्राफ्स देखे हैं। माननीय सदस्य बलबीर जी ने कुपड़ तथा चूड़धार का जिक्र किया है। चूड़धार को हम आने वाले समय में डैवल्प करने की योजना बना रहे हैं। मोहन लाल ब्राक्टा जी ने चांशल का जिक्र किया। चांशल को तो मैं यह मानकर चल रहा हूं कि पूरे हिमाचल में स्नो स्कींग के लिए चांशल के सिवाय कोई दूसरी बेहतरीन जगह नहीं है। हम उसको विकसित करने की कोशिश करेंगे।

श्री टी सी द्वारा जारी

29.08.2018/1245/TCV/HK-1

माननीय मुख्य मंत्री.... जारी

माननीय सदस्य श्री सुरेश कश्यप जी ने भी पयर्टन के बारे में बात की है। इसके साथ-साथ होश्यार सिंह जी ने जो पौंग डैम की बात कही है, मुझे लगता है कि सचमुच उस दिशा में जाने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास पौंग डैम, कोलडैम, पंड़ोह डैम, लारजी डैम, चमेरा डैम व गोविन्द सागर जैसे ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशन्ज़ हैं। लेकिन इन सभी डेस्टिनेशन्ज़ को पर्यटन की दृष्टि से हमने कभी भी प्लॉन नहीं किया। मुझे लगता है कि आज के दौर में हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। एक दिन 15 अगस्त के कार्यक्रम के पश्चात् में शिमला आ रहा था, जब हम चौपर में शिमला के लिए रवाना हुए तो पौंग डैम के ऊपर से आये। मैंने सचमुच में कभी भी ऊपर से पौंगडैम का व्यू नहीं देखा था। मुझे लगता है कि वह अल्टीमेट साइट है, वहां पर पर्यटन की दृष्टि से बहुत कुछ किया जा सकता है। मैंने अपने अधिकारियों से चर्चा की, हम एक बार वहां दोबारा जाएंगे। एक दिन मैं वहां पर गया और वहां पर टूरिज्म के एक कैफे को देखकर हैरान हुआ। शायद कोई टूरिज्म इंर्फोमेशन सेंटर था, मुझे मालूम नहीं, कोई कैफे जैसा था, हमने वहां पर चाय पी। वहां पर लोगों के बैठने की जो जगह है, वहां से न झील दिखती है, न कोई व्यू है और न कोई प्रकृति दिखती है। ऐसी जगह पता नहीं क्यों हम तय कर देते हैं। इन सारी चीजों पर यदि

चर्चा करेंगे तो बहुत लम्बी बात हो जाएगी। हम बिना सोचे-समझे ही पैसा लगा देते हैं, कहां लगा देते हैं, क्यों लगा देते हैं? यह आज की तारीख में सोचने का विषय है। अगर हमने पैसा लगाना है तो कम-से-कम कोई ऐसा स्थान तो हो, जहां बैठकर लगे कि कोई नज़ारा दिख रहा है। जहां पर पर्यटक अगर बैठे तो वह बैठकर सोचने/देखने व अपना कैमरा निकालने के लिए विवश हो कि मैं यहां पर फोटों खींच लूं। मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना है। मुझे लगता है कि काम करने के ये तरीके बदलने पड़ेंगे और हम बदल भी रहे हैं। इसमें निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। पिछले दिनों मैं चम्बा गया था और वहां से आते हुए हम चमेरा-। डैम के पास रूके। वहां पर टूरिज्म और प्राइवेट सेक्टर को एक छोटा-सा प्वाइंट बोटिंग के लिए दिया है। मैंने उस जगह का नाम पहली बार सुना और नाम सुनने के बाद जब मैंने पता किया कि इस सीज़न में कितने टूरिस्ट आये तो पता चला कि 26000 टूरिस्ट वहां पर पिछले सीज़न में आये। यह एक छोटी-सी जगह है और हमने भी उसमें जाकर पूरा राउंड लगाया, यह बहुत सुन्दर जगह है। लेकिन हमने पर्यटन को विकसित करने की कभी

29.08.2018/1245/TCV/HK-2

कोशिश ही नहीं की। यदि छोटी-सी कोशिश की तो उस अननॉन डेस्टिनेशन में लगभग 26000 टूरिस्ट एक सीज़न में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रदेश में टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावनायें हैं। मैं सोच रहा हूं कि पौंग डैम में 2-3 चीजों का प्लॉन करेंगे। वहां पर पर्यटन के लिए जो कुछ किया जा सकता है, वह हम करने की कोशिश करेंगे। कुछ माननीय सदस्यों यह भी कहा कि हमारे पर्यटन विभाग में जो अधिकारी/कर्मचारी हैं, वह बहुत कोर्डियल नहीं है,उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। मैं इस बात से सहमत हूं। वे व्यवहार कुशल होने चाहिए। उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए और पर्यटकों को अच्छी सुविधा देने के लिए उनको काम करना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर मैं आगे बढ़कर यह भी ज़रूर कहना चाहता हूं ---(व्यवधान)---फिर आप कहेंगे कि शोर डालते हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि यह सब सरकारी क्षेत्र में संभव है? अगर आप इसी डब्बे में बन्द करके रहना चाहते हैं तो फिर हमको यहां पर पर्यटन के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटक आये और हमारे प्रदेश का नाम

पर्यटन की दृष्टि से दुनियां के नक्शे में एक सम्मानजनक स्थान पर पहुंचे तो उसके लिए आवश्यक है, हमें नये प्वाइंट्स जहां पर टूरिज्म के बहुत ज्यादा स्कोप हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ लोगों को आने की गुंजाइश देनी पड़ेगी।

श्रीमती एन0एस... द्वारा जारी ।

29-08-2018/1250/NS/YK/1

मुख्य मंत्री -----जारी।

जब हम इन सारी बातों को शुरू करने की बात करते हैं तो विपक्ष बोलना शुरू हो जाता है कि ऐसा क्यों कर दिया। हमें आपसे (विपक्ष) सहयोग चाहिए। अगर आप सच्चे मायने में दिल पर हाथ रख करके कहेंगे कि हम हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म की एक नई डेस्टिनेशन पर देखना चाहते हैं, नये स्थान पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि हम सब एक साथ मिल करके चलें। इससे न केवल किसी पार्टी का भला होगा बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश का भला होगा । इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप इसमें खुलापन जरूर रखें।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ नई बातों को ले करके आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं यहां पर रोपवे की बात करना चाहूंगा। इस माननीय सदन में काफी समय से रोपवे की बातें होती रहीं लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम अभी तक रोपवे के फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाये हैं, जहां हमें पहुंचना चाहिए था और हमें काम करना चाहिए था। इस दृष्टि से हम हिमाचल प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं कि रोपवे में जितने भी सरकार के पास प्रोजेक्ट्स हैं, उनको जल्दी-से-जल्दी पूरा किया जाए और नये डेस्टिनेशन आईडैंटिफाई करके रोपवे के स्कोप तलाशे जाएं। अगर मैं यहां पर इन स्थानों का ज़िक्र करूंगा तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा समय लगेगा। आने वाले समय के लिए हमें एक बात मान कर चलना पड़ेगा कि शिमला में ट्रेफिक कन्जैशन इतना बढ़ गया है कि बाहर से जो भी पर्यटक आता है उसको असुविधा का सामना करना पड़ता है। यही परिस्थिति मनाली में है। इसके लिए हमें नये रास्ते खोज़ने पड़ेंगे। आने वाले समय में पार्किंग की ऐसी स्थिति हो जाएगी कि जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं, उन्हें शहर के बाहर एक जगह रोक करके शहर के अन्दर आने के लिए अलग से ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमैंट करना पड़ेगा। अगर हम इस ट्रेफिक के फ्लो को चाहेंगे कि

शिमला के अंदर चले तो बहुत कठिन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ईश्यूज़ हैं, जिन्हें ले करके हमें विचार करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, इन सब मामलों में हम खुले मन से काम करने लगे हुए हैं, इसके लिए हम चाहते हैं कि विपक्ष के मित्र हमारा सहयोग करें। पर्यटन राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश जाना जाए, पहचाना जाए और इस दृष्टि से हमारी एक अलग छवि बने। अगर आप हमें सुझाव देंगे तो हम इन सुझावों पर अवश्य विचार करेंगे।

29-08-2018/1250/NS/YK/2

यहां पर पर्यटन नीति के बारे में भी बात कही गई है। मैं इस बात से भी सहमत हूं। जब नीति होगी तभी पर्यटन आगे बढ़ेगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, नीति के लिए नीयत बहुत आवश्यक है, वह यहां है और नीयत है तो नीति होगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम इसके लिए आगे बढ़ करके काम करेंगे और टूरिज्म की दृष्टि से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश में और ज्यादा प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में हम कुछेक प्वाईंट्स में यह विचार कर रहे हैं कि मनाली से रोहतांग के लिए ज्याय राइड शुरू की जाए। इसके लिए हमें बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे हैलीपैड इत्यादि चहिए तो इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब आपके सहयोग से संभव हो पायेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके लिए हमें आपका सहयोग मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं छोटी-छोटी बातों पर जाना नहीं चाहूंगा। हम कई बार कुछ विषयों को ले करके बहुत संकुचित हो जाते हैं। मैं आज एक समाचार पत्र पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि धोनी जी शिमला आये और उनको ज्यादा सुविधायें दे दीं। अध्यक्ष महोदय, हर जगह राजनीति करना जरूरी नहीं है। माननीय सुक्खु जी, यह आपने कहा है। अगर मैं पिछले पांच वर्षों का इतिहास निकालूं तो पिछले पांच वर्षों में कितने लोगों को स्टेट गेस्ट बनाया गया था और वे नियमों के तहत थे या नहीं; अगर इन सारे विषयों पर बात जाएगी तो बहुत लम्बी हो जाएगी। धोनी जी को स्टेट गेस्ट सुरक्षा की दृष्टि से डिक्लेयर किया गया है। क्योंकि उनको शिमला आ करके शूटिंग करनी है और वे एक इंटरनेशनल

पर्सनेलिटी है। हिमाचल प्रदेश में अगर कोई इस प्रकार का व्यक्ति आता है तो हमारी प्रवृत्ति उसका सम्मान करने की रहनी चाहिए।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

29.08.2018/1255/RKS/YK-1

मुख्य मंत्री.... जारी

उनका स्वागत, अभिनंदन करने की हमारी सोच होनी चाहिए। यह क्यों कर दिया, वह क्यों कर दिया, इन छोटी-छोटी बातों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि धोनी जी को Wildflower Hall, Shimla में सरकार द्वारा सुविधा दी गई। मैं यह कहना चाहता हूं कि Wildflower Hall में वे अपने खर्चे में रह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से केवल उनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है और आज की परिस्थिति में यह आवश्यक है। आपने इसके लिए बहुत-सारी बातें कही और सचमुच में मुझे इन बातों का बहुत बुरा लगा। न उनकी कोई पार्टी है और न ही वे राजनीति से संबंध रखते हैं। वे हिमाचल में किसी निजी विज्ञापन की शूटिंग के लिए आए हैं। वे दिनांक 27.08.2018 से 31.08.2018 तक शिमला में रहेंगे। इन सारी चीजों से पर्यटन जुड़ा हुआ है। माननीय सदस्य, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी जब कोई शख्सियत शिमला आती है, वह माल रोड घूमती है, लोगों से मिलती है, तो यह प्रदेश की शान है। इसलिए आपको अपनी सोच बढ़ानी चाहिए। आप लोग डिब्बे में पैक होकर रह गए हैं। आपको इस डिब्बे से बाहर निकलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लाई गई थी। इस पर मैंने अपना जवाब देने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी माननीय सदस्य इससे संतुष्ट हुए होंगे। 'आओ', हम सब हिमाचल प्रदेश को पर्यटन राज्य

बनाने के लिए मिलकर काम करें, ऐसी मैं अपील करता हूं। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनोवकाश के लिए 2:00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

29.08.2018/1405/बी.एस/एच.के./-1

सदन की बैठक भोजनोपरांत 2:05 बजे अपराह्न, माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में पुनः **आरम्भ हुई।**

श्री सुखबिन्द्र सिंह सुक्खु : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने आज जब पर्यटन नीति के प्रस्ताव पर अपना उत्तर दिया, उस वक्त माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरा नाम लेकर एक बात कही है। क्योंकि यह बात सदन के सभा पटल पर आई है इसलिए मैं इस बात को माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी कोई भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी प्रदेश में आए, उसका मान-सम्मान करती है और मेरी बात को ऐसे प्रकट करने की कोशिश की गई कि जो हमने ब्यानबाजी की है वह गलत की है। माननीय मुख्य मंत्री जी आप थोड़ा जानकारी को ठीक कर लेते तो अच्छा होता। अपनी बात सभा पटल पर रखने से पहले आपके पीछे आपके स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे थे। एक न्यूज चैनल द्वारा मुझसे वक्तव्य मांगा गया । जबकि आपके मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया कि हां इस बारे में नियम बनने चाहिए। फिर मैंने क्या गलत कह दिया? मैंने यह कहा कि प्रदेश में कोई भी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी आता है उसके महत्व का फायदा जरूर मिलता है, लेकिन किसी भी खिलाड़ी को राज्य अतिथि बनाना है या सुरक्षा प्रदान करनी है तो उस बारे में नियम बनने चाहिए। प्रदेश में महेन्द्र सिंह धोनी ही नहीं बल्कि एथेलेटिक्स और जिमनास्टिक के भी अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आते हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य थोड़ा संक्षेप में बोलिए ।

श्री सुबिन्द सिंह सुक्खु : कब्बडी में भी हमारी तीन बेटियां अन्तर्राट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं। उनको नियमों के अनुसार आने वाले समय में सुविधा प्रदान करनी चाहिए और कोई भी सरकार, व्यक्ति विशेष की इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करती है। नियमों में प्रावधान होता है कि हमें सुरक्षा प्रदान करनी है। कोई भी केटागरी है चाहे वह जैड प्लस ही क्यों न हो, उसमें नियमों में प्रावधान होता है। आपने स्पष्टीकरण दिया कि हमने केवल सुरक्षा प्रदान की है। मेरा यह मानना है कि आने वाले समय में जो भी अन्तर्राष्ट्रीय

29.08.2018/1405/बी.एस/एच.के./-2

स्तर का खिलाड़ी आए, चाहे वह किसी भी खेल से संबंध रखता हो, उसके लिए नियम बनाए जाएं और सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी नियम बनने चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी आप तो सरकार के मुखिया हैं , सरकार के सारे अधिकारी आपके समक्ष हैं। यहां महेन्द्र सिंह धोनी एक निजी विज्ञापन के संदर्भ में यहां आए हैं। यह अच्छी बात है हिमाचल बिक रहा है प्राकृतिक सौंदर्य यहां है। रिज में शूटिंग की परमिशन है लेकिन उसके लिए नगर निगम पैसा लेता है । परंतु जो मास्टर कार्ड के विज्ञापन के लिए शूटिंग हो रही है जिससे उन लोगों को पैसा मिलेगा उसके लिए नगर निगम द्वारा छूट क्यों दी गई। इस बारे में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए था।

संसदीय कार्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का नाम चर्चा में आया था तो इन्हें उस बारे में बात करनी चाहिए थी, यदि यह बाकी बातें चर्चा में लाना चाहते हैं तो उसके लिए ये नियम के तहत नोटिस दें और चर्चा करवा लें। आप जिस भी विषय पर चाहे भाषण शुरू कर देते हैं, यह सही नहीं है। आपका नाम लिया गया है इसलिए आपको बोलने की अनुमति दी गई है। आपको खुश होना चाहिए कि नेगी जी भी आपके समर्थन में खड़े हो गए हैं। .... (व्यवधान)....

श्री जगत सिंह नेगी : आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्या मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हूं?

अध्यक्ष : कृपया बैठ जाईए। 15 मिनट हो गए, बैठ जाईए। सुखबिन्द्र सिंह जी, आपकी बात रिकार्ड नहीं होगी आप जितना मर्जी बोल लीजिए।

श्री डी.डी. द्वारा जारी ...

29/08/2018/1410/AG-DT/-1

अध्यक्ष.... जारी

माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया आप बोलिए। माननीय सुखविन्द्र जी फिर आप बैठकर बोल रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी बोलेने के लिए खड़े हुए हैं।

मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय,वह एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, भले ही उस दल की देश भर में स्थिति अच्छी नहीं हो। आप बैठे-बैठे बहुत ज्यादा बोलते हैं लेकिन मुझे आपसे इतना ही आग्रह करना है कि अखबार में खबर आपके नाम से छपी हुई है। उस खबर को बेस बना करके लोगों ने सोशल मीडिया में इस प्रकार शेप दी कि वाइल्ड फलावर हॉल में उनके ठहरने का इंतजाम सरकार द्वारा किया गया है। लेकिन जो वस्तुस्थति नहीं है मैंने उसी बात को स्पष्ट किया है। धोनी आए, चाहे कोई भी आए लेकिन जो हमारा मेहमान होता है, उसके प्रति हमारा सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। धोनी इंटरनैशनल फेम की शख्शियत है। भले ही वह अपने निजी काम से यहां आए हो लेकिन वे जिस काम के लिए आए हैं उस काम में उन्हें पब्लिक प्लेसिज में कई जगह जाना पड़ता है। वे यहां एक विज्ञापन की शूटिंग के लिए आएं है। शूटिंग के समय जब लोगों को ऐसी शख्सियत दिखती है तो लोग ऑटोग्राफ व सैल्फी लेने के लिए दौड़ते हैं। अगर ऐसे में धोनी के साथ कोई घटना हो जाती है तो सबसे पहले आप ही प्रस्ताव लाएंगे कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई और आप कहेंगे कि यहां पर

कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। इसलिए यह प्रावधान सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है। वे निजी काम के लिए यहां आए हैं, होटल में ठहरे हैं और अपने रहन-सहन का खर्चा वे स्वयं कर रहे हैं। ऐसे में इस विषय को अनावश्यक तूल देने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? जिसे राज्य अतिथि घोषित करना है उसके लिए नियम बने हैं और नियमों में इसके लिए प्रावधान भी है। हमने तो धोनी को राज्य अतिथि बनाया लेकिन यहां तो जिन लोगों को कोई नहीं जानता था वे भी राज्य अतिथि बनकर चले गए। उन्होंने सारी सुविधाएं भी ली। यदि हम ऐसे नामों का जिक्र करेंगे तो बात बहुत लम्बी जाएगी। मैं इसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। तीसरा, जो शूटिंग से संबंधित बात कही है, उसके बारे में मैं सारी आवश्यक इंफोर्मेशन पता करूंगा मुझे लगता है कि जो भी औपचारिकताएं होगी उन

29082018/1410/AG-DT/-2

औपचारिकताओं को उन्होंने जरूर पूरा किया होगा। अगर पूरा भी नही किया है तो उस दृष्टि से भी हमें इस बात को इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। शिमला में शूटिंग हो और इसमें शिमला को एक्सपोजर मिले तो वह अच्छी बात है। यह किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है बल्कि एक विज्ञापन की शूटिंग हैं और हमें इस बात को ज्यादा नहीं खिंचना चाहिए। यह बात बिल्कुल भी उचित नहीं है।

29/08/2018/1410/AG-DT/-3

नियम 62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्षः अब नियम 62 के अन्तर्गत माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेगें और माननीय कृषि मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगें।

Shri Rakesh Singha: Speaker, Sir, with your permission, I propose to place the content of Rule 62 before this august House. I would like to call the attention of

the Agriculture Minister to the situation arising out of thousands of farmers being cheated by Commission Agents in different apple markets of Narkanda, Parala (Theog) and Bhattakkuffar etc.

माननीय अध्यक्ष महोदय आप जानते है कि हिमाचल प्रदेश सेब की वहज से जाना जाता है। मैं ऐसा समझता हुँ कि सेब की खेती और हिमाचल प्रदेश का तलाक नहीं किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए यदि हम इसे ऐतिहासिक रूप से ट्रेस करें तो सेब का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। लेकिन मुझे दुखः से कहना पड़ रहा है और really I am hurt and pained also to learn that

श्री एन जी द्वारा जारी

29/8/2018/1415/डी0सी0/एन0जी0-1

श्री राकेश सिंघा जारी.....!

सेब उत्पादकों के जो हालात अलग-अलग मण्डियों में हो रहे हैं उसका ब्यान न करूं तो बेहतर रहेगा । मैं चुना हुआ नुमाईंदा हूं इसलिए मुझे सरकार का ध्यान इन बातों की तरफ आकर्षित करना है । उस विषय पर आने से पहले कुछ बातों को स्पष्ट करना जरूरी है । हालांकि फैक्टस को स्पष्ट करके कोई नई बात नहीं होती है लेकिन किसी भी फैक्ट को जब आप बार-बार रखते हैं तो कई बार धुन्धलापन साफ भी हो जाता है । मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि इस सरकार का नजरिया सेब उत्पादकों के लिए धुन्धला है । लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सेब उत्पादकों के सवाल को लेकर सरकार के अन्दर जो गम्भीरता होनी चाहिए वो कहीं न कहीं मिसिंग है, एबसैन्ट है । जो हमारे पास इकनोमिक एण्ड स्टैटिस्टिक विभाग के 2015-16 के आंकडे हैं उसके अनुसार साफ पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश में 6 लाख हैक्टर भूमि कृषि योग्य है । इसमें से 1 लाख 10 हजार से अधिक भूमि पर सेब का उत्पादन किया जा रहा है । सेब का उत्पादन केवल जिला शिमला में नहीं

हो रहा है, सेब का उत्पादन जिला बिलासपुर, जिला सिरमौर, जिला चम्बा और जिला कांगडा में भी हो रहा है और होना भी चाहिए । हिमाचल प्रदेश में किसान का विकास करने के लिए तो ऐसी फसलों का उत्पादन अधिक करना होगा जिससे उसकी आय में बढ़ोतरी हो, वह उत्पाद उनके लिए रिम्यूनरेटिव और लाभकारी हो । दूसरी बात यह है कि टर्मस आफ ट्रेड किसान के पक्ष में नहीं है। ये बिचौलियों के पक्ष में है । यह सब उनके पक्ष में है जो फैक्टरियों से उत्पादन करते हैं । लेकिन फिर भी सेब की खेती हिमाचल प्रदेश के किसान को आगे ले जा सकती है बशर्त इसको रेगुलेट करने के लिए हमने जो कानून बनाए है उसको हम सख्ती से लागू करने में सक्षम हो । इस कानून को सख्ती से लागू करने के लिए हमे राजनितिक इच्छाशक्ति के साथ-साथ प्रशासनिक इच्छाशक्ति भी चाहिए । मैं खुलकर कहना चाहता हूं कि आज इस कानून की धज्जियां उडाई जा रही है, उल्लंघना की जा रही है । किसान के पक्ष में कोई खड़ा नहीं हो रहा है, ब्यान तक नहीं दिया जाता है और

29/8/2018/1415/डी0सी0/एन0जी0-2

उस किसान को आढ़तियों द्वारा लूट के लिए खुला छोड़ा जा रहा है । मैं इस बात का भी जिक्र यहां करना चाहता हूं कि पूरे कृषि क्षेत्र में सेब का रोल 100 प्रतिशत में से 48.80 प्रतिशत है । अगर हम रोजगार की बात करें तो इसमें 62 प्रतिशत रोजगार हिमाचल के लोगों को प्राप्त हो रहा है । इसलिए यह विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है । मै मानता हूं कि यह माननीय सदन इस विषय को गम्भीरता से लेगा । सरकार व सरकारी तन्त्र इस कानून में हो रही उल्लंघनाओं में हस्तक्षेप करते हुए उसे सख्ती से निपटाये । जिससे गरीब किसान के पक्ष में सरकार खड़ी दिखाई दे। क्या-क्या उल्लंघनाऐं हो रही है, मैं यहां पर कहना चाहता हूं । हमने इस कानून को इसी माननीय सदन में सन् 2005 में पारित किया था । कानून का नाम है' The Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation)Act, 2005',.और इसके रूल्ज दो साल बाद, जिसे हम 'by-laws' कहते हैं, सन् 2007 में बने थे । इस कानून को बनाने की जरूरत इसलिए थी कि जो पूरा Terms Of Trade था वो आढ़तियों के पक्ष में,

कमीशन ऐजन्टों के पक्ष में और बिचौलियों के पक्ष जा रहा था । इसलिए इस कानून के ओब्जैक्टिवस में इस बात को कहा गया था कि इसे रेगुलेट करने के लिए कोई कानून होना चाहिए ।

श्री आर0जी0 द्वारा जारी.....

29/08/2018/1420/RG/DC/1
श्री राकेश सिंघा-----जारी

लेकिन जैसा आपसे कहा कि यह दुर्भाग्य है कि पता नहीं यह सचिवालय के गलियारों में पड़ा होगा या हमारे इस पुस्तकालय में डस्ट गैदर कर रहा होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस कानून का जो मक़सद था, आज वह लागू नहीं किया जा रहा है जिसको लागू करने का दायित्व हिमाचल प्रदेश सरकार का बनता है। हमने इस कानून में कहा कि जो भी किसान मण्डी में अपना सेब, फसल, सब्जी या कुछ भी ले जाएगा, तो उसके खरीद-फरोख्त का मापदण्ड क्या होगा। हमने कहा कि मापदण्ड होगा कि बाई वेट उसके सामान की बिक्री होनी चाहिए। लेकिन इस कानून के बनने के बावजूद आज मैं खुलकर कहना चाहता हूं कि बाई वेट कहीं भी नहीं किया जा रहा है। हालांकि इस कानून के तहत एक सेक्शन में नहीं, अनेकों सेक्शन्ज में यह कहा गया है कि वेट के लिए क्या पर्ची होगी, कितनी पर्चियां बनेंगी, कहां-कहां उसका वेट किया जाएगा और जब उसका डिस्प्यूट हो जाएगा, तो उसको किस तरह से दूर करना है। लेकिन आज भी उसका सामान वेट के तहत नहीं बिकता है। आज आप बाज़ार में जाइए, आप सब्जी या कोई भी वस्तु बाज़ार से खरीदिए। जो भी उपभोक्ता बाज़ार में जाता है, तो बाकायदा उसका वज़न लेकर उसके आधार पर मूल्य निर्धारित होता है। तो मुझे बताइए कि क्या कारण है कि जो किसान है, जो मेहनत करता है, जिसके पास और कोई दूसरा चारा नहीं है, अपने बच्चों को पालने के लिए उसकी पूरे साल में एक फसल लगेगी और वह भी नहीं कह सकते कि कहीं उसकी फसल ओलावृष्टि या अन्य किसी बीमारी से मर जाए, उसकी फसल बचेगी या नहीं, बेचने के बाद यह गारन्टी नहीं है कि आढ़ती उसका पैसा देगा या नहीं और हमारी सरकारें चुप बैठी रहेंगी। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि उसके साथ विक्टमाइजेशन हो रही है। लेकिन जय राम जी की सरकार कभी ऐसा सोच भी नहीं

सकती है। इसको करने के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक मन्शा चाहिए। इसलिए पहला विषय तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो उल्लंघना हो रही है कि उसका माल बाई वेट नहीं बिक रहा है। जोकि बाई वेट बिकना चाहिए क्योंकि कानून कहता है कि बाई वेट उसकी खरीद-फरोख्त होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बारे में नियम बहुत साफ और स्पष्ट हैं। नियम ये कहते हैं कि 'fall of the hammer' हो जाएगा, बोली लग जाएगी और बोली में जो दाम तय कर दिया गया है, मान लीजिए

29/08/2018/1420/RG/DC/2

जैसे आपने बीस किलो के लिए 1400/-रुपये का दाम तय कर दिया, जब हैमर गिर गया, तो उसके दाम को कम करने के लिए आढ़ती का कोई हक़ नहीं बनता। लेकिन हकीक़त यह है कि वह 1400/-रुपये का बिकेगा और जगह-जगह, भट्टाकूफर, नारकण्डा, रोहड़ू, पराला इत्यादि में अपनी मनमर्जी से 1400/- को 1300/-, 1325/-, 1350/- और 1375/- तक की बिक्री दी जा रही है। यह कटौती है। अध्यक्ष महोदय, यह अनुमति कानून नहीं देता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय के समक्ष इस माननीय सदन में एक और उल्लंघना का जिक्र करना चाहता हूं। वह यह है कि सेब की पेटी को चढ़ाने व उतारने का दाम जो कुली को दिया जाता है, वह निर्धारित है। लेकिन इसमें भी 500/-रुपये से लेकर बीस रुपये तक की कटौती की जा रही है। आप इसको पूछिए, आप सर्वेक्षण कीजिए। जो उतारने वाला पल्लेदार है, आप उससे पता कीजिए कि एक पेटी के पीछे अढ़ाई रुपये से अधिक नहीं बनता है, तो क्या ओचित्य है कि हम बीस-बीस रुपये की कटौती करेंगे? मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। जो हमारी ए.पी.एस.सी. की कमेटी है, उसका यह कार्य बनता है, डिप्टी कमिश्नर का यह कार्य बनता है और पूरे तंत्र का यह कार्य बनता है कि सख्ती से इस कानून को लागू किया जाए। फिर इसके अलावा और क्या नियम की उल्लंघना हो रही है? जब हमने सेब बेच दिया है, वह माल दे दिया है, तो हमें उसकी बिक्री का पैसा तुरन्त मिल जाना चाहिए। वैसे तो कानून कहता है

कि हैमर डॉऊन, माल कमीशन एजेन्ट का, पैसा उसी समय देना पड़ता है। चलो, इसको छोड़िए, आप 15 दिन भी ले लीजिए,

एम.एस. द्वारा जारी

29/08/2018/1425/MS/HK/1

श्री राकेश सिंघा जारी--------

-

लेकिन यहां पर महीनों-महीनों तक और कई दफा वर्षों तक बागवानों/किसानों को उनका पैसा नहीं मिलता है। ये उल्लंघनाएं जो चल रही हैं, मैं समझता हूं कि सरकार इस बात को नोट करते हुए इन रेगुलेशन्ज को सख्ती से लागू करते हुए इस कार्य को करे। इन बातों को कहते हुए मुझे इस बात का जिक्र भी यहां पर करना है कि भारत सरकार ने बार-बार यह ऐलान किया है कि वह किसानों की इन्कम को वर्ष 2022 तक दुगुना करना चाहती है। मुख्य मंत्री महोदय ने भी अपने बजट भाषण/बजट डॉक्यूमैंट के अंदर इसका जिक्र किया है और समय-समय पर इस बात का जिक्र किया जाता रहा है। जो बैरियर्ज पर पहले किसान से कर लिया करते थे, ये क्या कर(tax) हैं? ये मार्किटिंग कर है। मुझे बताइए कि मार्किटिंग कर मार्किट के अंदर लिया जाएगा या शोघी के अंदर काटा जाएगा या नीचे पराला के पास जो सरकार ने बैरियर लगाया है वहां पर काटा जाएगा? मार्किटिंग कर मार्किटिंग कमेटी/मार्किटिंग यार्ड के अंदर ही काटा जा सकता है और शोघी, परवाणु, स्वारघाट या उत्तराखण्ड के साथ जो बोर्डर है वहां पर नहीं काटा जा सकता है। मैं इस पर्ची को(कागज का टुकड़ा दिखाते हुए) सभा पटल पर रखना चाहता हूं जिसमें इल्लीगल तरीके से यह कर काटा गया है। यह एक ही पर्ची नहीं है बल्कि ऐसी अनेकों पर्चियां हैं। यह कटौती तो बहुत पहले ही खत्म हो गई थी लेकिन 300 सेब के बक्से के 900 रुपये काटे गए जबकि यह नहीं काटा जा सकता है। किस बात के लिए काटा जा रहा है और किस खाते में यह पैसा जाता है, यह भी मेरी समझ में नहीं आता है? पहले की सरकार ने भी इसका ऐलान किया था और शायद इस सरकार ने भी ऐलान किया था कि इस प्रकार की

कटौतियां नहीं की जा सकती हैं। इसीलिए यह एक किस्म की उल्लंघना नहीं है बल्कि ऐसी अनेकों किस्म की उल्लंघनाएं हैं और उल्लंघना होते-होते किसान के हाथ में जो पैसा आना चाहिए, वह पैसा नहीं आता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय आपके ज़रिए मैं मंत्री महोदय के आगे आशा और उम्मीद के साथ इस प्रस्ताव को रखना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी द्वेष भावना के साथ इस प्रस्ताव को पेश कर रहा हूं लेकिन यह हकीकत है। मुझे बागवान/किसान हररोज़ फोन करते हैं और कहते हैं कि आप क्यों नहीं इस विषय को सरकार के ध्यान में लाते हैं? हम

29/08/2018/1425/MS/HK/2

उनसे कहते हैं कि शिकायत दीजिए लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो किसान शिकायत दर्ज़ करेगा, मैं हजारों केस बता सकता हूं कि कम्पलेंट के बाद ये आड़ती लोग उसके पैसे को रोक देते हैं। ये हालात हैं। ये लोग पावरफुल और रुपये-पैसे वाले हैं। किसी की भी सरकार रहे लेकिन राज इन्हीं का चलता है। इसलिए इनको डिसीप्लेन करने के लिए हमें सख्ती से सामने आना है और इस कानून को भी सख्ती से लागू करना है। आप जो मर्जी कीजिए हम आपके साथ होंगे, बागवान आपके साथ होंगे और सभी विधायक भी आपके साथ होंगे क्योंकि यह किसान का प्रश्न है। यह प्रश्न किसी पार्टी का नहीं है बल्कि प्रश्न यह है कि आज हमारा किसान जिन्दा रहेगा या नहीं रहेगा। अगर हालात इसी प्रकार के रहेंगे तो मैं समझता हूं कि वह किसान जिन्दा नहीं रह सकेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न कहता हुआ आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूं कि आपने इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए मुझे मौका दिया। मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि इन सब प्रश्नों को लेकर हमारे जो माननीय कृषि मंत्री डॉ0 साहब हैं वे इसका सिर्फ जवाब ही नहीं देंगे बल्कि पूरी मशीनरी को गियरअप भी करेंगे। जिस मशीनरी के साथ, मैं लुटेरे तो नहीं कहना चाहता हूं लेकिन जो एक अनयुजुअल प्रोफिट कमा रहे हैं उन पर चैक लगाया जाए ताकि किसान का हिस्सा उसके पास आए। अध्यक्ष जी, आपने बोलने के लिए समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्षः अब माननीय कृषि मंत्री महोदय नियम-62 की चर्चा का उत्तर देंगे।

मंत्री जी श्री जे0के0 द्वारा----

29.08.2018/1430/जेके/एजी/1

कृषि मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, नियम-62 के अन्तर्गत आदरणीय राकेश सिंघा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यहां पर लाया है। मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा लेकिन मैं इनके ध्यान में कुछ बातें अवश्य लाना चाहूंगा।

कृषि विपणन अधिनियम 2005 के अनुसार प्रदेश को अधिसूचित मण्डी घोषित किया गया है। हमारे एक्ट की धारा- 40 के अन्तर्गत जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी शिमला और किन्नौर हैं, उसके अन्तर्गत 286 कमिशन एजैंट मार्केटिंग यार्ड के अन्दर रजिस्टर्ड किए गए हैं और प्राइवेट 131 रजिस्टर्ड किए हैं। जो 286 लोग मार्केटिंग यार्ड के अन्दर रजिस्टर्ड किए गए हैं, ये ए0पी0एम0सी0 रजिस्टर्ड करती है। जो आउट साइड मण्डी हैं उनमें 131 रजिस्टर्ड किए हैं। उनको डायरैक्टर और डिप्टी डायरैक्टर्ज़ पंजीकृत करते हैं। जिनको हम लाइसैंस देते हैं वे ही लोग सेब की खरीद-फ़रोख्त करते हैं। माननीय सिंघा जी ने ठीक कहा, इन्होंने पत्र भी लिखा था। यह विषय दो-तीन बार अखबारों में भी आया। मैंने स्वयं भी विज़िट किया। सिंघा जी ने दो-तीन बातें ठीक कही है । एक्ट में कहा गया है कि केवल पांच रूपए पल्लेदार को देना है। हमने स्वयं पाया कि नारकण्डा और भट्टाकुफर में व कुछ अन्य जगहों में 20-20 व 50-50 रूपए तक किसानों से लिए हैं। हालांकि एक्ट में लिखा गया है कि सिर्फ 5/-रूपए पल्लेदार को देने हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमने छः जगह एफ0आई0आर0 लॉज़ की है और एक लाइसैंस भी हमने केंसिल किया है क्योंकि किसानों का सेब है, गरीब लोगों का सेब है। यहां पर 131 रजिस्टर्ड आढ़ती मार्केटिंग यार्ड के बाहर हैं ।

29.08.2018/1430/जेके/एजी/2

जो मार्केटिंग यार्ड के अन्दर है वहां पर वेइंग मशीन लगी हैं। हिमाचल प्रदेश के अन्दर 10 सब्जी मण्डी हैं और 49 सब-याड्र्ज़ हैं। हमने वहां 18 जगह पर वेइंग मशीन लगाई हैं। जैसे कि सिंघा साहब ने कहा कि जब गाड़ियां सब्जी मण्डी के अन्दर एन्टर होती हैं, उसका वेट उसी वक्त **मैय**र किया जाता है। जो मार्केटिंग यार्ड के बाहर हैं, वहां कहा तो गया है कि जो छोटे डिब्बे हैं, उनका 10 किलो वजन होना चाहिए और बड़े डिब्बे का 20 किलो वजन होना चाहिए। मैंने कई किसानों से बात की, हमने तो कहा है कि छोटे डिब्बे का 10 किलो वजन होना चाहिए लेकिन वे नैगोशिएशन करते हैं। वे बाहर आढ़तियों से नैगोशिएशन करते हैं क्योंकि कई जगह 30-30 किलो तक वेट पाया गया है। उस हिसाब से वे रेट की नैगोशिएशन करते हैं। मैंने कई किसानों से निवेदन किया है कि अगर आप मार्केटिंग यार्ड के अन्दर आते हैं तो वहां तो आपके माल का वजन तोला जा रहा है लेकिन मार्केटिंग यार्ड के बाहर वजन नहीं तोला जा रहा है। अगर आप भट्टाकुफ़र से आगे जाएं तो वहां से नारकंडा तक आपके कोई सब्जी मण्डी ही नहीं है। मैं परसों स्पिति से आ रहा था, मैं स्वयं दो-तीन जगह रुका हूं और मैंने लोगों से स्वयं बात की है कि आप अपने माल का वेट कराएं। सिंघा साहब ने ठीक कहा कि आपने हमें पत्र लिखा था। अध्यक्ष महोदय सच्चाई यह है कि जिस किसान के 1450/-रूपए बनते हैं हमने कहा कि उसको इसका बिल दे दिया जाए और इससे पूर्व ऐसा कोई बिल नहीं दिया जाता था। हम उसी वक्त बिल काटते हैं। हमने यह भी कहा है कि पल्लेदार का रेट भी लिखा जाए कि पल्लेदार से कितना पैसा

29.08.2018/1430/जेके/एजी/3

काटा जा रहा है? पहले उसमें किसी को कोई भी बिल नहीं दिया जाता था और उसका वेट वहां पर नहीं लिखा जाता था। हमने सुनिश्चित किया है, लैटर निकाले हैं। हमारा एम0डी0 और ए0पी0एम0सी0 के सेक्रेटरी निरन्तर विजिट कर रहे हैं। आपने ठीक कहा हम भी चिन्तित हैं। आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने मुझे कई बार कहा है कि इसको इन्श्योर करें कि हमारा किसान ठगा हुआ महसूस न करें, उसको लूटा न जाए। मैं, सिंघा साहब को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि

श्री एस0एस0 द्वारा जारी...

29.08.2018/1435/SS-YK/1

कृषि मंत्री क्रमागतः

आज हमने जो रेट्स फिक्स किये हैं, हमने लगातार पत्र निकाले हैं। मैं आपको पत्र दिखा सकता हूं। हमने कहा है कि जिसका वेट 1450 बनता है, उसका 1450 रेट दिया जाए। वह 1400 रुपये भी नहीं होगा। कई जगह पर मेरे ध्यान में ये बातें लाई गई हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने जो पांच रुपये रेट पल्लेदार का फिक्स किया है, वह पांच रुपये ही लेंगे। वहां पर दो बातें हैं। यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है। जब आपका सेलर बेच देता है और बायर खरीद लेता है, तो पल्लेदार का पैसा कौन दे। हमने किसानों को कहा है कि जब आप सेब बेच देते हो तो उसके बाद वह लदानी का है, आढ़ती का हो जाता है। वहां पर आढ़ती ने कई जगह पैसे मांगने की कोशिश की है। पल्लेदार का पैसा कौन देगा? हमने कहा जब सेब बिक गया तो बिकने की स्थिति में उसका पैसा पैदावार करने वाला नहीं देगा। उसका पैसा बायर देगा। मैं सिंघा साहब को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने बहुत से विषय यहां उठाए हैं। हम निरंतर विज़िट कर रहे हैं। मैं स्वयं दो-तीन जगह जाकर आया हूं। हमने वेइंग मशीन का

प्रबंध कर दिया है। जो हमारा आउट साइड सेब खरीदा जा रहा है वहां भी हमने कहा है कि उसका वेट होना चाहिए। वहां पर वेइंग मशीन नहीं है, हमने आढ़तियों को कहा है कि यह लूट-खसूट बंद करिये। गरीबों को ठगना बंद करिये। कई जगह मैंने स्वयं कहा है इसीलिए हमने एफ0आई0आर0 लौज की है। हमने अधिकारियों को कह दिया कि अगर कहीं ऐसा होता है तो ठोस कदम उठाएं। अब मार्किट की बात है। हम चाहते हैं कि किसानों का भला हो। जैसे आपने कहा, मुख्य मंत्री महोदय ने कहा है कि 2022 तक हर किसान की आय दुगुनी हो। मार्किटिंग यार्ड के अंदर सारे प्रावधान हैं। वहां कोई नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। मार्किटिंग यार्ड की समस्या हमें आ रही है लेकिन हमने कोशिश की है। हमने पुलिस को भी कहा है, हम एफ0आई0आर0 लौज कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने अपने ए0पी0एम0सी0 सैक्रेटरी को कहा है, एम0डी0 को कहा है और मैं स्वयं भी विज़िट कर रहा हूं कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। जो आपने कहा है उस बात को रोका जाए। मैं इस बात को इंश्योर करना चाहूंगा। अगर आपके ध्यान में ऐसे केसिज़ हों तो मेरे ध्यान में लाएं। किसानों की आय दुगुनी हो, उनको रेट्स सही मिलें, इसके बारे में हमने अधिकारियों को कहा है ताकि हिमाचल प्रदेश का किसान अपने आपको ठगा महसूस न करे। धन्यवाद।

29.08.2018/1435/SS-YK/2

श्री राकेश सिंघाः सर, इसमें एक बात और है।

अध्यक्षः सिंघा साहब, इसमें स्पष्टीकरण का प्रावधान नहीं है। I am giving full opportunity, परन्तु इसमें स्पष्टीकरण का प्रावधान नहीं है।

श्री राकेश सिंघाः सर, मैं एक छोटी-सी क्लैरीफिकेशन चाहता हूं।

अध्यक्षः क्लैरीफिकेशन का प्रावधान नहीं है। राकेश जी, मैं सरकार की नहीं बल्कि इस सीट (अध्यक्षपीठ) की बात कर रहा हूं। राकेश जी, प्लीज़ नहीं। मैंने आपको पूरा समय दिया है। --(व्यवधान)--

अब माननीय शिक्षा मंत्री जी एक वक्तव्य देना चाहते हैं।

29.08.2018/1435/SS-YK/3

माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा वक्तव्य

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग द्वारा प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक में जो छात्रवृत्तियां दी जाती हैं उसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। सरसरी तौर पर वे शिकायतें आती थीं, लेकिन जब उस पर छानबीन की गई तो उसमें बड़ी मात्रा में अनियमितताएं पाई गई हैं। जिसके विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिए हैं जो मैं इस वक्तव्य में उद्धृत कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन में आपकी अनुमति से एक अहम विषय पर निम्न वक्तव्य दे रहा हूंः-

1. शिक्षा विभाग राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियां विभिन्न श्रेणियों के छात्रों को प्रदान करता है।
2. इन छात्रवृत्तियों के लिए पात्रता व छात्रवृत्तियों को बांटने की प्रक्रिया को मैं सदन में माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए रख रहा हूं।
3. छात्रवृत्तियों को बांटने की प्रक्रिया में समय-समय पर संशोधन, प्रक्रिया को पूरी तरह से निरापद बनाने हेतु किए गए हैं तथा 2013-14 से सभी छात्रवृत्तियां HP-EPASS पोर्टल द्वारा वितरित की जा रही हैं।

जारी श्रीमती के0एस0

29.08.2018/1440/केएस/एचके/1

शिक्षा मंत्री जारी---

4. छात्रवृत्तियों के आबंटन में निर्धारित मापदंडों के अनुसार सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्तियां बिना किसी व्यवधान के मिल जानी चाहिए थी।

5. इसके विपरीत बहुत से छात्रों द्वारा छात्रवृत्तियों के न मिलने की शिकायतें बहुत समय से मिलती रही व कुछ शिकायतें तो माननीय मंत्रियों द्वारा भी दी गई ।

6. शिकायतों की छानबीन शिक्षा विभाग द्वारा अपने स्तर पर की गई तो पाया गया कि

i छात्रवृत्ति से सम्बन्धित पहले-पहल मिलने वाली शिकायतें लगभग दस साल से भी पुरानी हैं।

ii छात्रवृत्तियों के अनुचित व प्रक्रिया के विरुद्ध आबंटन पर ऑडिट पहले भी आपत्तियां दर्ज करवा चुका है।

7. उपरोक्त में वर्णित इन आपत्तियों का सही ढंग से निपटारा नहीं किया गया अपितु रिकॉर्ड से ऐसा लगता है कि प्रक्रिया सम्बन्धी खामियों को न केवल दोहराया जाता रहा बल्कि और अधिक अनियमितताएं पूरी प्रक्रिया में बिना रोक-टोक की गई।

8. प्रक्रिया में शिक्षा विभाग की प्रारंभिक जांच में निम्न हैरान करने वाली अनियमितताएं पाई गई हैंः-

(क) बहुत सारे छात्रवृत्ति के प्रार्थना पत्रों पर एक ही बैंक खाते का विवरण है । खाता संख्या भी सभी अंक शून्य इंगित है।

(ख) बहुत सारे प्रार्थना पत्रों पर आधार कार्ड नम्बर इंगित नहीं है। फिर भी बिना आधार कार्ड के वितरण किया गया।

(ग) बहुत सारे प्रार्थना पत्रों पर एक ही मोबाइल फोन नम्बर इंगित है।

(घ) बहुत सारे मोबाइल फोन नम्बर संदिग्ध हैं।

29.08.2018/1440/केएस/एचके/2

(ङ) बहुत सारे आवश्यक प्रमाण पर संदिग्ध हैं।

(च) किसी भी संस्थान को किसी पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में सम्बन्धित प्रथम वर्ष की छात्रवृत्ति संख्या का 50 प्रतिशत नवीनीकरण अपरिहार्य है- यह किसी भी संस्थान के लिए नहीं किया गया है।

(छ) HP-EPASS पोर्टल को निर्धारित अंतिम तिथि के बाद बिना सक्षम प्राधिकारी के खोला गया।

(ज) अपात्र छात्रों को छात्रवृत्तियां-जैसे सामान्य वर्ग के छात्र को अनुसूचित जाति की श्रेणी में छात्रवृत्ति दी गई हैं।

(झ) कई संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अधिकतम आवंटित छात्र संख्या से अधिक संख्या में छात्रवृत्ति दी गई है।

() प्रार्थना पत्रों की संख्या से अधिक संख्या में छात्रवृत्तियों का वितरण।

(ट) योजना के अनुसार मेंटीनेंस अलाउंस का छात्रों को न दिया जाना।

(ठ) विभिन्न संस्थानों के परिसर में या आसपास के बैंक शाखाओं में छात्रों की जानकारी के वगैर छात्रों के खाते होना।

(ड) छात्रवृत्तियों का आबंटन गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों अथवा गैर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को देना।

9. उपरोक्त अनियमितताएं वे हैं जो कि प्रारंभिक जांच में पाई गई हैं। ये अंतिम नहीं हैं।

10. HP-EPASS पोर्टल का उद्देश्य जहां इस योजना को,जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूं पूरी तरह से निरापद बनना था, वहीं वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत रही है। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त इस पूरी श्रृंखला में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाएं, विभिन्न

प्रमाणपत्रों को जारी करने वाली संस्थाएं, विभिन्न बैंक व उनकी विभिन्न स्थानों पर स्थित शाखाएं व विभिन्न स्तरों पर निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन, ऐसे बिन्दू हैं कि जिन पर जांच केन्द्रीय एजैंसी से करवाना अपरिहार्य हो गया है।

माननीय मुख्य मंत्री जिनके आदेशानुसार शिक्षा विभाग ने यह प्रारम्भिक जांच करवाई थी, एक बैठक जिसमें उच्च अधिकारियों के साथ मैं भी था तथा मामले को पूरी तरह से उजागर करने का निर्णय लिया गया है व छात्रवृत्ति घोटाले को CBI को सौंप दिया जाएगा।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े व अल्पसंख्यक छात्रों के हितों पर जो कुठाराघात हुआ है, उसके दोषियों को सजा दिलाने के लिए हम कृत-संकल्प हैं। प्रक्रिया सम्बन्धी खामियों व अब तक अपनाई जा रही व्याधि-परक प्रणाली को हमने दर-किनार कर, हम इस वर्ष भी सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्तियां दे रहे हैं।

शिक्षा विभाग विभिन्न स्तरों पर निर्धारित चौकसी बरत रहा है। धन्यवाद।

29.08.2018/1440/केएस/एचके/4

विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्ताव

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश विधान सभा में दिनांक 5 अप्रैल, 2016 को पारित हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 4) को वापिस लेने बारे प्रस्ताव करेंगें।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा में दिनांक 5 अप्रैल, 2016 को पारित हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का

(वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 4) को वापिस लिया जाए।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

29.8.2018/1445/AV/AG/1

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री हर्षवर्धन चौहान क्या आप कुछ कहना चाहते हैं।

Shri Harshwardhan Chauhan: Sir, the Himachal Pradesh Protection of Interest of Depositors in Financial Establishments (Amendment) Bill, 2016 दिनांक 5 अप्रैल, 2016 को इन्ट्रोड्यूस हुआ था। सदन से पास करके इसको राज्यपाल महोदय को भेजा गया था और उसके बाद राज्यपाल कार्यालय से यह महामहिम राष्ट्रपति की अस्सैंट को गया है। आप सबको विदित है कि आजकल इस देश और प्रदेश में चिटफंड कम्पनियां, फाइनैंशियल इनस्टिच्यूशन्ज लोगों को जो लुभावने सपने दिखाते हैं और पैसे को 6 महीने या साल में दोगुना करने के लिए सपने दिखाकर गायब हो जाते हैं, उस पर रोक लगाने के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2016 में एक बिल पास किया गया था। उस बिल के द्वारा कड़े कदम उठाये गये थे और कहा गया था कि जो कम्पनी वाले आयेंगे वे अपना अड्रैस या दूसरी डिटेल्स इत्यादि जिलाधीश तथा एस0पी0 को बतायेंगे। बिल में यह प्रावधान किया गया था कि उसमें बेल नहीं होगी और जो ठगा जायेगा उनके लिए सरकार द्वारा पब्लिक प्रोसिक्युटर या वकील उपलब्ध करवाया जायेगा। उसमें इस तरह की बहुत सारी चीजें की गई थी जिससे आम आदमी या गरीब आदमी का इन्ट्रैस्ट प्रोटैक्ट हो। यहां पर जैसे आपने कहा है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्वारा कुछ ऑब्जैक्शन लगाकर उस बिल को वापिस भेजा गया है। मान्य सदन यह जानना चाहेगा कि राष्ट्रपति जी द्वारा इसमें क्या ऑब्जैक्शन्ज लगाये गये हैं। आप इसको वापिस तो ले रहे हैं मगर सदन के माध्यम से हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उनको रोकने के लिए आप बिल में दोबारा क्या ला रहे हैं, उसमें क्या प्रावधान कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो

नहीं कि आप इसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं? हम मुख्य मंत्री जी के माध्यम से सरकार की मन्शा जानना चाह रहे हैं।

29.8.2018/1445/AV/AG/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है और इस बिल में मालूम नहीं कि आपको ऐसी शंका क्यों हो रही है। ऐसा इस मान्य सदन में पहले भी कई बार होता रहा है कि बिल पारित करके भेजे गये और माननीय राज्यपाल महोदय से भी राष्ट्रपति की अस्सैंट के लिए चले गये। लेकिन बाद में कुछ बातों को लेकर के ऐसा भी महसूस किया गया कि उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है और उसी दृष्टि से वापिस भी लिए गए। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि मान्य सदन द्वारा the Himachal Pradesh Protection of Interest of Depositors in Financial Establishments (Amendment) Bill, 2016 दिनांक 5 अप्रैल, 2016 को पारित किया गया था। तत्पश्चात महामहिम राष्ट्रपति की सहमति के लिए इसे राज्यपाल महोदय के कार्यालय के माध्यम से प्रेषित किया गया। भारत सरकार द्वारा इस विधेयक पर कुछ आपत्तियां लगाई गई तथा कुछ संशोधन करने की सिफारिशें की गई। भारत सरकार द्वारा सुझाए गए कुछ संशोधनों के कारण अब यह आवश्यक हो गया कि इस मान्य सदन में नया बिल प्रस्तुत किया जाए जिसके लिए पूर्व में पास हुए बिल को वापिस लेना अनिवार्य है। विधेयक संख्यांक, 4 को वापिस लिए जाने बारे मंत्री मंडल द्वारा दिनांक 9.8.2018 को निर्णय लिया जा चुका है अतः (2016 का विधेयक संख्यांक-4,) the Himachal Pradesh Protection of Interest of Depositors in Financial Establishments (Amendment) Bill, 2016 को वापिस लिए जाने बारे मैं प्रस्ताव करता हूं ताकि हम इसको संशोधत रूप में प्रस्तुत कर सकें।

श्री टी सी द्वारा जारी

29.08.2018/1450/TCV/AG-1

माननीय मुख्य मंत्री.... जारी

इसमें किसी भी प्रकार का डायल्यूशन नहीं है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब बिल में इस प्रकार के नये संशोधन की बात आती है, उसमें माननीय सदन को पूर्व में सूचित करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब बिल वापिस ले लिया तो बिल को वापिस लेने के बाद हम बिल को नये सिरे से प्रस्तुत करेंगे। उस पर चर्चा का प्रावधान उपलब्ध रहता है। उसमें जो आप कहना चाहेंगे, वह कह सकते हैं लेकिन इसमें डायल्यूशन का प्रावधान नहीं है, जब बिल पारित होगा तो संशोधन की दृष्टि से कुछ विषय आएंगे तो उन पर चर्चा की जा सकती है।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-4) को वापिस लिया जाये ।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-4) को वापिस करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-4) वापिस हुआ ।

29.08.2018/1450/TCV/AG-2

विधायी कार्य

सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

अब माननीय कृषि मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्याक-9) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

कृषि मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कि हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्याक-9) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि कि हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्याक-9) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्याक-9) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब माननीय कृषि मंत्री हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्याक-9) को पुरःस्थापित करेंगे।

29.08.2018/1450/TCV/AG-3

कृषि मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कि हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्याक-9) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्याक-9) को पुरःस्थापित हुआ।

29.08.2018/1450/TCV/AG-4

नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

अध्यक्षः अब नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख होंगे। नियम-324 के अन्तर्गत चर्चा के लिए 15 उल्लेख आये हैं और सबके उत्तर भी आये हैं। यदि सदन की अनुमति हो तो ये सूचनाएं सभा में प्रस्तुत हुई समझी जाएं। इनके उत्तरों की प्रतिलिपियां आज ही उपलब्ध करवा दी जाएगी।

सदस्यगणः प्रस्तुत हुई समझी जाएं।

अब श्री इन्द्र सिंह (बल्ह) जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री इन्द्र सिंह (बल्ह)ः मैं सरकार का ध्यान संयुक्त कार्यालय भवन नैर-चौक के षिलान्यास जोकि दिनांक 19 फरवरी, 2017 को किया गया था की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय जी, इस वित्तीय वर्ष में इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए सरकार द्वारा एक करोड़ रूपये का

प्रावधान किया गया है परन्तु इस वित्तीय वर्ष का लगभग आधा समय बीत जाने के बाद भी इस भवन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है और न ही उद्यान, कृशि, पशुपालन तथा राजस्व विभाग द्वारा भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की गई है।
अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र इस भवन हेतु भूमि हस्तांतरित कर जनहित में भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाने की कृपा करे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि संयुक्त कार्यालय भवन नेर-चौक का शिलान्यास पूर्व मुख्यमन्त्री महोदय द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2017 को किया गया था तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में इसके लिए मु0 एक करो़ड रूपये का बजट प्रावधान है

29.08.2018/1450/TCV/AG-5

- इसके निर्माण हेतु मु0 सत्रह करोड़ अस्सी लाख उन्नासी हजार रूपये अनुमानित लागत का प्राक्कलन मुख्य अभियन्ता (मण्डी क्षेत्र) को अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत, मण्डी द्वारा भेजा गया था।
- प्राक्कलन के सरकार को उपलब्ध होने पर इसमें कुछ त्रुटियॉ पाई गई तथा प्राक्कलन को त्रुटियों के निपटारे हेतु दिनांक 06-07-2017 को मण्डलायुक्त, मण्डी को भेज दिया गया, जिसे उनके द्वारा अधिषासी अभियन्ता मण्डी मण्डी-2 को त्रुटियों के निपटारे हेतु भेजा गया

- इसके पश्चात अब यह प्रकरण लगाई गई observation के बाद 25.8.2018 को प्रमुख अभियन्ता, हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग के पास आ गया है जिसमें आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
- जहां तक भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण करने का प्रश्न है, इसमें विभिन्न विभागों जैसे उद्यान, कृषि, पशुपालन तथा राजस्व विभागों द्वारा आगामी कार्यवाही की जा रही है।

29.08.2018/1450/TCV/AG-6

अध्यक्षः अब नियम-324 के अन्तर्गत श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली) अपना विषय उठाएंगे।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : मैं सरकार का ध्यान हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में करीब 34 करो़ड की लागत से निर्मित राज्य के सबसे लम्बे पुल हरोली-रामपुर ऊना में लाइटें लगाने का कार्य लम्बित है। हालांकि यह पुल जनता की सुविधा के लिए शुरू हो चुका है मगर लाइटें लगानी जरूरी है। सरकार से इस आग्रह के साथ की इस पुल पर अविलम्ब लाईटें लगाने का कार्य करवाया जाए।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक द्वारा उठाए गए मामले की वास्तविक स्थिति इस प्रकार से हैः-

यह सत्य है कि रामपुर हरोली सड़क पर स्वां नदी पर 776.00 मीटर लम्बे पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। यह पुल ग्रामीण क्षेत्र में Rural Road पर बना हुआ है। इसके दोनों ओर कोई भी आबादी नहीं है और इस सड़क पर रात के समय ट्रैफिक भी काफी कम होता है। ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण रात को पुल के फुटपाथ पर पैदल चलने वाले लोगों की संख्या न के बराबर है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते इस पुल पर लाइटों का कोई भी प्रावधान Approved Estimate में नहीं किया गया था अगर परम्परागत Lighting System लगाने का विचार किया जाए तो यह Recurring Cost समेत काफी महंगा प़डेगा। गैर परम्परागत Solar LED Lights का प्रावधान सक्षम विभाग यानी कि हिमऊर्जा विभाग के सौजन्य से सम्बन्धित पंचायत द्वारा करवाने हेतु सरकार विचार कर सकती है।

29.08.2018/1450/TCV/AG-7

अध्यक्षः अब श्री राम लाल ठाकुर जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री राम लालः अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान पंजाब बॉर्डर नंगल के समीप हिमाचल प्रदेष के अंतिम गांव की पांचगरी खड्ड समतैहण जिसकी आबादी लगभग 1200 के करीब है, को स़डक से ज़ोडने हेतु ग्वालथाई औद्योगिक क्षेत्र से स़डक पर पुल निर्माण हेतु 51 लाख रूपये की धनराशि S.C कंपोनेंट से स्वीकृत हुई थी । इस पर कुल लगभग 1.25 करोड की धनराशि के खर्च का अनुमान है । इस स़डक की प्रशासनिक स्वीकृति व वित्तीय अनुमोदन के बाद निविदायें आंमत्रित की गई थी परन्तु इस कार्य में आज तक कोई भी प्रगति नहीं हुई है । इस पुल से आगे हरिजन बस्ती को ज़ोडने के हेतू 8 लाख रू0 स्वीकृत किये गये थे । चूंकि यह 100% अनुसूचित जाति की आबादी से जुडा मामला है और स्कूली बच्चों और गर्भवती औरतों, बुजुर्गों आदि को स़डक न होने के कारण भारी परेशानी का सामना करना प़डता है । आदरणीय मुख्यमंत्री यह बतायें कि उक्त पुल और स़डक मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा। ताकि स्थानीय जनता को बुनियादी सुविधा शीघ्रातिशीघ्र प्रदान की जा सके ।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक द्वारा उठाए गए मामलें की वास्तविक स्थिति इस प्रकार से हैः

यह सत्य है कि हिमाचल प्रदेष के अंतिम गांव की पांचगरी खड्ड समतैहण को ज़ोडने के लिए एक प्रस्तावित पुल के निर्माण हेतु मुबलिग एक करोड पच्चीस लाख उनचास हजार तीन सौ रूपये का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया है। अधिषासी अभियन्ता, मण्डल न0 ॥ हिमाचल प्रदेष लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर के कार्यालय पत्र दिनांक 27 फरवरी, 2018 द्वारा दूसरी बार निविदाएं आमंत्रित करने के उपरान्त इसका टैंडर दिनांक 23 अप्रैल, 2018 को खोल दिया गया जोकि सिंगल टेंडर है और यह टैंडर श्री राजेन्द्र पाल ठाकुर, ठेकेदार, गांव परणाली, डाकघर बन्दला, तहसील सदर जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेष ने मुबलिग एक करोड बत्तीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ इक्कीस रूपये का डाला है। टैंडर सिंगल होने के कारण स्वीकृति हेतु मुख्य अभियन्ता,

29.08.2018/1450/TCV/AG-8

हमीरपुर क्षेत्र के कार्यालय पत्र दिनांक 03 अगस्त, 2018 द्वारा प्रमुख अभियन्ता, कार्यालय को भेजा गया जोकि कुछ त्रुटियों के कारण मुख्य अभियन्ता, हमीरपुर क्षेत्र को प्रमुख अभियन्ता के पत्र दिनांक 23 अगस्त 2018 द्वारा वापिस भेजा गया है। टैंडर की स्वीकृति होने के उपरान्त यह कार्य आवार्ड कर दिया जाएगा। कार्य को निश्चित समयावधि में शीघ्र पूर्ण करने के विभाग द्वारा भरसक प्रयास किए जाएगें।

इसके अतिरिक्त पुल से आगे बस्ती को ज़ोडने वाली दो कि0मी0 लम्बी प्रस्तावित सडक के निर्माण हेतु विभाग द्वारा फोरेस्ट केस तैयार किया जा रहा है। Forest Conservation Act की स्वीकृति उपलब्ध होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाएगी।

****

29.08.2018/1450/TCV/AG-9

अध्यक्षः अब श्री हीरा लाल जी नियम- 324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री हीरा लालः अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान करसोग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में भारी वर्षा से हुई तबाही के कारण क्षेत्र की मुख्य सडकें व गांव की सडकें अवरूद्ध हुई हैं। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन सडकों को जनहित में शीघ्र बहाल करने की कृपा करें ।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय वस्तुस्थिति इस प्रकार से है :-

करसोग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक 25 अगस्त, 2018 तक वर्षा से सडकों को मुबलिग पॉच करोड सोलह लाख चालीस हजार रूपये का नुकसान हुआ है।

दिनांक 12 अगस्त, 2018 तथा 13 अगस्त, 2018 को हुई भारी वर्षा से करसोग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 26 मुख्य एवं ग्रामीण स़डके बन्द हुई थी।

अधिषासी अभियन्ता करसोग मण्डल हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग, करसोग में तैनात Field Staff की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी और बन्द स़डकों को बहाल करने का दिन रात प्रयास किया गया, जिसके फलस्वरूप सभी बन्द स़डकों को बहाल कर दिया गया है, केवल एक स़डक करसोग-काण्डा बडे वाहनों के लिए वर्तमान में बन्द है उसे भी शीघ्र अति षीघ्र खोलने के प्रयास जारी है। वर्तमान में यह स़डक छोटे वाहनों के लिए बहाल है।

29.08.2018/1450/TCV/AG-10

अध्यक्षः अब श्री होश्यार सिंह जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

Sh. Hoshyar Singh: Speaker Sir, would like to bring to the notice of Government that the Heritage sites identified till today. Any disbursement of funds from ADB. So, I request to the Government to take necessary step to identified the said Heritage sites like temples, Monuments, forts, ponds, lakes etc.छ

Chief Minister: Speaker sir, The Government of Himachal Pradesh in its endeavor to protect and preserve the rich Heritage of Himachal Pradesh has taken a leap forward in declaring/identifying its Villages, Forts, Palaces, ASI Monuments and National Park as Heritage, which are of immense importance from Heritage and tourism point of view.

Till today, the Government in Tourism Department, has identified/notified the following Sites/Villages as Heritage sites:-

1. Paragpur in Tehsil Dehra of District Kangra as Heritage Village vide Notification No. Tsm-F(2)-2/1993 dated 9-12-1997.

2. Garli in Tehsil Dehra of District Kangra as Heritage Village vide Notification No. Tsm-F(1)-3/2001-I dated 7-3-2002.
3. Naggar including the Roerich Estate situated in District Kullu as Heritage Village vide Notification No. Tsm-F(1)-3/2001-I dated 18-7-2003.
4. Kalpa including its hamlets Sario and Raduley situated in District Kinnaur as Heritage Village vide Notification No. Tsm-F(1)-3/2001-I dated 22-10-2003.

The Government, in the Language and Arts Culture Department, has Identified 56 Forts in 12 Districts, 36 Palaces in 11 Districts (except Bilaspur

29.08.2018/1450/TCV/AG-11

District) and 40 Archaeological Survey of India (ASI) Monuments (except Solan, Una, Kinnaur and Bilaspur Districts).

The Government, in the Forest Department, has initially notified one World Heritage Site, i.e., Great Himalayan National Park Shamshi in Kullu District in the year 1984.

No funds have been provided by ADB to these Heritage sites, however, ADB funds have been utilized to beautify and improve some other sites that have importance from heritage point of view.

Himachal Pradesh is home to rich Heritage and Culture which treasures many Buildings, Havelis, Forts, Palaces, Lodges, Mansions, etc., having historic lineage to a time period, which have allegiance to the era of princely states and British Raj times. With an aim of opening these Heritage Buildings to

the tourists; the State Government has introduced Himachal Pradesh Heritage Tourism Policy, 2017, which was notified vide Notification No. Tsm-F(1)-1/2016 dated 7-10-2017.

My Government vide D.O. letter No. LCD-B(15)-3/2016 dated 20-6-2018, has sent a write up to the Government of India, Ministry of Tourism for consideration the heritage sites/monuments under the Adopt Heritage चApni Dharohar Apni Pehchanछ Scheme for including the 07 (seven) existing sites, (i) Kangra Fort, Kangra (ii) Rock Cut Temple,

Masur, Kangra (iii) Bharmour temple complex, Chamba (iv) Kaza Monastery, Spiti (v) Tabo Monastery, Spiti (vi) Key Monastery, Spiti (viii) Chitkool Village, Kinnaur and 20 (twenty) additionally proposed sites, (i) the Chamunda Temple, Devi Kothi (ii) Magru Mahadev Temple, Chhatri (iii)

29.08.2018/1450/TCV/AG-12

Parashar Rishi Temple, Uttarsal Mandi (iv) Radha Krishan Temple, Dada Siba (v) Janaki Nath Temple Jaisinghpur (vi) Shiv Temple, Amman (vii) Shri Mahadev Bhuvneshwar Temple, Rajnagar (viii) Kamlah Fort, Dharampur, Mandi (ix) Mirkula Devi Temple, Udaipur, Distt. Lahaul & Spiti (x) Phoo Ghumpha, Tabo, L & S (xi) Parshu Ram Temple Complex, Nirmand (xii) Chehni Kothi, Banjar (xiii) Manu Maharaj temple, Shainsher (xiv) Gondhla Fort at Gondhla (L & S) (xv) Kangyur Monastery, Kanam, Kinnaur (xvi) Rock Art in Spiti (xvii) Kalka-Shimla Railway - A World Heritage Site (xviii) Hairpur Village, Kangra (xix) Ranjor Palace & Sirmour Palace, Nahan (xx) Sapani Fort, Kinnaur.

My Government is committed to take Himachal Pradesh to utmost heights by way of development of tourism. The development of Heritage Tourism in the State is one of the key endeavors of our Government in this direction, thus further steps shall be taken to identify and declare more Heritage sites in Himachal Pradesh.

In view of the facts narrated above, Hon'ble MLA is requested to withdraw the Notice raised under Rule-324.

****

29.08.2018/1450/TCV/AG-13

अध्यक्षः अब श्री इन्द्र सिंह (बल्ह) नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री इन्द्र सिंह (बल्ह) : "मैं सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत निर्माणाधीन खुडडी-खेतरी-लेदा उठाऊ पेयजल योजना की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय जी, इस योजना को पूर्ण करने में अनावश्क विलम्ब किया गया है तथा समय पर पूर्ण न होने के कारण वहां की स्थानीय जनता को काफी कठिनाईयों का सामना करना प़ड रहा है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस योजना को जन हित में शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करवाने की कृपा करें"

सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वास्तविक स्थिति इस प्रकार हैंः-

बल्ह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत चार पंचायतों की 26 बस्तियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए उठाऊ पेयजल योजना खुडडी-खेतरी-गुरकोठा की प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति NRDWP के अन्तर्गत दिनाँक 30-10-2010 को ₹ 306.05 लाख की प्रदान की गई थी। दो अन्य पेयजल योजनाएं भी उसी समय NRDWP के अन्तर्गत स्वीकृत हुई थी जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः-

क्रम संख्या	योजना का नाम	अनुमानित लागत	स्वीकृति की तिथि
1	उठाऊ पेयजल योजना, घरबाड़सडा घ्ड़यातर टरवाई	219.66 लाख रूपये	30-10-2010
2	उठाऊ पेयजल योजना समौणू चौकी बरालनू	3.52 लाख रूपये	17-01-2011

29.08.2018/1450/TCV/AG-14

Year-wise Budget and Expenditure (Rs. In Lakh)																	
Sr.No.	Name of Scheme	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14			2014-15	2015-16		2016-17		2017-18	
		Budget	Expdtr.	Budget	Expdtr.	Budget	Expdtr.	Budget	Expdtr.	Budget	Expdtr.	Budget	Expdtr.	Budget	Expdtr.	Budget	Expdtr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Providing LWSS to PC habitation Khudi Khatri Gurkotha Jamramni, Samlehar, BeriKothi in GP Kothi, Beri and Barswahan.	13.37	13.37	90.33	90.33	10.27	10.27	59.46	59.46	56.06	56.06	42.61	42.61	40.32	40.32	17.92	17.92
2	Providing LWSS to PC habitation Gharbasra, Ghadyater and Tarwai in GP Bairkot and Lukhan	9.66	9.66	38.76	38.76	4.99	4.99	72.79	72.79	51.77	51.77	13.34	13.34	10.02	10.02	30.00	30
3	Providing WSS to NC/PC habitation Samanoo, Chowki&Bralanu in GP lokhar Tehsil SadarDistt.Mandi HP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.15	6.15	15.23	15.23
	Total:-	**23.03**	**23.03**	**129.09**	**129.09**	**15.26**	**15.26**	**132.25**	**132.25**	**107.83**	**107.83**	**55.95**	**55.95**	**56.49**	**56.49**	**63.15**	**63.15**

29.08.2018/1450/TCV/AG-15

इन तीनों योजनाओं का संयुक्त स्त्रोत (दो नलकूप) होने के कारण एक ही योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। संयुक्त रूप से कार्यान्वित इन तीनों योजनाओं के अन्तर्गत पाँच पंचायतों की 37 बस्तियां लाभान्वित होंगी। इस योजना का सारा कार्य पम्पिंग मशीनरी की installation व वितरण प्रणाली के लगभग 10 प्रतिशत भाग को छोडकर पूर्ण कर लिया गया है। इस पेयजल योजना पर अब तक 583.05 लाख रूपये व्यय किये जा चुके हैं। इस योजना के षेश कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर दिया जाएगा जिसके लिए धन उपलब्ध है।इस योजना के कार्यान्वयन में इसलिए विलम्ब हुआ क्योंकि प्रतिवर्ष थोडा-थोडा बजट आबंटन हुआ तथा बजट उपलब्धता अनुसार कार्य किया गया। वर्षवार बजट व व्यय का ब्यौरा प्रपत्र ''क'' पर दिया गया है।

29.08.2018/1450/TCV/AG-16

अध्यक्षः अब श्री राम लाल ठाकुर जी, नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री राम लाल ठाकुररू अध्यक्ष जीए पिछले बजट सत्र में मैने आई0पी0एच0 मंत्री जी से अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ पानी की स्कीमों में सुधार हेतु आग्रह किया था, आदरणीय

मंत्री जी ने उस पर कार्रवाई करते हुए विभाग को आदेष भी दिए थे। परंतु अभी तक देखने में यह आया है कि ब्रडी संख्या में पेयजल टैंक को ढकने की व्यवस्था नहीं है। असामाजिक तत्व कभी भी किसी अनहोनी घटना को अंजाम दे सकते हैं। भाख़डा गांव में बने पेयजल टैंक में मैंने स्वयं मरे हुए बंदर व पक्षी देखे हैं क्योंकि यह टैंक भी खुला प़डा है। सरकार से आग्रह है कि यह लोगों के स्वास्थ्य से जुडा हुआ अति महत्वपूर्ण मसला है क्योंकि हमेशा ही महामारी फैलने का अंदेशा रहता है। सरकार लोगों के स्वास्थ्य से हो रहे इस खिलवाड़ को तुरन्त रोकने का प्रयास करें ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जायेछ

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, पिछले विधान सभा बजट सत्र में माननीय सदस्य द्वारा पेयजल सम्बन्धित समस्या बारे अवगत करवाया था तथा पेयजल समस्या से निपटने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देष जारी किए गये थे। इस सन्दर्भ में माननीय सदस्य द्वारा कुछ योजनाएं मेरे ध्यान में लाई गई थी जिन पर सुधार कार्य भी किए गये है। इन योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

उठाऊ पेयजल योजना बस्सी रो़ड जामन कोट खास टोवा व दबट ः इस योजना का जल स्त्रोत आनन्दपुर हाईडल चैनल से उठाऊ पेयजल योजना श्री नैना देवी जी के (WTP at Kot khas) है। इस योजना की वितरण प्रणाली में कमियों को दूर कर दिया गया है तथा अब यह योजना सुचारू रूप से कार्य कर रही है। इसके अन्तर्गत आने वाली जनसंख्या को पेयजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाया जा रहा है।

उठाऊ पेयजल श्री नैना देवी जी (पुरानी) काला कुण्ड से ः इस योजना का मुख्य जल स्त्रोत गोबिन्द सागर झील है तथा यह योजना 7/2017 तक सुचारू रूप से चल रही थी लेकिन इसके पश्चात् कार्य नहीं कर रही थी । इस योजना के पानी की कमी को ''उठाऊ पेयजल योजना श्री नैना देवी जी जिसका निर्माण आनन्दपुर हाईडल

29.08.2018/1450/TCV/AG-17

चैनल से किया गया है'' के द्वारा पूरा किया गया था। अब 6/2018 में इस योजना की Pumping Machinery व Pump House का मुरम्मत कार्य पूर्ण करके इस योजना को भी कार्यान्वित कर दिया गया है।

<u>उठाऊ पेयजल कनफारा भट्टेड</u>ः यह योजना निर्माणाधीन थी परन्तु इसके स्त्रोत में गर्मियों में पानी की कमी आ गई थी । इस कमी को 2 मिनी Borewell लगाकर पूरा किया गया है व योजना को चालू कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त श्री नैना देवी विधान सभा क्षेत्र में 01.04.2018 से अब तक 25 हैण्डपम्प स्थापित किए तथा 6 हैण्डपम्पों का विद्युतीकरण किया गया । श्री नैना देवी विधान सभा क्षेत्र की 4 पेयजल स्कीमों में स्त्रोतों का सम्वर्धन कोल डैम स्कीम द्वारा भी किया गया है जिनके नाम उठाऊ पेयजल योजना सुई सरहा़ड, जुखाला, भोली पहलवाना तथा सियोला मझोट है ।

माननीय सदस्य द्वारा पेयजल टैंकों के ढक्कनों की व्यवस्था के बारे में जो मामला उठाया है इस सन्दर्भ में यह कहना है कि वर्तमान में श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में जो कुल 208 शुद्ध जल भण्डारण टैंक हैं उन सभी टैंकों को ढक्कन लगाये गये है। माननीय सदस्य द्वारा विषेश रूप से भाखडा गांव के पेयजल टैंकों में ढक्कन न होने की बात कही है, भाखडा गांव को उठाऊ पेयजल योजना भाखड़ा माकडी से पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इस गांव में कुल 2 शुध्द जल भण्डारण टैंक हैं, जिनमें ढक्कन लगाये गये हैं। इसी गांव में इस योजना का जल शोधन प्लांट भी स्थापित है जिसमें रॉ वाटर टैंक (Raw Water Tank), सैडीमेन्टेशन टैंक (Sedimentation Tank), Flocculator, settling tank व filter bed बने है। यह सारे structures (except filter bed) आमतौर पर बिना छत के ही बनाये जाते हैं। शोधन (Treatment) के पश्चात ही जल को ढक्कन युक्त भण्डारण टैंकों में रखा जाता है। जल शोधन प्लांट पर बने रॉ वाटर टैंक (Raw Water Tank), सैडीमेन्टेशन टैंक (Sedimentation Tank) व अन्य पेयजल ढांचों का निरीक्षण, रख रखाव व सफाई इत्यादि समय-2 पर की जाती है। पेयजल योजना भाखड़ा माकडी के संचालन एवं रख-रखाव का कार्य outsourcing द्वारा किया जा रहा है तथा इस

29.08.2018/1450/TCV/AG-18

योजना के Treatment plant व टैंकों में किसी भी मृत जानवर (बन्दर) या पक्षी के मृत पाये जाने का मामला संज्ञान में नही आया है।

विभाग द्वारा नियमित रूप से पेयजल योजनाओं के नमूनो की पेयजल गुणवता की जांच की जाती है जिससे पानी के प्रदुषित/गुणवता बारें मालूम हो जाता है। इसी वर्ष मार्च के पश्चात श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के 190 व 85 हैण्डपम्पों के सैम्पलों की जांच की गई है तथा उठाऊ पेयजल योजना भाख़डा माक़डी के 5 सैम्पलों की जांच की गई है, जो बिल्कुल सही गुणवता के पाये गये हैं।

29.08.2018/1450/TCV/AG-19

अध्यक्षः अब श्री मुलख राज जी नियम 324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री मुलख राजः अध्यक्ष महोदय मैं, सरकार का ध्यान बॉस्केट बाल स्पोंटस हॉस्टल पपरोला के भवन की ओर दिलाना चाहता हूँ कि पिछले 3 वर्षों में इस भवन की मुरम्मत पर कितना धन व्यय हुआ व कितना शेष है। क्या सरकार नया भवन बनाने का विचार रखती है। पिछले 3 वर्षों में यहां पर क्रीड़ा हेतु कितने खिलाड़ी आए व इस अवधि के दौरान उनके रहन-सहन, खान-पान पर कितना धन व्यय हुआ की पूर्ण जानकारी प्रदान करने की कृपा करें?

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि बास्केटबॉल स्पोर्टस हॉस्टल पपरोला के भवन मुरम्मत आदि कार्य हेतू पिछले 3 वर्षों से विभाग को बास्केटबॉल हॉस्टल प्रभारी/प्रधानाचार्य के माध्यम से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ अतः पिछले तीन वर्षों में बास्केटबॉल हॉस्टल की मुरम्मत पर कोई भी व्यय नहीं किया गया है और न ही विभाग के

पास मुरम्मत से सम्बन्धित कोई धन शेष है। जहां तक नया भवन बनाने का सम्बन्ध है इस हेतू स्पोर्टस हॉस्टल के माध्यम से विभाग को कोई भी आंकलन/प्राक्कलन प्राप्त नहीं हुआ है। जब विभाग को नया भवन बनाने हेतू कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा तो उस पर विभाग आगामी कार्यवाही करेगा।

पिछले 3 वर्षों में बास्केटबॉल स्पोर्टस हॉस्टल पपरोला द्वारा प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पपरोला से प्राप्त सूचना अनुसार 01.04.2015 से 13.03.2018 तक खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्रमशः वर्षवार निम्न प्रकार से हैः-

29.08.2018/1450/TCV/AG-20

2015-16

क्रम संख्या	स्कीम जिसके तहत बजट दिया गया	स्वीकृत राशि	व्यय	शेष
1	अन्य व्यय ;	5,40,000/-	5,40,000/-	शून्य
2	सामग्री वितरण	2,00,000/-	2,00,000/-	शून्य

2016-17

क्रम संख्या	स्कीम जिसके तहत बजट दिया गया	स्वीकृत राशि	व्यय	शेष
1	अन्य व्यय ;	5,20,000/-	5,19,385/-	615/-
2	सामग्री वितरण	2,00,000/-	2,00,000/-	शून्य

2017-18

क्रम संख्या	स्कीम जिसके तहत बजट दिया गया	स्वीकृत राशि	व्यय	शेष
1	अन्य व्यय ;	6,40,000/-	6,39,981/-	19/-
2	सामग्री वितरण ;	2,40,000/-	2,40,000/-	शून्य

वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पपरोला जिला कांग़डा हिमाचल प्रदेश में बास्केटबॉल स्पोर्टस हॉस्टल में क्रीड़ा हेतू जितने खिलाड़ी नामांकित हुए उनका विवरण इस प्रकार से हैः-

क्रम संख्या	वर्ष	खिलाड़ियों की संख्या	टिप्पणी
1	2015-16	20	--
2	2016-17	20	--

3	2017-18	20	--
4	2018-19	19	वर्ष 2018-19 में 20 खिला़डियों ने हॉस्टल में प्रवेश लिया था परंतु एक खिला़डी स्पोर्टस हॉस्टल छो़डकर चला गया है।

29.08.2018/1450/TCV/AG-21

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठायेंगे।

श्री इन्द्र दत्त लखनपालः अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान राजकीय महाविद्यालय बड़सर की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से बच्चों को स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने हेतु लगभग 40 कि0 मी0 जाना पड़ता है और आने जाने की दूरी छात्र-छात्राओं को 80 कि0 मी0 पड़ती है। जिससे छात्र-छात्राओं को असुविधा का समाना करना पड़ता है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि छात्र-छात्राओं को इतनी लम्बी दूरी तय करके हमीरपुर जाना पड़ता है। अतः इस दृष्टि के अंतर्गत यहां बड़सर महाविद्यालय में M.A. (History) और M.Com की कक्षाएं अतिशीघ्र प्रारम्भ करने के आदेश जारी करने की कृपा करें। क्या इसकी अधिसूचना भी जारी की गई है?

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक द्वारा उठाए गए मामले की वास्तविक स्थिति इस प्रकार से हैः-

राजकीय महाविद्यालय, बड़सर जिला हमीरपुर में M.A. (History) और M.Com की कक्षाएं सत्र 2018-19 से प्रारम्भ करने हेतु अनुमति प्रदान कर दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार किसी विषय में स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओं के अध्यापन कार्य हेतु संबंधित विषय सहायक/सह प्राध्यापक के 2 पदों का होना अनिवार्य

है। महाविद्यालय में स्नातक स्तर की कक्षाओं के लिए इतिहास विषय में सहायक प्राध्यापक का 01 पद स्वीकृत व भरा है। इसी तरह वाणिज्य संकाय में 02 पद स्वीकृत है और दोनों पद भरे हैं। महाविद्यालय में 11 कक्षा-कक्ष हैं; जोकि स्नातक स्तर की कक्षाओं के सुचारू संचालन हेतु भी पर्याप्त नहीं है। अतः वर्तमान सत्र से बड़सर महाविद्यालय में M.A. (History) और M.Com की कक्षाएं आधारभूत ढांचा व शिक्षक की उपलब्धता आगामी सत्रों में संभावित है।

29.08.2018/1450/TCV/AG-22

अध्यक्षः अब श्री होशयार सिंह, नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

Shri Hoshyar Singh: Speaker sir, I would like to bring to the notice of Government the State Solar Power Policy for polluting industries to purchase power under (RPO) Renewable Purchase Obligation. Local Solar Industry to be promoted to set up Solar Power and Supply to the polluting industry like Cement, Iron & Steel plant, furnace replacement ".

MPP&Power Minister: Speaker sir, The Ministry of New and Renewable Energy, Government of India launched the National Solar Mission programme in the year 2010. This mission was launched to reduce the cost of solar power generation in the country through by having a long term policy and large scale deployment of the systems. This would further help in Research and Development in the field of Solar technologies. It also further help in creating employment to the un-employed youths. Besides, it will also help in achieving the Renewable Power Purchase Obligation (RPPO).
Keeping in view the success achieved in the installation of Grid connected Solar projects, the Ministry of New and Renewable Energy, GOI revised the

target of Solar Power Projects upto 1,75,000 MW by the year 2021-22 under the National Solar Mission. Out of this total target, 40,000 MW has to be achieved under the Grid Connected Rooftop Solar Programme. Under the Grid connected Rooftop Solar Programme the Plants are to be installed on the buildings and vacant spaces in the Domestic/Institutional/ Social Sector buildings/Government buildings for which Central Financial Assistance is provided by the Ministry.

29.08.2018/1450/TCV/AG-23

As per the guidelines laid down in the National Solar Mission, the State Government also prepared and notified the Solar Power Policy on dated 14th March, 2014. While there is sufficient generation of Renewable Energy through SHPs, it was desirable so that HPSEBL could achieve its Renewable Power Purchase Obligations (RPPOs) as there was abundant Solar potential available in the State which was largely untapped. in order to have more investments in the Solar projects and to create an investment climate where doing business in the State is easy and the investment is safe and profitable, State Government notified the revised Solar Power Policy in January, 2016. In addition, the State Government is also providing subsidy of Rs 4000 per kWp on Grid connected Rooftop Solar Plants.

As per the State Solar Policy, Grid connected Solar Projects are being implemented in two different modes:

a. Ground Mounted Solar Projects.
b. Grid connected Rooftop Plants

All industries including Cement, Iron & Steel industries are being encouraged to put up Solar power plant's on their rooftop or otherwise. However, this is not mandatory under existing Solar Power Policy of the State, nor do they have any Solar Renewable Purchase Obligation (RPO) unless they generate their own power from any source like diesel or thermal.

The State Government will continue to make efforts so that industries set up their own Solar generation power plants.

29.08.2018/1450/TCV/AG-24

अध्यक्षः अब श्री हीरा लाल, नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री हीरा लालः अध्यक्ष महोदय, निर्वाचन क्षेत्र करसोग में भारी बरसात के कारण दूरदराज के गांव विद्युत से वंचित हो रहे हैं तथा ट्रांसफार्मों व खम्बों की कमी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना प़ड रहा है। करसोग विद्युत मण्डल के लिए ट्रांसफार्मों तथा विद्युत के खम्बों की तुरन्त आवश्यकता है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि करसोग के लिए स्वीकृत ट्रांसफार्मों व खम्बों को जनहित में शीघ्र स्थापित करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।"

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एंव ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, निर्वाचन क्षेत्र करसोग, जिला मण्डी में भारी वर्षा के कारण 12 अगस्त 2018 को चुराग पांगणा 22 के0वी0 फीडर के दो स्टील के खम्भे भूस्खलन के कारण गिर गए थे जिससे सुबह चार बजे से अपराह्न 2 बजे तक करसोग विधान सभा क्षेत्र के काण्डा, वगसा़ड, जस्सल सांवीधार, माहौरा आदि क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रही। दोपहर दो बजे तक स्टील के खम्भों को ख़डा करके 22 के0वी0 फीडर को चालू कर दिया गया था। तदोपरान्त विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है।

उपरोक्त क्षेत्रों के अलावा अन्य दूर-दराज के क्षेत्रों में एल0टी0 लाईन्ज में जो मामूली खराबी से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई थी वह भी साथ-साथ उसी दिन शाम तक बहाल कर दी गई थी। करसोग विधान सभा क्षेत्र के सभी ट्रांसफार्मर चालू हालत में है।

करसोग विधान सभा क्षेत्र में 8/9/10 मीटर के 259 नग स्टील पोल आंबटित किए गए हैं। पोल उपलब्धता के आधार पर दूर-दराज के क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं। यदि किसी स्थान में खम्भों की और आवश्यकता होगी तो वह भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।

करसोग विधान सभा क्षेत्र में 10 नये ट्रांसफार्मर्ज विभिन्न स्थानों जोहड, टीकरीधार, लिछडी, जगौती, जगातखाना, नौवा, जनखुणी, बागचिट्ठा धारठू, रौडीधार, मढीधार में स्थापित किए गए हैं। इनके अलावा लेथहरी, बखास, जींगल, कराडल, पंजयाणु, बेगू, कटोल, धमेल तथा डींग नामक स्थानों पर 9 नये ट्रांसफार्मर्ज लगाने का कार्य प्रगति पर है।

****

29.08.2018/1450/TCV/AG-25

अध्यक्षः अब श्री राकेश पठानिया जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

Sh. Rakesh Pathania: Speaker sir, I raise the matter of Town Hall at the Mall - Shimla - To be converted into Mayor Office cum tourist attraction center छ

Urban Development Minister: Hon'ble Speaker Sir, The matter is sub-judice and decision in this regard would be taken accordingly.

29.08.2018/1450/TCV/AG-26

अध्यक्षः अब श्री हर्षवर्धन चौहान नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएगें।

Harshwardhan Chauhan: Hon'ble Speaker sir, more than 10 trees of Chir and Deodar have been illegally cut recently in Bali Koti Beat of Shillai Range in

Renuka Forest Division but no action has been taken by the Forest Department. The department is trying to compound the case in convince with the Culprits. I request to minister to take suitable action and file FIR against the culprits so such incidences should not happen again.

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक द्वारा उठाए गए मामले की वास्तविक स्थिति इस प्रकार से है कि दिनांक 24.08.18 को सुबह के समय वन रक्षक शिलाई श्री हुकमी राम को श्री रामभज पुत्र श्री पंजी राम ग्राम बालिकोटी द्वारा दूरभाश के माध्यम से आरक्षित वन बालिकोटी के कम्पार्टमेंट न0 12 में चीड़ प्रजाति के वृक्ष काटने की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन रक्षक घटना स्थल पर पहुंचा तो वहां लाल सिंह पुत्र श्री मीना राम ग्राम निवासी बालिकोटी को मौके पर पाया गया। मौके पर जब उक्त व्यक्ति से वन रक्षक द्वारा पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि चीड़ के वृक्ष उसके द्वारा अपने निजि इस्तेमाल के लिए कटवाए गए हैं। छानबीन में मौके पर कुल 7 चीड़ के पे़डों के ताजे कटे मुंडे (Stumps) Js.kh&IV के 6 तथा Js.kh&III का 1 पाए गए।

डैमेज रिर्पोट पर लाल सिंह पुत्र श्री मीना राम ग्राम निवासी बालिकोटी द्वारा जुर्म को कबूल कर लिया गया है। जिस पर श्री रामभज पुत्र श्री पंजी राम ग्राम बालिकोटी ने गवाह के तौर पर हस्ताक्षर किए हैं। डैमेज रिर्पोट को वन खण्ड अधिकारी शिलाई द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। मौके पर प्राप्त लक़डी विभिन्न आकार की थी जिसको तुरन्त ढुलान करना सम्भव नहीं था। अतः दिनांक 25.08.2018 को इस लक़डी का कन्वर्शन गेलियों के आकार में कराया गया जिसके विभिन्न आकार के 41 नग वन रक्षक शिलाई द्वारा अपना बीट हैम्बर न0 RKSZF47D

29.08.2018/1450/TCV/AG-27

लगाकर कब्जे में ले लिए गए हैं तथा ढुलान कर रैंज परिसर शिलाई में रखे गए हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी शिलाई ने दिनांक 27.08.2018 को पुलिस थाना प्रभारी, शिलाई से अनुरोध किया कि इस मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाए। तदानुसार पुलिस द्वारा अपराधी श्री लाल सिंह पुत्र श्री मीना राम ग्राम बालिकोटी के विरुद्ध दिनांक 27.08.2018 को FIR न0 0051 दर्ज कर ली गई है।

अतः इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई कर ली गई है।

29.08.2018/1450/TCV/AG-28

अध्यक्षः अब श्री इन्द्र दत्त लखनपाल नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री इन्द्र दत्त लखनपालः अध्यक्ष महोदय, मैं, सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र ब़डसर में बस अड्डे का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था इस हेतु भूमि का चयन भी कर लिया गया था तथा इसका शिलान्यास भी कर दिया था। परन्तु आज दिन तक सरकार द्वारा इस पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनहित में इस बस अड्डे का निर्माण किया जाए ताकि यहां की स्थानीय जनता को असुविधा का सामना न करना प़डे।

मुख्य मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन एवं बस अडडा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा बड़सर मैहरे नामक स्थान पर बस अड्डा बनाया जाना प्रस्तावित है।

बस अडडा बड़सर मैहरे के निर्माण हेतु 3456 वर्ग मीटर भूमि का चयन कर लिया गया है जो वर्तमान बस अड्डे से 600 मीटर की दूरी पर है तथा यह भूमि वर्ष 2011 में परिवहन विभाग के नाम स्थानान्तरित हो चुकी है । इस भूमि पर तत्कालीन मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा दिनांक 15.06.2012 को शिलान्यास कर दिया है। इस बस अड्डे के निर्माण हेतु मु0 1.70 करोड रूपये का प्रावधान करके राशि प्राधिकरण को जारी कर दी है। जिसमें से मु0 50.00

लाख रूपये की राशि लोक निर्माण विभाग को जारी की जा चुकी है। इस बस अड्डे के निर्माण हेतु नक्शा व प्राक्कलन भी तैयार कर दिया गया है। जिसकी कुल लागत मु0 1,29,66,890/-रूपये आंकी गई है । चयनित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ सटी होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग अथारिटी का अनापति प्रमाण पत्र लेना वांछित है । अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अथारिटी से पत्राचार किया है। जिस पर राष्ट्रीय राजमार्ग अथारिटी ने मैप वनाने के लिए कुछ मार्ग निर्देश दिये हैं तथा प्राधिकरण द्वारा इन दिशानिर्देशों के अनुसार बस अड्डे की नई रूप रेखा (मैप) बना लिया है जिसे अनुमोदन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अथारिटी के सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है ताकि अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सके। जैसे ही मैप की मंजूरी व अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगी, बस अड्डे के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।

29.08.2018/1450/TCV/AG-29

अध्यक्षः अब डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिलः अध्यक्ष महोदय, मैं अनुमति से निम्न विषय उठाना चाहता हूंः

1. मैं, सरकार का ध्यान लक्क़ड बाजार बस स्टैंड में जो दुकान अलॉट की गई है वे किस आधार पर की गई है;

2. ये दुकानें उसी उद्देश्य से चलाई जा रही है, जिस उपयोग हेतु दी गई है; ब्यौरा दें ।

3. इन दुकानों के बनने से जगह बहुत तंग हो गई है जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना प़डता है, क्या सरकार इस व्यवस्था को सुधार करने का विचार रखती है ।

29.08.2018/1450/TCV/AG-26

4. जो कश्मीरी/खान वहां सामान रखने का काम करते हैं क्या इस जगह का समय-समय पर टेंडर किया जाता है और इस जगह को किस आधार पर दिया गया है तथा इस जगह के कब-कब टेंडर किए गए और किस-किस व्यक्ति को दिए गए; नाम व पते सहित ब्यौरा दें ।
5. सरकार इस बस स्टैंड में क्लॉक रुम बनाने का विचार रखती है जिससे यात्रियों का सामान सुरक्षित रहे जो ढारा खानों को सामान रखने के लिए किराये में दिया गया है उस की हालात बहुत खस्ता है विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है; कारण सहित विभाग ब्यौरा दें । मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनहित में लोगों की सुविधा हेतु बस अड्डे की व्यवस्था में शीघ्रातिशीघ्र सुधार करने की कृपा करें ।

29.08.2018/1450/TCV/AG-30

परिवहन मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बस अड्डा लक्क़ड बाजार में जो भी दुकानें आवंटित की गई है वह सभी नीलामी व खुली बोली के आधार पर तय नीति के अनुसार 33 माह की अवधि के लिए वर्ष 1990 में दी गई हैं तथा प्रति 11 माह के बाद अनुबंध का नवीनीकरण किया जाता है।

बस अड्डा लक्क़ड बाजार में 8 दुकानें हैं जिसमें से 7 दुकानें जिस उद्देश्य के लिए दी गई हैं वह उसी उपयोग के लिए चलाई जा रही हैं। एक दुकान जो कि जनरल स्टोर के लिए आवंटित की गई थी उस दुकान को जल पान के व्यापार के लिए उपयोग किया जा रहा है जिसका मामला निचली अदालत शिमला में विचाराधीन है ।

बस अड्डा लक्क़ड बाजार में स्थित दुकानें वर्ष 1990 से पूर्व की निर्मित हैं तथा बस अड्डा प्राधिकरण ने इस बस अड्डे को नवीनीकरण करने पर विचार किया था परन्तु यह स्थान पानी के रिसावग्रस्त होने के कारण सिरे नहीं च़ढ पाया, फिर भी आम जनता की परेशानियों को कम करने के लिए दुधली, भराड़ी की तरफ जाने वाली बसों को

आकलैंड टनल के पास से चलाने का प्रबन्ध किया है । जिस ढारे में कश्मीरी/खान सामान रखने का काम करते हैं इस जगह का टेंडर शुरुआत में केवल एक बार ही हुआ है तथा यह जगह श्री मोहन सिंह सपुत्र श्री राम राखा निवासी रुलदू भट्ठा शिमला को वर्ष 1990 में खुली नीलामी द्वारा 33 महीने के लिए अलॉट की गई थी जिसके इकरारनामे का नवीनीकरण हर 33 महीने के बाद बस अड्डा प्रबंधन की पालिसी के तहत किया जाता रहा है। परन्तु वर्ष 2015 में एक मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार लक्क़ड बाजार बस अड्डे का मुरम्मत कार्य कर दिया गया है लेकिन इस क्लॉक रुम की मुरम्मत कार्य के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ करने पर श्री मोहन सिंह ने उच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया है कि मुरम्मत के बाद क्लॉक रुम उसे ही प्रदान किया जायेगा ऐसा आश्वासन प्राधिकरण द्वारा दिया जाये। अभी तक यह मामला उच्च न्यायालय में ही विचाराधीन है ।

बस स्टैंड लक्क़ड बाजार में क्लॉक रुम का प्रावधान उपलब्ध है वर्ष 2015 में श्रीमति आशा चौहान द्वारा दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के बाद इस क्लॉक रुम की मरम्मत का कार्य किया जाना था। श्री मोहन सिंह द्वारा

29.08.2018/1450/TCV/AG-31

माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी परन्तु माननीय उच्च न्यायालय की जनहित याचिका को ध्यान में रखकर जिला एवं सत्र न्यायालय ने उसका मामला खारिज कर दिया। लेकिन अब श्री मोहन सिंह ने इस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में मामले में अपील दायर की है जिस कारण अभी तक क्लॉक रुम की मरम्मत नहीं हो पाई है। जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आयेगा प्राथमिकता के आधार पर इस क्लॉक रुम की मरम्मत करके जनता को सुचारु रूप से अच्छी सुविधा प्रदान की जायेगी।

29.08.2018/1450/TCV/AG-32

नियम-63 के अन्तर्गत अल्पकालीन चर्चा

अध्यक्षः अब श्री राकेश पठानिया जी नियम-63 के अन्तर्गत चर्चा उठाएंगे और औपचारिक प्रस्ताव न रखते हुए, इसमें माननीय सदस्य श्री होशयार सिंह भी चर्चा में भाग ले सकेंगे। तत्पश्चात् माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री राकेश पठानिया श्रीमती एन0एस0 .... द्वारा जारी।

29-08-2018/1455/NS/DC/1

श्री राकेश पठानियाः नियम-63 के अन्तर्गत "जिला कांगड़ा में उच्च न्यायालय की पीठ (Bench) स्थापित करने बारे यह सदन चर्चा करे।" का प्रस्ताव मैं और माननीय होशयार सिंह जी इस माननीय सदन में ले करके आये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिला कांगड़ा की यह बहुत पुरानी पैंडिंग डिमांड है। खास तौर पर जिला कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और चम्बा में अगर हम वकीलों का ब्रेकअप लें तो इस वक्त कांगड़ा में एक हज़ार से ऊपर, चम्बा में 300, हमीरपुर में 350 और ऊना में 450 रजिस्टर्ड प्रेक्टिशनर्ज़ हैं। अगर हम इन सबको इक्ट्ठा करें तो लगभग 2100 एडवोकेट्स इन क्षेत्रों में प्रेक्टिस कर रहे हैं। इन एरियाज़ की हाई कोर्ट में 70% पैंडेंसी लीटीगेशन की है और धर्मशाला इन सब क्षेत्रों का सैंट्रल प्वाईंट बन सकता है। अगर माननीय किशन कपूर जी मेरी बात से सहमत होंगे तो पिछले दिनों ही आठ करोड़ रुपये की लागत से धर्मशाला में कोर्ट के भवन का निर्माण हुआ है और यह भवन लगभग 70%खाली पड़ा हुआ है। सरकार को हाई कोर्ट के बैंचिज़ को वहां स्थापित करने में कोई समस्या नहीं आयेगी और कोई वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, सभी जानते हैं कि धर्मशाला में हमारा विधान सभा का शीतकालीन सत्र होता है और वहां पर पिछली सरकार ने विंटर कैपिटल की घोषणा भी की है। अगर हाई कोर्ट का एक बैंच वहां पर आ जाये तो चम्बा, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना इन सारे

क्षेत्रों के लिए धर्मशाला एक सैंटर प्वाईंट पड़ता है। हमारे लीटीगेशन वाले लोगों को जब शिमला आना पड़ता है तो उनको बहुत-सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहां पर पार्किंग की समस्या, ठहरने की समस्या और सफ़र बहुत लम्बा है, यहां तक कि बड़ा टीडियस सफर है। अमूमन जो लोग बड़ी लेट स्टेज़िज़ में अपनी लड़ाई लड़ते हैं, उन बुज़ुर्गों को जब यहां हाई कोर्ट में आना पड़ता है "Justice delayed is justice denied". मेरा सरकार से निवेदन है कि अगर आप इस प्रस्ताव को विस्तार से देखेंगे तो यह प्रस्ताव हिमाचल निर्माता परमार जी ने भी पास किया हुआ है। अगर आप इस प्रस्ताव के विस्तार में जायेंगे तो यह प्रस्ताव आदरणीय शांता जी और माननीय वीरभद्र जी ने भी पास किया हुआ है तथा माननीय धूमल जी ने भी इसको लिखित रूप से सरकार को भेजा है। अगर आप इस प्रस्ताव को गंभीरता से टेकअप करें तो जो लोअर बैल्ट के लोग हैं, उनको

29-08-2018/1455/NS/DC/2

बहुत बड़ी राहत इस बैंच के माध्यम से मिलेगी। लोअर बैल्ट के लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। इस विषय पर बोलने के लिए कम है लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और चम्बा के लोगों के लिए यह एक वरदान साबित होने वाला है। इन क्षेत्रों के लोग लम्बे सफ़र से बच जायेंगे और लीटीगेशन में रेट ऑफ प्रेजैंस भी बढ़ेगी। यह सारे-का-सार विषय सरकार के अधीन है। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से यही निवेदन रहेगा कि धर्मशाला में हाई कोर्ट का बैंच शीघ्रातिशीघ्र स्थापित किया जाए। आपने बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

29-08-2018/1455/NS/DC/3

अध्यक्षः अब माननीय स्दस्य श्री होशयार सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

Shri Hoshyar Singh: Thank you, Speaker Sir, for giving me time to take part in the discussion under Rule -63, regarding High Court(Bench) at Dharamsala. As we are aware that under Article-21 of the Constitution of India, Right to Speedy Justice has been given to every citizen of India. This is also a Fundamental Right. Everybody is aware that 70% cases of litigation of

Chamba, Kangra, Hamirpur and Una districts are pending either in the Tribunal Court or in the Hon'ble High Court and both are situated in Shimla. Since last 20-25 years many cases are pending. There is very urgent need to think for the speedy justice. It is very important to take a quick decision to solve these issues. In 1977, Sh. Shanta Kumar became the Chief Minister of Himachal Pradesh and his Cabinet gave approval for setting-up of High Court (Bench) at Dharamsala. The proposal was sent to the Government of India. But the Govt. of India sent it back to the State Government with a query to take consent of the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh in this regard. Thereafter, in the year 1990 again Shri Shanta Kumar Ji became the Chief Minister of the State. The matter was again taken up with the Hon'ble High Court but again there was no result.

Continued by DC in eng….

29.08.2018/1500/RKS/DC-1

Continued by Sh. Hoshyar Singh …..

On 15th October, 2008, the then Chief Minister, Prof. Prem Kumar Dhumal Ji wrote a letter to Shri Hans Raj Bhardwaj Ji, the then Hon'ble Minister of Law and Justice, Government of India, in which an amendment was sought in the Himachal Court Act to set up the Circuit Bench of High Court at Dharamsala. But again nothing came out in a positive way. In the previous State Assembly elections, all the political parties in the State declare in their manifesto that once they come in the power, they will set-up the High Court (Circuit Bench) in Dharamsala. It is also mentioned in Para No.-9 on Page-9 of the manifesto of present BJP Government also. इन दोनों पार्टियों का हमेशा मैनिफैस्टो रहा है कि चुनाव जीतने के बाद हाई कोर्ट का बैंच धर्मशाला में खोला जाएगा। लेकिन यह आज तक

नहीं खुला। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है और मुझे उम्मीद भी है कि इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति से भारत सरकार के पास पुनः प्रस्तुत किया जाए और हाई कोर्ट का सर्किट कोर्ट जल्द-से-जल्द धर्मशाला में खोला जाए ताकि जिला चम्बा, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना के लोगों को राहत मिल सके। जो लोग जिला चम्बा के दुर्गम क्षेत्रों से हाई कोर्ट आते हैं, उन लोगों को राहत मिलनी चाहिए। क्योंकि उन्हें यहां आने में 2-3 तीन दिन लग जाते हैं। वे कई बार बर्फ के कारण, कई बार बारिश और कई बार लैंड-स्लाइड के कारण फंस जाते हैं। जिस कारण वे हाई कोर्ट नहीं पहुंच पाते हैं। It is very genuine case for the benefit of the people. At present, there are two benches of Tribunal with four Members in Shimla but only two Members are there. दो मैम्बर्ज़ अभी तक नहीं है। मेरी गुजारिश है कि वे दो मैम्बर्ज़ भी जल्द-से-जल्द नियुक्त किए जाएं। ट्रिब्यूनल बैंचिज हर जिले में होने चाहिए ताकि लोगों को अपने मामलों का निपटान करने में आसानी रहे। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

29.08.2018/1500/RKS/DC-2

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी नियम-63 की चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय , माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी एवं श्री होशयार सिंह जी ने जिला कांगड़ा में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने बारे इस सदन में चर्चा करने के लिए प्रस्ताव लाया। माननीय विधायकों द्वारा उठाये गए प्रस्ताव की वस्तुस्थिति इस प्रकार हैः-

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हिमाचल प्रदेश के राज्य अधिनियम 1970 की धारा 21(2) के अंतर्गत की गई है, जिसमें निम्न प्रावधान हैः-

"The principal seat of the High Court of Himachal Pradesh shall be at Shimla"

उक्त अधिनियम में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ (Principal Seat) शिमला में ही स्थापित करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के किसी अन्य स्थान

पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने का अधिनियम में प्रावधान नहीं है। क्योंकि यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। अतः इसमें संशोधन करने के लिए भारत सरकार ही सक्षम है। धर्मशाला में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना करने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने हेतु भारत सरकार से दिनांक 15.10.2018 को आग्रह किया गया था, जिस पर भारत सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश से टिप्पणी मांगी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस पर दिनांक 29.10.2011 को विचार किया गया तथा उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया।

श्री बी0एस0... द्वारा जारी

29.08.2018/1505/बी.एस/एच.के./-1

मुख्य मंत्री जारी .....

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस विषय पर दिनांक 29.09.2011 को विचार किया गया तथा उच्च न्यायालय द्वारा इसे स्वीकृत नहीं किया गया। अतः उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त अस्वीकृति बारे भारत सरकार को वर्ष 2013 में सूचित कर दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय, अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो चम्बा का दूर-दराज का इलाका है यह मांग उन क्षेत्रों के लिए सही लगती है और यह भी सत्य है कि जो हमारे दूर-दराज के इलाकों में जो लोग रहते हैं उन्हें समय पर न्याय मिले। उस दृष्टि से आवश्यकता तो महसूस होती है । लेकिन उसके बावजूद जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को फोलो किया गया है। प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन उसके बावजूद प्रस्ताव वापिस उच्च न्यायालय को आया। माननीय उच्च न्यायालय ने यहां अपना उसमें निर्णय अस्वीकृति का दे दिया। ऐसी परिस्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय, हम माननीय सदस्यों की भावना से अवगत है। लेकिन यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम सब इस सारे विषय को ले करके आपस में चर्चा नहीं कर लेते और इस बारे में हाई कोर्ट ने अस्वीकृति दे दी है। इस

परिस्थिति में प्रस्ताव लाने से या बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बार उनसे चर्चा करना आवश्यक रहेगा। उनके समक्ष हम इस सारे विषय को फिर से रखेंगे और उसमें यदि हमें साकारात्मक बातें सामने आएंगी तो फिर से इसमें हम विचार करके आगे बढ़ेंगे।

29.08.2018/1505/बी.एस/एच.के./-2

नियम 61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा

अध्यक्ष : अब नियम 61 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी 23 अगस्त, 2018 को उद्धृत तारांकित प्रश्न संख्या 554 से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। यह अल्प कालीन चर्चा होगी।

श्री जगत सिंह नेगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 23 अगस्त, 2018 को उद्धृत तारांकित प्रश्न संख्या 554 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा उठाता हूं। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से करीब 30 वर्ष पूर्व 25 सितम्बर, 1988 की मध्य रात्रि के अढ़ाई बजे जिला किन्नौर की बरी पंचायत के सौल्डिंग गांव में रात को भारी वर्षा व बादल फटने से पूरा गांव ध्वस्त हो गया । इस हादसे में करीब 35 लोगों की जाने चली गई है। यह पूरे-का-पूरा गांव इस फ्लड में बह गया है। इन लोगों के घर, जमा पूंजी इत्यादि सब कुछ खत्म हो चुका है। लगता है कि मेरे प्रश्न को ठीक से नहीं समझा गया और न सही तरीके से लिया गया। इसमें जो वर्ष 1988 लिखा गया है, लगता है कि उसे गलत टंकित कर दिया गया है और वर्ष 1998 लिख दिया गया है। इस पर जो विभाग का उत्तर आया उसमें यह लिखा गया कि वर्ष 1998 में इस तरह की कोई घटना उस स्थान पर नहीं हुई है। यदि वर्ष 1988 की जगह 1998 कर दिया गया है तो उत्तर स्वभाविक तौर से उसी वर्ष का

आना था। परंतु विभाग इस प्रश्न पर गौर करता कि सौल्डिंग गांव का नाम लिखा गया है तो उन्हें यह जान लेना चाहिए था कि वहां यह घटना घटी है। परंतु विभाग ने कह दिया कि वहां कुछ नहीं हुआ। यह विभाग की संवेदनहीनता को दर्शाता है। इतने लोगों की जाने चली गई और उस समय सरकार ने आनन-फानन में उसी गांव में तम्बू इत्यादि का प्रबंध कर उन लोगों को ठहराने का प्रबंध कर दिया और बाद में उन्हें सौल्डिंग गांव में ही बसाने का कार्य किया। यह जगह पहले डी.पी.एफ. की थी। इस जगह को सरकार के प्रयासों से

29.08.2018/1505/बी.एस/एच.के./-3

डी.पी.एफ. को हटा करके यू.एफ. में लाया और लोगों को आश्वस्त किया कि जहां पर लोगों को तम्बुओं में ठहराया गया है वहीं पर इन्हें मकान बनाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। लागों ने फिर से वहां पर अपने घर बनाने शुरू कर दिए और अपनी सारी जमा पुंजी लगाकर और खून-पसीना बहा करके अपने-अपने मकान बना दिए। सरकार ने भी वहां पर प्राथमिक स्कूल, महिला मण्डल और आगंनबाड़ी इत्यादि वहां पर स्थापित कर दिए। रेवेन्यू में भी हमारा सौल्डिंग गांव अंकित है। पोलिंग स्टेशन हमारा वहां पर स्थित है। अब लोगों ने इसका नाम बदल कर विकास नगर रख दिया है। लोग इस उम्मीद में थे कि लोगों को इसका

श्री डी.टी. द्वारा जारी...

29.08.2018/1510/डी.टी/एच.के./-1

श्री जगत सिंह नेगी जारी...

मालिकाना हक दे दिया गया है। परंतु हाल में आगंनबाड़ी भवन के निमार्ण के लिए डिमार्केशन किया गया, तब लोगों को मालूम पड़ा कि मात्र 5-6 लोगों को ही मालिकाना मिला है, बाकि लोगों के इसमें नाम ही नहीं हैं। वह भी ऐसी जगह पर दिया गया है जहां पर

मकान ही नहीं बने हैं। वह भी सारे ढंकार के अन्दर है। इस प्रश्न के माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह लोग बड़े अरसे से मकान वहां पर बना चुके हैं। ज्यादा जगह इनके पास नहीं है । मात्र पांच-पांच बिस्वा जगह इनके पास है। इसमें 41 के करीब लोग प्रभावित हैं। वर्ष 2016 में नौतोड़ नियम के तहत जनजातीय क्षेत्रों मे लोगों को भूमि प्रदान करने के लिए हमारा जो फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट 1980 है, उसको जनजातीय इलाकों से 2 वर्षों के लिए दिसम्बर, 2018 तक के लिए निलम्बित किया है। हमारे पास रास्ता है कि नौतोड़ नियम के तहत इनको तुरंत जिन स्थानों पर इनका कब्जा है नौतोड़ में इन्हें भूमि प्रदान की जाए और दूसरा फोरेस्ट एक्ट राइट एक्ट 2006 के तहत इन्हें आप सुविधा मुहैया करवा सकते हैं। तीसरा जो तरीका है यह है कि पहले यह सारी भूमि डी.पी.एफ. थी अब यह यू.एफ. हो गई है, आप इस सारी भूमि को आवादी देह घोषित कर सकते हैं। इसमें भी फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट 1980 जनजातीय क्षत्रों में निलम्बित है । साथ में यह जो भूमि है इसका मालिक हिमाचल पदेश है । परंतु कब्जा दावा हकूक बर्तनदारान है। जो लोग वहां बसे हुए हैं यह भी सारे-के-सारे राइट होल्डर्ज हैं। मैं इन्हीं शब्दों से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए और जिलाधीश को यह आदेश दिए जाएं कि तुरंत समय सीमा के भीतर इस समस्या का निदान करें। जो 41 लोग इस सौल्डिंग गांव के हैं जिस गांव को अभी विकास नगर के नाम से जाना जाता है इनको तुरंत राहत दी जाए। ये लोग बड़े लम्बे अरसे से पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता की जा सके। धन्यवाद।

29.08.2018/1510/डी.टी/एच.के./-2

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 61 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी ने किनौर जिला के एक गांव का महत्वपूर्ण मसला इस माननीय सदन में उठाया है। इस मामले से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार से है:-

अध्यक्ष महोदय, उपायुक्त, किनौर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 1998 में जिला किनौर के सौल्डिंग गांव में बाढ़ से कोई नुकसान नहीं हुआ था और इसे माननीय सदस्य ने भी स्वीकार किया है। यह गलती कोई टंकन में हुई होगी या माननीय सदस्य को कोई कंफ्यूजन हुआ होगा। यह वर्ष 1998 की घटना नहीं है। अतः प्रश्न का उत्तर 'नहीं' में दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि वर्ष 1998 के बजाए वर्ष 1988 में जिला किनौर के सौल्डिंग गांव में भारी तबाही हुई थी जिसमें 34 परिवार प्रभावित हुए थे। उन बाढ़ प्रभावित सभी 34 परिवारों को

श्री एन.जी. द्वारा जारी ....

29/8/2018/1515/वाई0के0/एन0जी0-1

मुख्यमन्त्री जारी.....!

उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) निचार स्थिति भावानगर के मिसल बन्द के मुताबिक अप्रैल, 1990 में नौतोड़ स्वीकृत कर दी गयी थी । जिनमें 7 व्यक्तियों के ईन्तकाल दर्ज होने के उपरान्त उनको मालिकाना हक दिया जा चुका है ।

अध्यक्ष महोदय, शेष 27 व्यक्तियों का अन्य कोई भी रिकार्ड/नौतोड़ मिसल उपायुक्त कार्यालय किन्नौर, उपमण्डल कार्यालय व तहसील स्तर पर उपलब्ध नहीं है इसके बारे में छानबीन की जा रही है, क्योंकि मामला वर्ष 1988 का है । उपरोक्त के मद्देनजर रखते हुए इस विषय पर सरकार पहले से ही सज़ग है ।

यह बहुत पुराना मामला है और ये मामला बहुत देर से भी उठाया गया है । 1988 में भी सरकार आपकी ही थी और माननीय सदस्य ने भी उस विधानसभा क्षेत्र का तीन बार प्रतिनिधित्व किया है । 2003 और 2012 में फिर आपकी सरकार थी लेकिन पता नहीं आपके ध्यान से यह विषय किस प्रकार से छूट गया । लेकिन उसके बावजूद आपने इस विषय को

सरकार के संज्ञान में लाया है और वहां की सारी परिस्थितियों के बारे में जानकारी दी है, वहां की वस्तुस्थिति के बारे में सरकार को अवगत करवाया है । सरकार इस विषय के बारे में पूर्ण जानकारी हासिल करेंगे और उसके बाद आगामी कार्रवाई अवश्य की जाएगी ।

29/8/2018/1515/वाई0के0/एन0जी0-2

अध्यक्ष : अब नियम- 61 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र ठाकुर जी, 27 अगस्त, 2018 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 658 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे।

Shri Narinder Thakur: Hon'ble Speaker, Sir, "Question No. 658 dated 27.08.2018. and the answer given by the Hon'ble Minister". On this you have given me the permission to speak, I am very thankful to you. यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जोकि लगभग प्रदेश के 5 हजार डिपो होल्डर और सिविल सप्लाई में सेल्जमैन का काम करने वालों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है । माननीय मन्त्री जी ने 27-08-2018 को जो उत्तर दिया है उसमें उन्होंने यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि इन लोगों के मासिक वेतन के बारे में सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं है और सरकार ने इसमें अपनी असमर्थता जाहिर की है । मेरा केवल इतना कहना है कि सरकार द्वारा लोगों को सबसिडी पर जो राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है, वह लोगों तक पहुंचाने का काम डिपो होल्डरज और सेल्समैन ही करते हैं । लगभग 76 लाख लोगों के घर तक यह राशन इन्हीं डिपो होल्डरज के द्वारा पहुंचाया जाता है । इस कार्य के लिए इन डिपो होल्डरज ने दुकानें खोल रखी है और सारा दिन सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक पूरा परिवार उस दुकान पर बैठ कर लोगों को राशन वितरित करते हैं । अगर इनकी फाईनैंशल पोजिशन देखी जाए तो सरकार इस सब कार्य के लिए इन्हें देती ही क्या है ? टोटल सेल का केवल 3 प्रतिशत डिपो होल्डरज को दिया जाता है । हमने गणना की है कि औसतन एक डिपो होल्डरज के पास लगभग 150-200 राशन कार्ड होते हैं ।

श्री आर0जी0 द्वारा जारी.....

29/08/2018/1520/RG/YK/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर-----जारी

अगर 3% या 4% के हिसाब से इनकी आय देखी जाए, तो इनको महीने में 5,000/- या 6000/-रुपये पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जो बोरी में राशन आता है, तो 50 किलो की बोरी में कभी 44 किलो और कभी 48 किलो निकलता है और इसमें जो लॉस होता है, वह भी इनको भरना पड़ता है। इसके अलावा दुकान का किराया भी है, वह भी इनको देना पड़ता है। इस स्थिति में इनका पूरा परिवार इस सब्सिडी के राशन को बेचने में लगा रहता है तब क्या वे 5 या 6 हजार रुपये महीने की आय से अपनी परिवार को पाल सकते हैं? क्या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं? यह असंभव है। ---(व्यवधान)---जैसे ध्वाला जी कह रहे हैं कि पहले थोड़ा-बहुत स्कोप था।

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, आप अपनी बात करो, ध्वाला जी के चक्कर में मत आओ। अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर देना है।

श्री नरेन्द्र ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर, केरल और तमिलनाडु में एक नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें उनका महीने का वेतन 10,000/-रुपये से लेकर 15,000/-रुपये तक निर्धारित कर दिया है और उनका कमीशन बंद कर दिया है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि या तो उस पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाए, वैसे तो मुझे ये समर्थ लगते हैं, जैसा इन्होंने मुझे जवाब भी दिया है। लेकिन मेरा इनसे निवेदन है कि यदि ऐसा संभव नहीं है तो कम-से-कम उनका कमीशन तीन या पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 10% या 15% के बीच में कर दिया जाए। इससे उनका जो वित्तीय संकट है, जिससे वे आजकल जूझ रहे हैं, शायद इससे उनको थोड़ी-बहुत राहत मिल जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक Food and Supplies Standard Act है, इसके दायरे में भी उनको लाया जाता है। जबकि यह बहुत अजीब सा लगता है कि वे जो फूड ग्रेन्ज बेचते हैं, सरकार ही उनको देती है और वह उसी को आगे बेचते हैं। लेकिन उनके

ऊपर यह Food and Supplies Standard Act क्यों अप्लाई होता है जिसके लाईसेंस के लिए हर साल उनको कम-से-कम 10,000/-रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त National Food Supplies Act के तहत जो राशन उनको आगे बेचने के लिए आता है,

29/08/2018/1520/RG/YK/2

उसमें पहले 42/-रुपये प्रति-क्विंटल के हिसाब से उनको दिया जाता था, लेकिन वर्ष 2013 में उसमें संशोधन करके 143/-रुपये कर दिया गया। लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि जब से यह 143/-रुपये किया है, उसके बाद से उनको एक भी पैसा नहीं दिया गया। उनका लगभग 27 महीने का 143/-रुपये महीने के हिसाब से कितना पैसा बचता है, कम-से-कम उसको तो वापस कर दो, उसको तो दे दो।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं इतना जरूर कहूंगा कि वर्ष 2013 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक सर्विस रूल ऐक्ट बनाया गया था जिसमें सोसायटी के सैक्रेट्रीज़ की बेसिक पे 4620/-रुपये की गई थी और सारे भत्ते मिलाकर, उनको 15,000/-रुपये के लगभग मिलते थे। लेकिन जो ऐक्ट पास हुआ था, वह सैक्रेट्रीज के ऊपर ही इम्प्लीमेंट हो रहा है। वे जो सेल्जमेन या डिपो होल्डर्ज हैं, उनके ऊपर अभी यह ऐक्ट इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। या तो उसी ऐक्ट को उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दीजिए ताकि सैक्रेट्रीज और सेल्जमेन में कोई फर्क न रह जाए और सबको बराबर का वित्तीय लाभ मिले।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि ये लगभग 5000 हैं और आज इनकी वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और अपनी रोजी-रोटी चलाने में भी ये असमर्थ हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, मैंने जो प्रार्थना की है, उसके बारे में विचार करें। मुझे आशा है कि इसमें माननीय मंत्री जी मानेंगे और कुछ-न-कुछ वित्तीय लाभ इनको ये जरूर देंगे। धन्यवाद।

एम.एस. द्वारा अध्यक्ष महोदय शुरू

29/08/2018/1525/MS/AG/1

अध्यक्षः अब खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री नरेन्द्र ठाकुर जी ने इस मान्य सदन में मामला उठाया है कि Whether the Govt. is interested to pay the monthly salary to the Depot Holders of H.P.

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में मान्य सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 76,58,000 उपभोक्ताओं को 4925 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्य वस्तुएं, जिनमें गेहूं, चावल, आटा, तीन दालें, खाद्य तेल, चीनी व नमक उपलब्ध करवाया जा रहा है। इन 4925 उचित मूल्य की दुकानों में से 3212 सहकारी सभाओं द्वारा, 1623 व्यक्तिगत डिपो होल्डर्ज द्वारा, 13 पंचायतों द्वारा, 8 महिला मण्डलों द्वारा तथा 69 उचित मूल्य की दुकाने हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा चलाई जा रही हैं। इन 4925 उचित मूल्य की दुकानों में से 4606 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 319 शहरी क्षेत्र में कार्यरत्त हैं। प्रदेश में कार्यरत्त इन सभी उचित मूल्य की दुकानों को खाद्यान्नों के विक्रय पर निम्न प्रकार से कमीशन दी जा रही हैः-

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिक्री होने वाले गेहूं एवं चावल पर 143/- रुपये प्रति-क्विंटल कमीशन भारत सरकार द्वारा दी जाती है।
(ख) राज्य अनुदानित योजना के तहत बिक्री की जाने वाली दालों, खाद्य तेल एवं नमक पर तीन प्रतिशत प्रति-क्विंटल की दर से प्रदेश सरकार द्वारा कमीशन दी जाती है एवं चीनी पर 7 रुपये 57 पैसे की दर से प्रति-क्विंटल कमीशन दी जा रही है।
अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानें, हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तुएं(वितरण का विनियमन) आदेश 2003 के तहत आबंटित की जाती हैं जिसके अंतर्गत डिपो होल्डर्ज को एकमुश्त मासिक वेतन दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। मैं आपके

ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में डिपो होल्डर्ज को दी जाने वाली कमीशन अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है तथा

29/08/2018/1525/MS/AG/2

प्रदेश सरकार द्वारा डिपो होल्डर्ज को मासिक वेतन देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 4925 उचित मूल्य की दुकानें हैं तथा सहकारी सभाओं द्वारा जो डिपो चलाए जा रहे हैं उनकी संख्या 3212 हैं और कोपरेटिव सोसाइटिज उनको सैलरी देती हैं। हमारे सिविल सप्लाइज कारपोरेशन द्वारा जो 69 उचित मूल्य की दुकानें चलाई जा रही हैं उनको भी सैलरी मिलती है। कमीशन तो एक्स्ट्रा है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमारे 1623 प्राइवेट यानी व्यक्तिगत डिपो होल्डर्ज हैं तथा 8 महिला मण्डलों द्वारा और 13 पंचायतों द्वारा चलाए जा रहे हैं। जो माननीय सदस्य ने जानकारी दी है कि प्रति-क्विंटल जो 143/-रुपये कमीशन दिया जा रहा था, वह उनको नहीं मिल रहा है। उसके बारे में हम जानकारी लेंगे और अगर नहीं मिल रहा है तो जरूर दिलाएंगे।

अध्यक्षः अब इस मान्य सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 30 अगस्त, 2018 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा,**

दिनांकः 29 अगस्त, 2018 **सचिव।**